

बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास,
निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु

कर्नाटक सरकार

तथा

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के मध्य

राज्य सहायता करार

दिनांक 20 जनवरी, 2005

यह करार बंगलौर में जनवरी 2005 के 20वें दिन किया गया।

निम्नलिखित के मध्य:

- (1) **कर्नाटक के राज्यपाल**, जो कर्नाटक सरकार के अवसंरचना विकास विभाग, बंगलौर के प्रधान सचिव के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे "जोओके " कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे); तथा
- (2) **बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सीमित दायित्व के साथ निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय खनिज भवन, भूतल, # 49, रेस कोर्स रोड, बंगलौर-560 001 में स्थित है (जिसे इसमें आगे "बीआईएएल " कहा गया है, और इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे),

चूंकि

- (क) भारत सरकार ने, हवाई अड्डा अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपनी नीति के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य में बंगलौर के निकट देवनहल्ली में निजी क्षेत्र की भागीदारी से एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।
- (ख) जोओके ने, कर्नाटक राज्य के औद्योगिक विकास, पर्यटन, कार्गो परिवहन तथा सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने और उपलब्ध कराने की अपनी नीति के अंतर्गत, बंगलौर के निकट देवनहल्ली में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।
- (ग) बीआईएएल की स्थापना हवाई अड्डे के विकास, अभिकल्पन, वित्तपोषण, निर्माण, समापन, अनुरक्षण, प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए की गई है।
- (घ) कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("**केएसआईडीसी** "), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("**एएआई**"), सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स GmbH ("**सीमेन्स** "), फ्लूगहाफेन ज्यूरिख एजी ("**यूनीक जूरिक**") तथा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ("**एल एंड टी**") ने, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच एक उपक्रम के रूप में, बीआईएएल में शेयरधारकों के रूप में, स्वयं अथवा सहयोगियों (एफिलियशन) (जैसा कि शेयरधारक करार में परिभाषित है) के माध्यम से, भागीदारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
- (ड.) बोली प्रक्रिया के पूर्व-विस्तृत प्रस्ताव चरण के दौरान निजी प्रवर्तकों (जैसा कि इसमें आगे परिभाषित है) द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसरण में, जोओके ने परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने तथा प्रारंभिक चरण की बैंक-योग्यता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, और भूमि पट्टा करार (जैसा कि इसमें आगे परिभाषित है) के अनुसरण में केएसआईडीसी से स्थल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने पर सहमति व्यक्त की है।
- (च) भारत सरकार और बीआईएएल ने इस करार की तिथि को अथवा उसके आसपास एक रियायत करार ("**रियायत करार**") किया है, जिसके द्वारा उन्होंने उन निबंधनों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की है जिन पर परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

(छ) पक्षकारों का यह आशय है कि परियोजना का वित्तपोषण गैर-आश्रय परियोजना वित्तपोषण के आधार पर किया जाएगा।

अतः अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1 परिभाषाएँ और निर्वचन

1.1 परिभाषाएँ

1.1.1 इस करार में, उस सीमा को छोड़कर जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो:

"एएआई " का वही अर्थ होगा जो उसे पूर्ववृत्त (डी) में दिया गया है;

"वास्तविक परियोजना लागत" से बीआईएएल द्वारा वहन की गई प्रारंभिक चरण की वास्तविक लागत अभिप्रेत है, जिसमें बीआईएएल द्वारा पूंजीकृत प्रचालन-पूर्व लागतें और निर्माण के दौरान ब्याज सम्मिलित हैं;

"प्रभावित पक्षकार" का वही अर्थ होगा जो खंड 17.1 में दिया गया है;

"हवाई अड्डा" से कर्नाटक राज्य में बंगलौर के निकट देवनहल्ली में बीआईएएल द्वारा निर्मित और प्रचालित किया जाने वाला, प्रारंभिक चरण से युक्त, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभिप्रेत है, और इसमें उसके सभी भवन, उपस्कर, सुविधाएँ और प्रणालियाँ सम्मिलित हैं तथा, जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करें, उसका कोई भी विस्तार सम्मिलित है;

"हवाई अड्डा क्रियाकलाप" से हवाई अड्डे पर अथवा उसके संबंध में, अनुसूची 2, भाग 1 में, समय-समय पर यथासंशोधित, निर्धारित क्रियाकलापों का प्रावधान अभिप्रेत है, परंतु यह कि कोई भी ऐसे क्रियाकलाप जो अनुसूची 2 भाग 1 में परिकल्पित क्रियाकलापों के तात्त्विक रूप से समान नहीं हैं, उनके लिए पक्षकारों की पारस्परिक सहमति अपेक्षित होगी;

"हवाई अड्डा प्रारंभ" से प्रारंभिक चरण के वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारंभ अभिप्रेत है;

"हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि" से वह तिथि अभिप्रेत है जिसको हवाई अड्डा प्रारंभ होता है;

"हवाई अड्डा प्रारंभ लक्ष्य तिथि" से वित्तीय समापन के ठीक पश्चात् तैंतीस (33) माह पर पड़ने वाली तिथि अभिप्रेत है;

"लागू विधि" से भारत सरकार अथवा जोओके द्वारा प्रवर्तित और प्रभावी की गई सभी विधियाँ अभिप्रेत हैं, जिनमें उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ तथा किसी अभिलेख न्यायालय के निर्णय, डिक्री, व्यादेश, रिट और आदेश, और किन्हीं अनुमोदनों / मंजूरी में सम्मिलित कोई भी शर्तें सम्मिलित हैं, जैसा कि इस करार की विद्यमानता के दौरान प्रवृत्त और प्रभावी हों;

"अनुमोदन" से किसी भी प्रकृति के सभी प्राधिकार, सहमतियाँ, अनुमोदन, अधिसूचनाएँ और अनुमतियाँ तथा कोई भी अनुज्ञप्ति, परमिट, विनिर्णय, छूट अथवा अन्य प्राधिकार अभिप्रेत है, जिसका लागू विधि के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा इस करार के लिए अथवा इसके संबंध में, जिसमें किसी पक्षकार द्वारा किसी दायित्व के निष्पादन अथवा किसी अधिकार के प्रयोग हेतु भी सम्मिलित है, प्रदान किया

जाना, अथवा उसके साथ कोई पंजीकरण या फाइलिंग किया जाना अपेक्षित है, किंतु इसमें मंजूरी सम्मिलित नहीं है;

"आधार राशि" से रुपये 2722.50 मिलियन अभिप्रेत है;

"आधार राशि संवितरण अनुरोध" से अनुसूची 8 में निर्धारित प्रपत्र में सारतः एक सूचना अभिप्रेत है;

"आधार परियोजना लागत" से रुपये [11818.30] मिलियन अभिप्रेत है, जो वित्तीय मॉडल की परियोजना लागत विवरणी में निर्धारित प्रारंभिक चरण की कुल परियोजना लागत में से आकस्मिकता प्रावधान घटाकर व्युत्पन्न किया गया है;

"बीकन भूमि" से स्थल के बाहर स्थित वह भूमि, यदि कोई अपेक्षित हो, अभिप्रेत है, जिस पर, जिसके नीचे और जिसके ऊपर हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु अपेक्षित वैमानिक बीकन और अन्य उपस्कर निर्मित या स्थापित किए जाने हैं;

"बीआईएएल व्यतिक्रम घटना" का वही अर्थ होगा जो उसे खंड 19.1 में दिया गया है;

"बीआईएपीए" से बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र योजना प्राधिकरण (बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र नियोजन प्राधिकरण) अभिप्रेत है;

"कार्य दिवस" से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन बंगलौर में बैंक सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के संव्यवहार हेतु सामान्यतः खुले रहते हैं;

"व्यवसाय योजना" से [•] 2005 दिनांकित, इस शीर्षक वाला दस्तावेज़ अभिप्रेत है;²

"विधि में परिवर्तन" से इस करार की तिथि के पश्चात्, कर्नाटक विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि ("जोओके विधि") के संबंध में, (i) श्रम/कर्मचारी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और संगरोध; (ii) कर (उन करों को छोड़कर जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रूप से निर्धारित बीआईएएल और/अथवा हवाई अड्डे को प्रदत्त लाभों से संबंधित हैं); अथवा (iii) पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संसाधन प्रबंधन के संबंध में जोओके विधियों से भिन्न, निम्नलिखित में से किसी का घटित होना अभिप्रेत है:

(i) किसी विद्यमान जोओके विधि का उपांतरण, संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल अथवा निरसन अथवा किसी नई जोओके विधि का अधिनियमन;

(ii) किसी ऐसी जोओके विधि का प्रारंभ जो अभी प्रभावी नहीं हुई है, सिवाय उस सीमा के जब ऐसी जोओके विधि इसकी तिथि से पूर्व, इसकी तिथि के पश्चात् की प्रारंभ तिथि के साथ अधिनियमित की गई थी और ऐसी जोओके विधि उस प्रारंभ तिथि को बिना किसी तात्त्विक संशोधन के प्रभावी होती है, अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा जोओके द्वारा किसी जोओके विधि के निर्वचन, अनुप्रयोग अथवा प्रवर्तन में परिवर्तन; तथा

(iii) किसी मंजूरी को प्रदान किए जाने की तिथि के पश्चात्, ऐसी मंजूरी से संलग्न निबंधनों और शर्तों में तात्त्विक परिवर्तन अथवा किन्हीं नए तात्त्विक निबंधनों या शर्तों का संलग्न किया जाना अथवा ऐसी मंजूरी का भागतः अथवा पूर्णतः पूर्ण रूप से प्रवृत्त और प्रभावी न रहना;

"शिकागो अभिसमय" से समय-समय पर यथासंशोधित और/अथवा अनुपूरित शिकागो अभिसमय 1944 अभिप्रेत है, और शिकागो अभिसमय के किसी "अनुबंध" के प्रति निर्देशों से समय-समय पर यथासंशोधित और/अथवा अनुपूरित ऐसा अनुबंध अभिप्रेत होगा;

"मंजूरी" से किसी भी प्रकृति की लिखित सहमति, अनुज्ञप्ति, अनुमोदन, परमिट, विनिर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा अन्य प्राधिकार या अनुमति अभिप्रेत है, जिसका परियोजना के संबंध में समय-समय पर जोओके से प्राप्त किया जाना और/अथवा जोओके द्वारा प्रदान किया जाना अपेक्षित है;

"सीएनएस/एटीएम करार" से बीआईएएल और एमआई के बीच एएआई द्वारा बीआईएएल को संचार, नौवहन, निगरानी/हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान के संबंध में किया गया अथवा किया जाने वाला करार अभिप्रेत है;

"रियायत करार" का वही अर्थ होगा जो उसे पूर्ववृत्त में दिया गया है;

"निर्माण चरण" से वित्तीय समापन और हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के बीच की अवधि अभिप्रेत है, अथवा उस तिथि तक की अवधि, जिसको, यदि ऐसी तिथि हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि से पूर्व पड़ती है, यह करार अपने निबंधनों के अनुसरण में समाप्त हो जाता है;

"आकस्मिक राशि" से रुपये 777.50 मिलियन अभिप्रेत है;

"आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध" से अनुसूची 8बी में निर्धारित प्रपत्र में सारतः एक सूचना अभिप्रेत है;

"ऋण" से वित्तपोषण करारों के अधीन बीआईएएल के ऋणदाताओं को देय बकाया ऋण (जिसमें इन प्रयोजनों के लिए कोई पुनर्वित्तपोषण सम्मिलित होगा) अभिप्रेत है;

"नामित क्षेत्र" से कर्नाटक नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1961 के अधीन यथा अधिसूचित बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा योजना क्षेत्र अभिप्रेत है;

"विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" से [•] 2005 दिनांकित, इस शीर्षक वाला दस्तावेज़ अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ सम्मिलित हैं:

- (i) मास्टर प्लान;
- (ii) नियोक्ता की अपेक्षाएँ;
- (iii) वित्तीय मॉडल; तथा
- (iv) व्यवसाय योजना;

खंड 7.1 के अनुसार बीआईएएल द्वारा जोओके को प्रस्तुत की जाने हेतु अपेक्षित प्रचालन एवं अनुरक्षण योजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का भाग माना जाएगा;

"डीजीसीए" से नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार अभिप्रेत है;

"संवितरण अनुरोध" से या तो आधार राशि संवितरण अनुरोध अथवा आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध अभिप्रेत है;

"दस्तावेज़" से सभी रेखाचित्र, प्रमाणपत्र, विनिर्देश, रिपोर्ट, अध्ययन, लिखित जानकारी, डेटा और अन्य दस्तावेज़ (जिनके सॉफ्टवेयर रूप में अभिलेख भी सम्मिलित हैं) अभिप्रेत हैं और इनमें उनका कोई भी प्रतिलिप्यधिकार सम्मिलित है;

"नियोक्ता की अपेक्षाएँ" का वही अर्थ है जो उसे प्रारंभिक चरण के निर्माण और समापन हेतु ईपीसी संविदाओं में दिया गया है;

"ईपीसी संविदाएँ" से वित्तीय समापन से पूर्व बीआईएएल और ईपीसी संविदाकारों के बीच किए जाने वाले वे करार अभिप्रेत हैं जिनके अधीन ईपीसी संविदाकार परियोजना का अभिकल्पन, उपापन, निर्माण और समापन करेंगे;

"ईपीसी संविदाकार" से एल एंड टी, सीमेंस लिमिटेड और सीमेंस एजी अभिप्रेत हैं;

"विस्तार" से मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर हवाई अड्डे की सुविधाओं का विस्तार अभिप्रेत है;

"वित्तीय समापन" से वह तिथि अभिप्रेत है जिसको वित्तपोषण करार (जहाँ तक वे प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) उनके सभी पक्षकारों द्वारा निष्पादित और परिदत्त कर दिए गए हों तथा उनके अधीन पूर्ववर्ती शर्तें उस सीमा तक पूरी कर दी गई हों जो बीआईएएल को, केवल उनके द्वारा अपेक्षित आहरण सूचनाएँ देने के अधीन रहते हुए, बीआईएएल द्वारा अपेक्षित निधियों तक तत्काल पहुँच की अनुमति देने के लिए आवश्यक हो;

"वित्तीय मॉडल" से [•]⁴ 2005 दिनांकित, इस शीर्षक वाला दस्तावेज़ अभिप्रेत है;

"वित्तपोषण करार" से (i) बीआईएएल को ऋण उपलब्ध कराने हेतु ऋणदाताओं के साथ बीआईएएल के करार और (ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट करारों के अनुसरण में अपेक्षित, ऋणदाताओं के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेज़, प्रत्यक्ष करार और अन्य आनुषंगिक वचनबंध, इनमें से कोई भी अभिप्रेत है। वित्तपोषण करार पद में यह करार, अथवा कोई अन्य करार जिसके द्वारा या जिसके अधीन जोओके, बीआईएएल को राज्य वित्तीय सहायता अग्रिम देने पर सहमत होता है, सम्मिलित नहीं होगा;

"अप्रत्याशित घटना" का वही अर्थ है जो अनुसूची 9 में निर्धारित है;

"विदेश यात्रा कर" से वित्त अधिनियम, 1979 के अध्याय V और विदेश यात्रा कर नियम 1979 के अनुसरण में उद्गृहीत और संगृहीत विदेश यात्रा कर अभिप्रेत है;

"भारत सरकार " से भारत सरकार तथा नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निदेशन के अधीन उसका कोई सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकरण, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय अथवा व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) अभिप्रेत है;

"जोओके " से कर्नाटक राज्य सरकार तथा जोओके के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निदेशन के अधीन उसका कोई सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकरण, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय अथवा व्यक्ति अभिप्रेत है;

"जोओके व्यतिक्रम घटना" का वही अर्थ होगा जो उसे खंड 19.2 में दिया गया है;

"उत्तम उद्योग पद्धति" से उस स्तर के कौशल, तत्परता और विवेक का प्रयोग अभिप्रेत है जिसकी उसी प्रकार के उपक्रम में लगे किसी कुशल और अनुभवी प्रचालक से युक्तियुक्त रूप से और सामान्यतः अपेक्षा की जाएगी, और (बीआईएएल के मामले में) हवाई अड्डे के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा सामान्यतः अपनाए गए मानकों को लागू करना तथा हवाई अड्डे के प्रचालन और अनुरक्षण में ऐसी सुविधाओं द्वारा सामान्यतः अनुसरित पद्धतियों का पालन करना (प्रचालन कार्मिकों के नियोजन के निबंधनों और शर्तों के संबंध में को छोड़कर), सिवाय वहाँ तक जहाँ यह किसी लागू विधि से अथवा सीएनएस/एटीएम करार के अनुसरण में एएआई द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित की जाने वाली प्रणालियों या उपस्कर के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण से असंगत हो;

"आईसीएओ" से शिकागो अभिसमय द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी अभिप्रेत है;

"स्वतंत्र अभियंता" से वित्तपोषण करारों के निबंधनों के अधीन ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता अभिप्रेत है;

"स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण" अथवा **"आईआरए"** से विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अथवा रियायत करार में यथापरिकल्पित हवाई अड्डा क्रियाकलापों के किसी पहलू को विनियमित करने हेतु स्थापित कोई अन्य विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

"सूचकांकित" से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक के सूचकांक मूल्य के संदर्भ में संबंधित राशि का समायोजन अभिप्रेत है और इसमें कोई भी सूचकांक सम्मिलित होगा जो ऐसे सूचकांक को प्रतिस्थापित करता है, और सूचकांकित के प्रति किसी निर्देश का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्ववर्ती माह के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए थोक मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए समायोजन के प्रति निर्देश है;

"अवसंरचना करार" से जल करार और विद्युत करार अभिप्रेत हैं;

"प्रारंभिक चरण" से इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 में वर्णित सुविधाओं का अभिकल्पन, वित्तपोषण, निर्माण, समापन और चालू किया जाना अभिप्रेत है;

"अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर" से वित्त अधिनियम, 1989 के अध्याय-V और अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम 1989 के अनुसरण में उद्गृहीत और संगृहीत अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर अभिप्रेत है;

"बीमा सलाहकार" से खंड आर1 के प्रयोजनों हेतु पक्षकारों की पारस्परिक सहमति द्वारा नियुक्त बीमा सलाहकार अभिप्रेत है;

"बौद्धिक संपदा अधिकार" से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत व्यापार चिह्नों, सेवा चिह्नों, पेटेंटों, पंजीकृत डिज़ाइनों, उपयोगिता चिह्नों, पूर्वोक्त में से किसी के लिए आवेदनों, प्रतिलिप्यधिकारों (भावी

प्रतिलिप्यधिकारों सहित), अपंजीकृत डिज़ाइनों, आविष्कारों, गोपनीय सूचना, जानकारी अथवा अन्य बौद्धिक संपदा (चाहे लिखित रूप में हो, अथवा किसी कंप्यूटर या समान प्रणाली पर सृजित या अनुरक्षित हो अथवा अन्यथा) में सभी अधिकार और हित अभिप्रेत हैं, जो किसी भी समय तैयार किए गए सभी विनिर्देशों, योजनाओं, रेखाचित्रों, आलेखों, खाकों, मॉडलों और अन्य सामग्रियों एवं दस्तावेजों में विद्यमान हों या उनसे संबंधित हों;

"आईपीओ" से नकद के लिए अभिदान अथवा विक्रय हेतु शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश अभिप्रेत है;

"केएसआईडीसी" का वही अर्थ होगा जो उसे पूर्ववृत्त (डी) में दिया गया है;

"भूमि पट्टा करार" से वह/वे दस्तावेज़ और/अथवा लिखत अभिप्रेत हैं, जिनमें किए गए अथवा किए जाने वाले कोई पट्टा विलेख सम्मिलित हैं, जिनके अनुसरण में केएसआईडीसी ने बीआईएएल को स्थल में पट्टाधृत अधिकार और हित प्रदान किए हैं अथवा प्रदान करेगा;

"ऋणदाता" से वे बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, एनबीएफसी और समान निकाय अभिप्रेत हैं जिनको प्रारंभिक चरण और किसी विस्तार के वित्तपोषण (जिसमें इन प्रयोजनों के लिए कोई पुनर्वित्तपोषण सम्मिलित होगा) हेतु वित्तपोषण करारों के अधीन ऋण देय है;

"एल एंड टी" का वही अर्थ होगा जो उसे पूर्ववृत्त (डी) में दिया गया है;

"प्रमुख हवाई अड्डा" से कोई ऐसा हवाई अड्डा अभिप्रेत है जिसका वार्षिक यात्री आवागमन डेढ़ (1.5) मिलियन से अधिक है अथवा जिसे इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है;

"मास्टर प्लान" से बीआईएएल द्वारा तैयार किया गया, स्थल के उपयोग हेतु अनुमानित समय-सीमाओं सहित, मास्टर प्लान अभिप्रेत है, जो इसके साथ अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है;

"अधिकतम प्रतिकर राशि" का वही अर्थ होगा जो उसे खंड 18.6 में दिया गया है;

"गैर-हवाई अड्डा क्रियाकलाप" से हवाई अड्डे पर अथवा उसके संबंध में, अनुसूची 2, भाग 2 में निर्धारित सेवाओं का प्रावधान अभिप्रेत है;

"प्रचालन एवं अनुरक्षण योजना" से वह दस्तावेज़ अभिप्रेत है, जो यह उपबंध करेगा कि हवाई अड्डे का प्रचालन और अनुरक्षण इस रीति से किया जाएगा कि इकाओं द्वारा निर्धारित और किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सामान्यतः अपेक्षित मानकों के सामान्यतः अनुरूप सेवा मानक प्रदान किए जा सकें और यह लागू विधि के अनुसार हो, जिसे बीआईएएल की सम्यक् रूप से आयोजित बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया हो, और जिसे खंड 7.1 के अनुसार बीआईएएल द्वारा जोओके को प्रस्तुत किया जाना है;

"प्रचालन प्रबंधन सेवा करार" से बीआईएएल और यूनीक जूरिक के बीच किया गया अथवा किया जाने वाला करार अभिप्रेत है;

"पक्षकार" से, जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो, जोओके अथवा बीआईएएल तथा इस करार के निबंधनों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती अभिप्रेत हैं और "पक्षकारों" (Parties) का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

"व्यक्ति" में (और जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो) कोई नैसर्गिक और/अथवा विधिक इकाई (भारत सरकार अथवा जोओके सहित) सम्मिलित है;

"विद्युत करार" से बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी और बीआईएएल के बीच वह करार अभिप्रेत है जिसके अधीन बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी हवाई अड्डे को विद्युत की आपूर्ति करने पर सहमत होती है;

"निजी प्रवर्तक" से सीमेन्स, यूनीक जूरिक और एन एंड टी तथा शेयरधारक करार के अनुसरण में उनके संबंधित उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती अभिप्रेत हैं;

"परियोजना" से हवाई अड्डे का अभिकल्पन, वित्तपोषण, निर्माण, समापन, चालू किया जाना, अनुरक्षण, प्रचालन, प्रबंधन और विकास अभिप्रेत है;

"परियोजना करार" से निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिप्रेत है:

- (i) भूमि पट्टा करार;
- (ii) ईपीसी संविदाएँ;
- (iii) प्रचालन प्रबंधन सेवा करार;
- (iv) संचार नौवहन निगरानी / हवाई यातायात प्रबंधन करार;
- (v) यह करार;
- (vi) रियायत करार;
- (vii) प्रारंभिक चरण हेतु वित्तपोषण करार; तथा
- (viii) परियोजना के संबंध में कंपनी द्वारा की जाने वाली अन्य तात्त्विक संविदाएँ, जिन्हें परियोजना करारों के रूप में माने जाने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति दी गई हो।

"परियोजना आकस्मिकता" से वित्तीय मॉडल की प्रारंभिक चरण परियोजना लागत विवरणी में 'आकस्मिकता' शीर्ष के अंतर्गत यथानिर्धारित रुपये 777.50 मिलियन अभिप्रेत है;

"परियोजना लागत" से आधार परियोजना लागत और परियोजना आकस्मिकता का योग अभिप्रेत है।

"संबंधित प्राधिकरण" में भारत सरकार, एएआई, डीजीसीए, बीसीएस, गृह मंत्रालय का आप्रवासन विभाग, वित्त मंत्रालय का सीमा शुल्क विभाग अथवा उसका कोई अन्य उपविभाग या साधन, अथवा लागू विधियों द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण सम्मिलित है;

"पुनर्भुगतान किस्त" से खंड 3.10 और अनुसूची 10 के उपबंधों के अनुसार किसी राज्य वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान हेतु बीआईएएल द्वारा जोओके को देय राशि अभिप्रेत है;

"आरक्षित क्रियाकलाप" से वे कृत्य और क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं जिन्हें रियायत करार के अनुच्छेद 8.4 (सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध), 8.5 (सुरक्षा) और 8.6 (मौसम विज्ञान सेवा) के अनुसरण में किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर किया जाना है;

"प्रतिभूति" में कोई बंधक, गिरवी, धारणाधिकार, प्रतिभूति हित अथवा अन्य प्रभार या विल्लंगम तथा सारतः समान आर्थिक प्रभाव वाला कोई अन्य करार, लिखत या व्यवस्था सम्मिलित है;

"सेवा प्रदाता अधिकार" से रियायत करार के अनुसरण में बीआईएएल द्वारा अथवा किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक द्वारा प्रदत्त कोई विशेषाधिकार, अधिकार, फ्रैंचाइज़ी, पट्टा अथवा अन्य अधिकार या उप-अधिकार अभिप्रेत है;

"सेवा प्रदाता अधिकार धारक" से समय-समय पर कोई सेवा प्रदाता अधिकार धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

"निपटान राशि" से अनुसूची 7 के अनुसार परिकल्पित राशि अभिप्रेत है;

"शेयरधारक" से (जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो) केएसआईडीसी, एएआई, सीमेन्स, यूनीक जूरिक और एल एंड टी में से कोई एक या अधिक तथा कोई अन्य व्यक्ति (ऋणदाताओं से भिन्न) अभिप्रेत है जो किसी भी समय शेयरधारक करार के निबंधनों के अनुसरण में बीआईएएल में शेयर धारण करता हो;

"शेयरधारक करार" से केएसआईडीसी, एएआई, सीमेन्स, यूनीक जूरिक, एल एंड टी और बीआईएएल के बीच 23 जनवरी 2002 दिनांकित करार अभिप्रेत है;

"सीमेन्स " का वही अर्थ होगा जो उसे पूर्ववृत्त (डी) में दिया गया है;

"स्थल" से वह भूमि अभिप्रेत है जिसमें भूमि पट्टा करार के अनुसरण में बीआईएएल का पट्टाधृत हित है अथवा होगा;

"मानक" से अनुसूची 11 में यथानिर्धारित हवाई अड्डे के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु निष्पादन मानक अभिप्रेत हैं;

"राज्य वित्तीय सहायता" से परियोजना के प्रयोजनों हेतु इस करार के खंड 3 के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता अभिप्रेत है;

"कर" अथवा **"करों"** से सभी कर, उद्ग्रहण, अधिरोपण, शुल्क, प्रभार, कटौतियाँ अथवा रोकी गई राशियाँ अभिप्रेत हैं जो अधिरोपित, उद्गृहीत, संगृहीत, रोकी गई अथवा निर्धारित हैं या की जानी हैं, साथ ही उनसे उत्पन्न होने वाले अथवा उनसे संबंधित किसी भी और सभी ब्याज, शास्तियों, दावों अथवा अन्य दायित्वों सहित;

"अंतरण तिथि" वह तिथि होगी जिसको बीआईएएल खंड 19.3 और 19.4 के अनुसरण में हवाई अड्डे का विधिक और हिताधिकारी स्वामित्व जोओके अथवा उसके नामितियों को अंतरित करता है और उसका कब्ज़ा सौंपता है;

"यूनीक जूरिक" का वही अर्थ होगा जो उसे पूर्ववृत्त (डी) में दिया गया है;

"जल करार" से बंगलौर जल आपूर्ति एवं मलजल बोर्ड और बीआईएएल के बीच वह करार अभिप्रेत है जिसके अधीन बंगलौर जल आपूर्ति एवं मलजल बोर्ड हवाई अड्डे को जल की आपूर्ति करने पर सहमत होता है; तथा

"संकर्म" से प्रारंभिक चरण और/अथवा किसी विस्तार के अभिकल्पन, निर्माण, समापन, चालू किए जाने और/अथवा विकास के लिए, अथवा उसमें या उसके संबंध में अथवा उसके संबंध से, अपेक्षित अथवा किए जाने या निष्पादित किए जाने वाले संकर्म अभिप्रेत हैं।

1.2 निर्वचन

इस करार में, उस सीमा को छोड़कर जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो:

1.2.1 किसी अधिनियम अथवा किसी अधिनियम की किसी धारा, अनुसूची अथवा अन्य उपबंध के प्रति किसी निर्देश का, किसी विशिष्ट समय पर, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें उस समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण, विस्तार अथवा पुनः अधिनियमन के प्रति निर्देश तथा उस समय प्रवृत्त और संबंधित अधिनियम या उपबंध के अधीन बनाए गए अथवा उससे विधिमान्यता प्राप्त करने वाले सभी लिखतों, आदेशों अथवा विनियमों के प्रति निर्देश सम्मिलित है;

1.2.2 "निर्णय" के प्रति निर्देश में भारतीय अधिकारिता में कोई आदेश, व्यादेश, अवधारण, पंचाट अथवा अन्य न्यायिक या माध्यस्थता उपाय सम्मिलित है जो अंतिम और बाध्यकारी है;

1.2.3 "विधि" के प्रति निर्देश में सामान्य विधि, भारत का संविधान और कोई डिक्री, निर्णय, विधान, निदेश, आदेश, अध्यादेश, विनियम, उपविधि, कानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, नियम, कानूनी लिखत अथवा अन्य विधायी उपाय सम्मिलित है, जिसका अनुपालन करना बीआईएएल के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है (और "विधिपूर्ण" तथा "विधिविरुद्ध" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा);

1.2.4 एकवचन के प्रति निर्देशों में बहुवचन के प्रति निर्देश सम्मिलित होंगे और विलोमतः;

1.2.5 "दिन" के प्रति निर्देश से कैलेंडर दिवस और "वर्ष" के प्रति निर्देश से कैलेंडर वर्ष अभिप्रेत है;

1.2.6 किसी विशिष्ट खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ अथवा अनुसूची के प्रति निर्देश, जहाँ संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो उसके सिवाय, इस करार के उस खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ अथवा अनुसूची के प्रति निर्देश होंगे;

1.2.7 शीर्षक सुविधा के लिए अंतःस्थापित किए गए हैं और अर्थान्वयन के प्रयोजनों के लिए उन्हें अनदेखा किया जाना है;

1.2.8 इसकी अनुसूचियों में परिभाषित पदों का, जब वे इस करार में अन्यत्र प्रयुक्त हों, वही अर्थ होगा जो अनुसूचियों में उन्हें दिया गया है;

1.2.9 इस करार की अनुसूचियाँ इस करार का भाग हैं और पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी होंगी मानो वे इस करार के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हों;

1.2.10 (i) आधार परियोजना लागत की परिभाषा; (ii) आधार परियोजना आकस्मिकता की परिभाषा; (iii) खंड 3.4.3 और (iv) इसके खंड 3.9.3 (ii) में वित्तीय मॉडल के प्रति निर्देशों के अपवाद सहित, किसी भी विवरण के किसी करार, विलेख, लिखत, अनुज्ञप्ति, संहिता अथवा अन्य दस्तावेज़ के प्रति किसी निर्देश का, किसी विशिष्ट समय पर, उस करार, विलेख, लिखत, अनुज्ञप्ति, संहिता अथवा अन्य

दस्तावेज़ के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा जैसा कि वह उस समय तक संशोधित, परिवर्तित, अनुपूरित, उपांतरित, निलंबित अथवा नवीकृत किया गया हो;

1.2.11 "लिखित" और "लिखित रूप में" शब्दों में फैक्सिमाइल प्रेषण तथा प्रेषण की पुष्टि सहित मूर्त और स्थायी रूप से दृश्य रूप में कृतियों को पुनरुत्पादित करने का कोई भी साधन सम्मिलित है;

1.2.12 "सम्मिलित है" और "सम्मिलित करते हुए" शब्दों का अर्थ बिना किसी परिसीमा के लगाया जाना है; तथा

1.2.13 खंडों और अनुसूचियों के बीच किसी अस्पष्टता या विसंगति की स्थिति में, खंड अभिभावी होंगे।

2 पूर्ववर्ती शर्तें, प्रारंभ और अवधि

2.1 पूर्ववर्ती शर्तें

इस करार के उपबंध (खंड 1, 2, 21, 23 से 37 तक (दोनों सम्मिलित) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न, जो तदनुसार इस करार की तिथि से पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं) उस तिथि से प्रभावी होंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे जिस तिथि को निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूर्णतः संतुष्ट हो गई हों:

(i) बीआईएएल को भूमि पट्टा करार के अधीन सभी विल्लंगमों से मुक्त स्थल का रिक्त कब्ज़ा प्रदान कर दिया गया हो;

(ii) इस खंड 2.1(ii) के प्रयोजनों के लिए इस करार को छोड़कर, प्रत्येक परियोजना करार उसके सभी पक्षकारों द्वारा निष्पादित और परिदत्त कर दिया गया हो; तथा

(iii) जोओके द्वारा बीआईएएल और ऋणदाताओं से यह अप्रतिसंहरणीय सूचना प्राप्त कर ली गई हो कि वित्तीय समापन हो गया है, जो सूचना पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।

परंतु यह कि (a) ऐसी किसी पूर्ववर्ती शर्त का जोओके और बीआईएएल के बीच लिखित करार द्वारा अधित्यजन किया जा सकता है (ख) बीआईएएल किसी भी समय जोओके को सूचना देकर उपर्युक्त (i) में निर्धारित शर्त का एकपक्षीय रूप से अधित्यजन कर सकता है तथा (ग) यदि बीआईएएल, जोओके के समाधानप्रद रूप में यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि उसके पास प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण हेतु तथा इस करार के अधीन अपने दायित्वों का निष्पादन करने में उसे समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त निधियाँ उसके व्ययन पर उपलब्ध हैं, तो जोओके उपर्युक्त (iii) में निर्धारित शर्त के अधित्यजन हेतु बीआईएएल के अनुरोध पर युक्तियुक्त रूप से विचार करेगा।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों को संतुष्ट करने के दायित्व

बीआईएएल उपर्युक्त खंड 2.1 (ii) और (iii) में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा। जोओके उपर्युक्त खंड 2.1 (i) में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

2.3 पूर्ववर्ती शर्तों की अपूर्ति

2.3.1 अपूर्ति पर समाप्ति

यदि खंड 2.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें इस करार की तिथि के छह (6) माह पश्चात् पड़ने वाली तिथि तक पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती हैं अथवा उनका अधित्यजन नहीं किया जाता है, तो बीआईएएल अथवा जोओके को, खंड 2.3.2 के अधीन रहते हुए, दूसरे पक्षकार को इक्कीस (21) दिन की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा और ऐसी सूचना की अवधि समाप्त होने पर, यह करार किसी भी पक्षकार पर किसी पारिणामिक लागत या परिणाम के बिना समाप्त हो जाएगा।

2.3.2 पूर्ति हेतु समय का विस्तार

खंड 2.3.1 में विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व किसी भी समय, पक्षकारों को लिखित पारस्परिक करार द्वारा, पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि अथवा अधित्यजन की तिथि को उतनी अवधि तक बढ़ाने का अधिकार होगा जितनी पक्षकार सहमत हों।

2.4 प्रभावी तिथि

खंड 2.1 के अधीन रहते हुए, यह करार इसके पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि को प्रभावी होगा।

3 राज्य वित्तीय सहायता

3.1 अभिस्वीकृतियाँ

3.1.1 पक्षकार यह अभिस्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि शेयरधारक, ऋणदाता और बीआईएएल, इसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों पर, बीआईएएल को राज्य वित्तीय सहायता, जो रु. 3500 मिलियन से अनधिक राशि है, उपलब्ध कराने की जोओके की प्रतिबद्धता के आधार पर और उस पर निर्भर रहते हुए परियोजना का कार्यान्वयन करने के इच्छुक हैं।

3.1.2 बीआईएएल अभिस्वीकार करता है और सहमत है कि जोओके द्वारा प्रदान की जाने वाली राज्य वित्तीय सहायता अनन्य रूप से परियोजना के प्रयोजनों के लिए है।

3.2 राज्य वित्तीय सहायता की संरचना

3.2.1 खंड 3.3 के निबंधनों के अधीन रहते हुए, जोओके, बीआईएएल को आधार राशि उपलब्ध कराएगा, जिसका विनियोग अनन्य रूप से आधार परियोजना लागत के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

3.2.2 खंड 3.4 के निबंधनों के अधीन रहते हुए, जोओके, बीआईएएल को आकस्मिक राशि भी उपलब्ध कराएगा, जिसका विनियोग अनन्य रूप से परियोजना आकस्मिकता के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

3.2.3 बीआईएएल, इसके अधीन बीआईएएल को संवितरित राज्य वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित सभी विवरण, समय-समय पर, उसी के समान प्रारूप में जोओके को उपलब्ध कराएगा जिसमें

वह ऋणदाताओं को ऋण के उपयोग से संबंधित विवरण उपलब्ध कराता है, जब तक कि जोओके किसी विशिष्ट प्रारूप में ऐसे विवरणों का अन्यथा अनुरोध न करे।

3.3 आधार राशि

पक्षकार सहमत हैं कि:-

- (i) जोओके इसके खंड 3.5.1 के अनुसार आधार राशि का संवितरण करेगा। एक सांकेतिक किंतु गैर-बाध्यकारी आहरण अनुसूची अनुबंध 3 पर संलग्न है;
- (ii) जिस सीमा तक वास्तविक परियोजना लागत में से बीआईएएल द्वारा वास्तव में उपयोग की गई परियोजना आकस्मिकता घटाने पर प्राप्त राशि आधार परियोजना लागत से अधिक होती है, उस सीमा तक जोओके का आधार राशि से अधिक कोई राशि बीआईएएल को भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

3.4 आकस्मिक राशि

3.4.1 आकस्मिक राशि का संवितरण केवल इसके खंड 3.5.2 के अनुसार किया जाएगा। जिस सीमा तक परियोजना आकस्मिकता के संबंध में बीआईएएल द्वारा वास्तव में अपेक्षित राशि आकस्मिक राशि से कम है, उस सीमा तक शेष आकस्मिक राशि न तो बीआईएएल को प्रोद्भूत होगी और न ही उसे देय होगी।

3.4.2 इस खंड 3.4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परियोजना आकस्मिकता के संबंध में बीआईएएल द्वारा वास्तव में अपेक्षित राशि आकस्मिक राशि से अधिक होती है, तो जोओके का आकस्मिक राशि से अधिक परियोजना आकस्मिकता हेतु कोई राशि बीआईएएल को भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

3.4.3 पक्षकार सहमत हैं कि परियोजना आकस्मिकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु आशयित हैं और आकस्मिक राशि का उपयोग केवल उनके संबंध में किया जा सकता है:

- i. ईपीसी संविदाओं के अधीन बीआईएएल द्वारा कार्यक्षेत्र अथवा विनिर्देशों में कोई परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप उनके अधीन सकल संविदा मूल्य में वृद्धि होती है, जैसा कि इसके खंड 3.4.6 के अधीन त्रैमासिक मिलान में दर्शाया गया हो;
- ii. वित्तीय मॉडल की परियोजना लागत विवरणी में/हेतु मानी गई दर(दरों) से विदेशी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण ईपीसी संविदाओं के अधीन आयातित उपस्कर और संबंधित लागतों में शुद्ध वृद्धि;
- iii. वित्तीय मॉडल की परियोजना लागत विवरणी में प्रतिबिंबित प्रचालन-पूर्व लागतों में कोई वृद्धि;
- iv. वित्तीय मॉडल की परियोजना लागत विवरणी में प्रतिबिंबित करों, बीमा, शुल्कों, उद्ग्रहणों, फीसों में कोई वृद्धि; तथा

v. वित्तीय मॉडल की परियोजना लागत विवरणी में प्रतिबिंबित वित्तपोषण लागतों में, निर्माण के दौरान ब्याज सहित, कोई वृद्धि।

इस करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बीआईएएल परियोजना की विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु, भारत के बाहर स्थित निजी प्रवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले इक्विटी निवेश को प्रतिधारित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन सहित सभी विनियामक अनुमोदन प्राप्त करके विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

3.4.4 परियोजना आकस्मिकता के संबंध में, जिसका उपयोग स्थायी आस्तियों के सृजन हेतु किया जाना है, जोओके आकस्मिक राशि केवल बीआईएएल द्वारा निम्नलिखित प्राप्त किए जाने पर ही निर्मुक्त करेगा:

(i) अपने निदेशक मंडल का पूर्व अनुमोदन, जो सम्यक् रूप से आयोजित ऐसी बैठक में दिया गया हो जिसमें केएसआईडीसी का कम से कम एक (1) नामिती उपस्थित हो; तथा

(ii) ऋणदाताओं का पूर्व लिखित अनुमोदन (स्वतंत्र अभियंता के प्रमाणन द्वारा समर्थित)।

3.4.5 परियोजना आकस्मिकता के संबंध में, जिसका उपयोग स्थायी आस्तियों के सृजन हेतु नहीं किया जा रहा है, बीआईएएल आकस्मिक राशि की निर्मुक्ति हेतु जोओके का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा। जोओके अपना अनुमोदन अयुक्तियुक्त रूप से नहीं रोकेगा, परंतु यह कि बीआईएएल के निदेशक मंडल ने संबंधित आहरण अनुरोध को अनुमोदित कर दिया हो (जिस अनुमोदन में केएसआईडीसी के कम से कम एक (1) नामिती का सकारात्मक मत सम्मिलित हो) और ऋणदाताओं ने अनुरोध को अनुमोदित कर दिया हो। यदि अनुमोदन हेतु जोओके को आवेदन किए जाने के इक्कीस (21) दिनों के भीतर जोओके से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा अनुमोदन ऐसे आवेदन के पश्चात् 22वें दिन दिया गया माना जाएगा।

3.4.6 बीआईएएल परियोजना आकस्मिकता और आकस्मिक राशि के उपयोग हेतु पृथक् लेखांकन की एक प्रणाली अनुरक्षित करेगा। ऐसी लेखांकन प्रणाली में उपर्युक्त खंड 3.4.3 (i) से (v) में दिए गए कारकों के कारण लागतों में किसी भिन्नता और वृद्धि या कमी के शुद्ध प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। इसके संदर्भ में, बीआईएएल त्रैमासिक आधार पर खंड 3.4.3 के अधीन उसके द्वारा वास्तव में उपयोग की गई परियोजना आकस्मिकता का मिलान करेगा। यदि जोओके विनिर्दिष्ट रूप से बीआईएएल से पूर्वोक्त पृथक् लेखांकन को किसी विशिष्ट प्रारूप में अनुरक्षित करने का अनुरोध करता है, तो बीआईएएल उसका अनुपालन करेगा।

3.5 संवितरण

बीआईएएल, प्रस्तावित संवितरण की तिथि से इक्कीस (21) कार्य दिवस पूर्व, पूर्वाह्न 11.30 बजे (बंगलौर समय) के पश्चात् नहीं, जोओके को सम्यक् रूप से पूर्ण किया गया संवितरण अनुरोध परिदत्त करके राज्य वित्तीय सहायता के संवितरण की मांग कर सकता है।

प्रत्येक संवितरण अनुरोध अप्रतिसंहरणीय है और उसे सम्यक् रूप से पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि:

3.5.1 आधार राशि के मामले में, संवितरण अनुरोध प्रस्तावित संवितरण से इक्कीस (21) कार्य दिवस पूर्व प्रस्तुत किया गया हो; तथा

(i) नीचे उप-खंड (v) में यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय, आधार राशि के संवितरण हेतु अनुरोध उसी समय किया गया हो जिस समय वित्तपोषण करारों के अधीन आहरण हेतु अनुरोध किया गया हो;

(ii) नीचे उप-खंड (v) में यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय, ऐसे संवितरण अनुरोध के अधीन बीआईएएल द्वारा अनुरोधित राशि इस करार और वित्तपोषण करारों के अधीन बीआईएएल द्वारा उस समय अनुरोधित की जा रही कुल राशि के प्रतिशत से अधिक न हो;

(iii) इसमें उस खाते और बैंक को विनिर्दिष्ट किया गया हो जिसमें संवितरण की आगम राशि जमा की जानी है; तथा

(iv) हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक सौ बीस (120) दिनों के पश्चात् कोई आधार राशि संवितरण अनुरोध नहीं किया जाएगा। परंतु यह कि हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि को बीआईएएल और ईपीसी संविदाकारों के बीच किसी विवाद(विवादों) ("ईपीसी विवाद") की विषयवस्तु बनी किन्हीं राशियों के संबंध में, यदि:

(क) बीआईएएल ने हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि को जोओके को ऐसे ईपीसी विवाद(विवादों) की एक प्रारंभिक सूची प्रस्तुत कर दी हो; तथा

(ख) बीआईएएल ने हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के नब्बे (90) दिनों के भीतर जोओके को उपर्युक्त खंड (क) के अधीन उपलब्ध कराई गई ईपीसी विवाद(विवादों) की सूची से संबंधित सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिए हों; तथा

(ग) उपर्युक्त खंड (क) के अनुसरण में बीआईएएल द्वारा सूचीबद्ध ईपीसी विवाद(विवादों) में से किसी का भी हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक (1) वर्ष के भीतर निश्चायक रूप से अवधारण / निपटान कर दिया गया हो,

तो बीआईएएल हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक सौ बीस (120) दिनों के पश्चात् भी, किंतु हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक (1) वर्ष के पश्चात् नहीं, आधार राशि संवितरण अनुरोध करने का हकदार होगा।

(v) निम्नलिखित में से पूर्वतर के घटित होने पर:

(क) हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि से एक सौ बीस (120) दिनों की समाप्ति; अथवा

(b) खंड 3.7 के अनुसरण में जोओके को प्रतिदाय किया जाना,

इस खंड 3.5.1 के उप-खंड (i) और (ii) किसी आधार राशि संवितरण अनुरोध पर लागू नहीं होंगे।

3.5.2 आकस्मिक राशि के मामले में, आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध प्रस्तावित संवितरण से इक्कीस (21) कार्य दिवस पूर्व प्रस्तुत किया गया हो;

(i) इसमें उस खाते और बैंक को विनिर्दिष्ट किया गया हो जिसमें संवितरण की आगम राशि जमा की जानी है;

(ii) इसमें वे प्रयोजन विनिर्दिष्ट किए गए हों जिनके लिए इसकी मांग की जा रही है;

(iii) इसके साथ निम्नलिखित संलग्न हों:

(a) यदि स्थायी आस्तियों के सृजन हेतु है, तो खंड 3.4.4 के अनुसार निदेशक मंडल का उचित प्राधिकार और ऋणदाताओं का अनुमोदन,

(b) यदि स्थायी आस्तियों के सृजन हेतु नहीं है, तो खंड 3.4.5 के अनुसार निदेशक मंडल का उचित प्राधिकार, ऋणदाताओं का अनुमोदन और जोओके का पूर्व लिखित अनुमोदन; तथा

(iv) हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक सौ बीस (120) दिनों के पश्चात् कोई आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध नहीं किया जाएगा। परंतु यह कि हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि को बीआईएएल और ईपीसी संविदाकारों के बीच किसी विवाद(विवादों) ("ईपीसी विवाद") की विषयवस्तु बनी किन्हीं राशियों के संबंध में, यदि,

(क) बीआईएएल ने हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि को जोओके को ऐसे ईपीसी विवाद(विवादों) की एक प्रारंभिक सूची प्रस्तुत कर दी हो; तथा

(ख) बीआईएएल ने हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के नब्बे (90) दिनों के भीतर जोओके को उपर्युक्त खंड (a) के अधीन उपलब्ध कराई गई ईपीसी विवादों की सूची से संबंधित सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिए हों; तथा

(ग) उपर्युक्त खंड (क) के अनुसरण में बीआईएएल द्वारा सूचीबद्ध ईपीसी विवाद(विवादों) में से किसी का भी हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक (1) वर्ष के भीतर निश्चायक रूप से अवधारण / निपटान कर दिया गया हो;

तो बीआईएएल हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक सौ बीस (120) दिनों के पश्चात् भी, किंतु हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक (1) वर्ष के पश्चात् नहीं, आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध करने का हकदार होगा।

3.6 राज्य वित्तीय सहायता की समयबद्ध निर्मुक्ति हेतु प्रतिभूति

वित्तीय समापन से लेकर हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के नब्बे (90) दिनों पश्चात् तक की अवधि के लिए, जोओके यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, इस करार के अनुबंध 2 के रूप में संलग्न प्रपत्र में सारतः, बीआईएएल को और उसके पक्ष में, राज्य वित्तीय सहायता की पूर्ण राशि में से इस खंड 3 के अधीन जोओके द्वारा समय-समय पर किए गए किन्हीं संवितरणों की कुल राशि घटाकर शेष राशि के संबंध में एक पत्र जारी किया जाए।

3.7 राज्य वित्तीय सहायता का अंतिम लेखांकन और प्रतिदाय

(i) हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर, बीआईएएल वास्तविक परियोजना लागत का अवधारण (नीचे (ii) में निर्धारित रीति से) करेगा। यदि वास्तविक परियोजना लागत परियोजना लागत से कम होती है, तो बीआईएएल तत्काल जोओके को निम्नलिखित के बराबर राशि का प्रतिदाय करेगा:

(a) परियोजना लागत और वास्तविक परियोजना लागत के बीच का अंतर, घटाएँ

(b) किसी राज्य वित्तीय सहायता की वह राशि जो हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि तक बीआईएएल को संवितरित नहीं की गई थी।

परंतु यह कि प्रतिदाय की जाने वाली राशि हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि तक बीआईएएल को वास्तव में संवितरित राज्य वित्तीय सहायता से अधिक नहीं होगी।

(ii) वास्तविक परियोजना लागत के अवधारण के प्रयोजन हेतु, परियोजना लागत की किन्हीं मदों से संबंधित राशियों की, निर्माण के दौरान ब्याज सहित, गणना केवल हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि तक की अवधि के लिए की जाएगी। बीआईएएल द्वारा एक उचित लेखांकन प्रणाली और लेखांकन नीति लागू की जाएगी ताकि हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के पश्चात् की परियोजना लागत और प्रचालन लागतों का पृथक् रूप से लेखा किया जाए, जिससे परियोजना लागत के साथ वास्तविक परियोजना लागत का समयबद्ध और सटीक मिलान सुनिश्चित हो सके। बीआईएएल के सांविधिक लेखापरीक्षक ऐसे मिलान को प्रमाणित करेंगे। जोओके, बीआईएएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए मिलान को जोओके के समाधानप्रद रूप में सत्यापित और पुष्ट करने हेतु किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र परामर्शदाता/लेखापरीक्षा फर्म को नियुक्त कर सकता है।

(iii) यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि

(a) यदि भारत सरकार द्वारा आयात/सीमा शुल्क में कोई छूट अथवा कमी अथवा उसका प्रतिदाय होता है (वित्तीय मॉडल की परियोजना लागत विवरणी में प्रतिबिंबित शुल्क की तुलना में), तो ऐसी छूट/कमी/प्रतिदाय से राज्य वित्तीय सहायता में तदनुरूपी कमी होगी अथवा उसका प्रतिदाय होगा; और/अथवा

(b) यदि और जब एमआई द्वारा अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित अग्रिम विकास फीस में से बीआईएएल को कोई धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसी धनराशि का समायोजन या तो राज्य वित्तीय सहायता में कमी अथवा उसके प्रतिदाय के रूप में किया जाएगा।

खंड 3.7(iii) (क) और/अथवा (ख) में परिकल्पित घटना(घटनाओं) के घटित होने पर, उसमें निर्दिष्ट राज्य वित्तीय सहायता की कमी / प्रतिदाय हेतु तंत्र पर पक्षकारों के बीच हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि के पश्चात् 120 दिनों के भीतर पारस्परिक सहमति बनाई जाएगी।

(iv) उपर्युक्त खंड 3.7 (i) के अनुसार राज्य वित्तीय सहायता का प्रतिदाय स्वतंत्र होगा और ईपीसी संविदाकारों के साथ किन्हीं विवादों के संबंध में उपर्युक्त खंड 3.5.1 (iv) और खंड 3.5.2(iv) के अनुसार राज्य वित्तीय सहायता के पश्चात्तर्ती संवितरण करने के जोओके के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

3.8 रियायत करार की समाप्ति पर राज्य वित्तीय सहायता का प्रतिदाय

भारत सरकार व्यतिक्रम घटना (जैसा कि उसमें परिभाषित है) हेतु रियायत करार की समाप्ति की स्थिति में और बीआईएएल द्वारा उसके अधीन निपटान राशि प्राप्त किए जाने पर, बीआईएएल, जोओके को राज्य वित्तीय सहायता की वह राशि पुनर्भुगतान करेगा जो रियायत करार की समाप्ति की तिथि को बकाया है। पुनर्भुगतान भारत सरकार द्वारा निपटान राशि के भुगतान के साठ (60) दिनों के भीतर किया जाएगा।

3.9 निपटान राशि का वितरण

3.9.1 निम्नलिखित की स्थिति में

- (i) इस करार के अधीन जोओके द्वारा व्यतिक्रम; तथा
- (ii) बीआईएएल द्वारा जोओके से निपटान राशि की प्राप्ति

पक्षकार इसमें नीचे खंड 3.9.2 से 3.9.5 में निर्धारित कार्यवाही पर सहमत हुए हैं।

3.9.2 बीआईएएल प्रथमतः निपटान राशि का उपयोग निम्नलिखित हेतु करेगा:

- (i) वित्तपोषण करार के अधीन देय और बकाया किसी धनराशि का पुनर्भुगतान करना;
- (ii) असुरक्षित लेनदारों को देय सभी राशियों का, कर्मचारी और सांविधिक देयों सहित, जैसा कि उसकी लेखा-बहियों में प्रतिबिंबित हो और उसके लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से लेखापरीक्षित हो, भुगतान करना अथवा उनके लिए प्रावधान करना।

उपर्युक्त (i) और (ii) के अधीन राशियों को "तृतीय पक्ष दायित्व" कहा गया है।

3.9.3 तत्पश्चात् बीआईएएल निम्नलिखित के बराबर राशि पृथक् रखेगा ("पृथक् रखी गई राशि"):

- (i) इक्विटी शेयर पूंजी का सममूल्य; जमा
- (ii) बीआईएएल द्वारा इक्विटी अभिदान धनराशि की प्राप्ति की तिथि से अंतरण तिथि तक की अवधि हेतु, वित्तीय मॉडल में यथा उपबंधित रुपये के संदर्भ में कर-पश्चात् 20 वर्षीय इक्विटी IRR के समतुल्य दर पर प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर प्रतिफल को दर्शाने वाली राशि, जिसमें से अंतरण तिथि तक शेयरधारकों को भुगतान किए गए कोई लाभांश (सूचकांकित रूप में) घटाए जाएंगे।

3.9.4 तत्पश्चात्, बीआईएएल तत्काल इस करार के अधीन बकाया कोई धनराशि जोओके को पुनर्भुगतान करेगा ("एसएसए बकाया राशि")।

3.9.5 केवल नीचे खंड 3.9.6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए; यदि तृतीय पक्ष दायित्वों, पृथक् रखी गई राशि और एसएसए बकाया राशि का योग जोओके से बीआईएएल द्वारा प्राप्त निपटान राशि से अधिक है, तो एसएसए बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने का बीआईएएल का दायित्व घटकर उतनी राशि तक रह जाएगा जितनी तृतीय पक्ष दायित्वों के भुगतान के पश्चात् और पृथक् रखी गई राशि के समायोजन के पश्चात् बीआईएएल के पास उपलब्ध है।⁶ पुनर्भुगतान जोओके द्वारा निपटान राशि के भुगतान के साथ-साथ किया जाएगा।

3.9.6 यदि इस करार के उपबंधों के अधीन हवाई अड्डे के अंतरण के पश्चात् बीआईएएल के परिसमापन पर, अन्य सभी शेष दायित्वों, यदि कोई हों, की पूर्ति के पश्चात् वितरण हेतु कोई अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध होती हैं, तो ऐसी अवशिष्ट निधियाँ भी राज्य वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, के लिए उस सीमा तक देय हो जाएँगी जिस सीमा तक खंड 3.9.5 के लागू होने के कारण उसका पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका।

3.10 पुनर्भुगतान

3.10.1 यथास्थिति, खंड 3.8, 3.9 अथवा 3.10.3 के अधीन रहते हुए, बीआईएएल अनुसूची 10 के निबंधनों के अनुसार राज्य वित्तीय सहायता के अधीन बकाया राशियों के योग में कमी हेतु पुनर्भुगतान किस्तों का भुगतान करेगा।

3.10.2 बीआईएएल राज्य वित्तीय सहायता के किसी ऐसे भाग को पुनः उधार नहीं लेगा जिसका पुनर्भुगतान किया जा चुका है।

3.10.3 खंड 3.10.1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि बीआईएएल की नकदी स्थिति, उसके व्यावसायिक दायित्वों, सांविधिक आरक्षितियों हेतु प्रावधान, लाभांशों, अनुमोदित विस्तार और ऋण सेवा दायित्व की पूर्ति को ध्यान में रखने के पश्चात्, अधिशेष है, तो बीआईएएल ऐसे अधिशेष का उपयोग बकाया राज्य वित्तीय सहायता के पूर्वतर/त्वरित पुनर्भुगतान और/अथवा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विनिर्दिष्ट एकमुश्त पुनर्भुगतानों हेतु करेगा।

3.11 ब्याज

इस खंड 3 के अनुसरण में बीआईएएल को भुगतान की गई राज्य वित्तीय सहायता की बकाया राशियों पर बीआईएएल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। परंतु यह कि इसके खंड 36 के अनुसार किस्तों के विलंबित पुनर्भुगतान पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

4 हवाई अड्डे का विकास

4.1 पक्षकारों का आशय है कि हवाई अड्डे का विकास विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा।

4.2 बीआईएएल :-

(i) नियोक्ता की अपेक्षाओं में परिकल्पित रीति से प्रारंभिक चरण का, और जिस सीमा तक हाथ में लिया जाए, हवाई अड्डे के किसी विस्तार का, उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अभिकल्पन, उपापन, निर्माण, समापन, परीक्षण और चालू करेगा;

(ii) उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार, हवाई अड्डे के संबंध में किन्हीं त्रुटियों का उपचार करेगा; तथा

(iii) ऐसे क्रियाकलापों से बीआईएएल हेतु राजस्व का उत्तरोत्तर उच्चतर अंश सृजित करने के उद्देश्य से गैर-हवाई अड्डा क्रियाकलापों के विकास को बढ़ावा देगा।

4.3 हवाई अड्डे का संवर्धन और विस्तार

4.3.1 बीआईएएल (i) हवाईअड्डे को एक वाणिज्यिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने; तथा (ii) क्षेत्र की क्षमता के अनुरूप यात्री और कार्गो यातायात की वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विपणन, संवर्धन और ब्रांड निर्माण क्रियाकलाप करेगा।

4.3.2 बीआईएएल, बढ़ी हुई मांग, निधियों की उपलब्धता, उस समय हवाई अड्डे के आर्थिक और लाभप्रद प्रचालन तथा खंड 7.5 के अनुसार प्रचालन मानकों के अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए और उनके अधीन रहते हुए, हवाई अड्डे के विस्तार हेतु विस्तृत प्रस्ताव विकसित और कार्यान्वित करेगा।

4.3.3 जिस सीमा तक बीआईएएल गैर-हवाई अड्डा क्रियाकलापों के प्रावधान के संबंध में कोई पूंजी निवेश, राशियाँ अथवा लागतें वहन करता है और यह अपेक्षा करता है कि ऐसे निवेश, राशियाँ अथवा लागतें समाप्ति राशि अथवा निपटान राशि की गणना में सम्मिलित की जाएँ, बीआईएएल, अपने निदेशक मंडल का और शेयरधारक करार के खंड 9.4 के अधीन सर्वसम्मति अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, जोओके की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करेगा। जोओके, जिस तिथि को जोओके को आवेदन किया जाता है उससे एक (1) वर्ष की अवधि के भीतर बीआईएएल को ऐसी सहमति प्रदान करेगा, जो तिथि रियायत करार के अनुच्छेद 7.2 के अधीन भारत सरकार का अनुमोदन मांगते हुए भारत सरकार को किए गए आवेदन से पूर्व की नहीं होगी। जिस सीमा तक जोओके ऐसी एक (1) वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी सहमति देने में विफल रहता है, बीआईएएल को जोओके से ऐसी सहमति प्राप्त हुई मानी जाएगी। इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बीआईएएल, रियायत करार के अनुच्छेद 7.2 के अधीन भारत सरकार का अनुमोदन मांगते समय, रियायत करार के अनुच्छेद 7.2 के अधीन भारत सरकार को किए गए अपने अनुरोध की एक प्रति जोओके को पृष्ठांकित करेगा।

4.4 मास्टर प्लान

बीआईएएल प्रत्येक पाँच (5) वर्षों में मास्टर प्लान की समीक्षा करेगा। यदि ऐसी समीक्षा पर बीआईएएल हवाई अड्डे पर परिवर्तित परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने हेतु मास्टर प्लान को संशोधित करना आवश्यक समझता है, तो बीआईएएल मास्टर प्लान को संशोधित करेगा और जोओके को, यथोचित स्पष्टीकरणों सहित, ऐसे संशोधित मास्टर प्लान की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

4.5 स्वतंत्र अभियंता

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र अभियंता द्वारा तैयार की गई और वित्तपोषण करारों के निबंधनों के अनुसरण में ऋणदाताओं को प्रस्तुत की गई कोई भी रिपोर्ट और प्रमाणपत्र तथा किसी भावी वित्तपोषण के अनुसरण में नियुक्त किसी स्वतंत्र अभियंता की कोई रिपोर्ट भी जोओके को प्रतिलिपि की जाए, ताकि जोओके हवाई अड्डे के निर्माण और चालू किए जाने की प्रगति की निगरानी कर सके।

बीआईएएल यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र अभियंता, हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि से पूर्व, इसके साथ संलग्न अनुसूची 12 के अनुसार प्ररूप और सार में जोओके को एक "समापन प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करे।

4.6 प्रारंभिक चरण

बीआईएएल, जोओके के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, प्रारंभिक चरण हेतु विनिर्देश (जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 में वर्णित है) में परिवर्तन नहीं करेगा और यह सहमति है कि नियोक्ता की अपेक्षाएँ केवल उसी के अनुसरण में हैं।

4.7 बीकन भूमि

बीआईएएल परियोजना हेतु बीकन भूमि का उपापन करेगा। जोओके इस संबंध में बीआईएएल को ऐसी सहायता प्रदान करेगा जैसी वह युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे।

4.8 बीआईएएल के सूचना दायित्व

4.8.1 प्रगति रिपोर्ट

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैयार की गई और वित्तपोषण करारों के निबंधनों के अनुसरण में ऋणदाताओं को प्रस्तुत की गई कोई भी रिपोर्ट और प्रमाणपत्र जोओके को भी प्रतिलिपि किए जाएँ ताकि जोओके हवाई अड्डे के निर्माण और चालू किए जाने की प्रगति की निगरानी कर सके। यदि ऋण के पुनर्भुगतान पर अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिपोर्ट और प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बीआईएएल के दायित्व समाप्त हो जाते हैं, तो बीआईएएल, जोओके को प्रगति रिपोर्ट (उसी प्रकार के प्रारूपों में और उसी आवधिकता में जिसमें वह ऋणदाताओं को प्रस्तुत कर रहा था) भेजना जारी रखेगा ताकि जोओके हवाई अड्डे के विकास और प्रचालन की निगरानी कर सके।

4.8.2 अधिसूचना

वित्तपोषण करारों के अधीन किसी व्यतिक्रम की स्थिति में, बीआईएएल तत्काल जोओके को ऐसी घटना की अधिसूचना देगा और तत्काल जोओके को ऐसी व्यतिक्रम घटना की किसी सूचना की एक प्रति उपलब्ध कराएगा, जो या तो उसके द्वारा जारी की गई हो या उसे प्राप्त हुई हो, और ऐसे व्यतिक्रमों से संबंधित किन्हीं घटनाक्रमों के बारे में जोओके को समय-समय पर सूचित रखेगा।

5 हवाई अड्डे का निर्माण

5.1 निर्माण

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि संकर्म तथा उनके संबंध में अंतर्वलित सभी कार्य, सामग्रियाँ, उपस्कर, प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ भी लागू विधि के अनुरूप और उसके अनुसार हों।

5.2 स्थल और सामग्रियाँ

5.2.1 स्थल का संगठन

बीआईएएल निर्माण की अवधि के दौरान सुरक्षा सावधानियों, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, माल, सामग्रियों, संयंत्र और उपस्कर के परिदान, प्रदूषण नियंत्रण, सक्षम कार्मिकों और श्रमिकों के

अनुरक्षण तथा औद्योगिक संबंधों और सामान्य स्थल सेवाओं के संबंध में स्थल का संगठन करेगा, जिनमें, बिना किसी परिसीमा के, स्थल तक और स्थल पर पहुँच, संविदाकारों और उप-संविदाकारों के कार्यालयों और परिसरों हेतु स्थान का आवंटन तथा स्थल तक पहुँच को केवल प्राधिकृत व्यक्तियों तक सीमित करना सम्मिलित है।

5.2.2 सामग्रियाँ

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि संकर्मों में केवल ऐसी सामग्रियाँ और माल सम्मिलित हों जो सुदृढ़ और विपणन योग्य गुणवत्ता के हों और जिनका विनिर्माण और तैयारी उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार की गई हो तथा सभी कारीगरी लागू विधि के अनुसार और निर्माण और/अथवा संस्थापन के समय लागू सुदृढ़ निर्माण पद्धति के अनुसार हो।

5.2.3 निर्माण रिपोर्टिंग

बीआईएएल, यथाशीघ्र युक्तियुक्त रूप से साध्य, जोओके को निर्माण की प्रगति से संबंधित सभी रिपोर्टों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा जैसी कि बीआईएएल से वित्तपोषण करारों के निबंधनों के अनुसार निर्माण चरण के दौरान ऋणदाताओं को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

6 हवाई अड्डा प्रारंभ

6.1 निर्माण का प्रारंभ

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक चरण का निर्माण वित्तीय समापन के ठीक पश्चात् साठ (60) दिनों पर पड़ने वाली तिथि से अनधिक पश्चात् प्रारंभ हो जाए, परंतु यह कि ऐसी तिथि को निम्नलिखित के कारण अथवा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न किन्हीं विलंबों के संदर्भ में समायोजित किया जाएगा:

- (i) कोई अप्रत्याशित घटना; और/अथवा
- (ii) बीआईएएल द्वारा इसके अधीन यथा अनुरोधित राज्य वित्तीय सहायता का कोई भाग बीआईएएल को भुगतान करने में जोओके की विफलता, परंतु यह कि ऐसा कोई अनुरोध उपर्युक्त खंड 3.5 में परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो और आगे परंतु यह कि [भारतीय स्टेट बैंक] ने ऐसी विफलता से उत्पन्न कमी को पूरा करने हेतु पर्याप्त राशि में धनराशि का भुगतान नहीं किया हो; और/अथवा
- (iii) केएसआईडीसी द्वारा भूमि पट्टा करार का तात्त्विक उल्लंघन; और/अथवा
- (iv) शेयरधारक करार के खंड 7 के अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन में एआईएएल अथवा केएसआईडीसी द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब;

परंतु यह कि उपर्युक्त (ii) और (iii) के संबंध में ऐसी विफलता अथवा विलंब बीआईएएल द्वारा संबंधित करार के निबंधनों का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न न हुआ हो।

6.2 हवाई अड्डा प्रारंभ

बीआईएएल प्रारंभिक चरण का निर्माण पूर्ण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि वित्तीय समापन के तैंतीस (33) माह पश्चात् पड़ने वाली तिथि से अनधिक पश्चात् हो, परंतु यह कि ऐसी तिथि को निम्नलिखित के कारण अथवा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न किन्हीं विलंबों के संदर्भ में समायोजित किया जाएगा:

- (i) कोई अप्रत्याशित घटना; और/अथवा
- (ii) रियायत करार के अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन में भारत सरकार द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब; और/अथवा
- (iii) इस करार के अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन में जीओके द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब; और/अथवा
- (iv) भूमि पट्टा करार के अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन में केएसआईडीसी द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब; और/अथवा
- (v) सीएनएस/एटीएम करार के अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन में एएआई द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब; और/अथवा
- (vi) शेयरधारक करार के खंड 7 के अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन में एमआई अथवा केएसआईडीसी द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब; और/अथवा
- (vii) रियायत करार के निबंधनों के अनुसार अपनी सेवाओं के निष्पादन में किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई विफलता अथवा कोई विलंब;

परंतु यह कि (ii) से (vii) के संबंध में ऐसी विफलता अथवा विलंब बीआईएएल द्वारा संबंधित करार के निबंधनों का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न न हुआ हो।

6.3 हवाईअड्डा आरंभ में विलंब

6.3.1 खंड 6.2 के अंतर्गत बीआईएएल के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि खंड 6.2 के परंतुक में उल्लिखित किसी कारण या हेतुक से भिन्न किसी कारण से बीआईएएल के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि हवाईअड्डा आरंभ, हवाईअड्डा आरंभ लक्ष्य तिथि तक नहीं होगा, तो बीआईएएल यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, जीओके को सूचित करेगा।

6.3.2 उपर्युक्त खंड 6.3.1 तथा खंड 6.2 के अंतर्गत बीआईएएल के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्तीय समापन के तीस (30) माह पश्चात् पड़ने वाली तिथि से, बीआईएएल, 20 दिन की सूचना पर, इस संबंध में एक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा कि वह हवाईअड्डा आरंभ कब होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा करता है। यदि बीआईएएल यह मानता है कि खंड 6.2 के परंतुक में उल्लिखित किसी कारण या हेतुक से भिन्न किसी कारण से हवाईअड्डा आरंभ, हवाईअड्डा आरंभ लक्ष्य तिथि तक नहीं होगा, तो बीआईएएल, जीओके को वे कारण भी बताएगा जिनके आधार पर वह हवाईअड्डा आरंभ में विलंब

की प्रत्याशा करता है, तथा वे उपाय भी बताएगा जिन्हें बीआईएएल यह सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित कर रहा है कि हवाईअड्डा आरंभ यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, हो जाए।

6.3.3 यदि जीओके युक्तियुक्त रूप से यह मानती है कि खंड 6.3.2 के अनुसरण में बीआईएएल द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत है, तो वह स्वतंत्र अभियंता से यह अनुरोध करने की हकदार होगी कि वह इस संबंध में अपना प्राक्कलन प्रस्तुत करे कि वह हवाईअड्डा आरंभ कब होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा करता है तथा हवाईअड्डा आरंभ में किसी विलंब के क्या कारण हैं। इस खंड 6.3.3 के अंतर्गत जीओके के किसी अनुरोध के अनुसरण में स्वतंत्र अभियंता द्वारा उपगत लागत बीआईएएल के लेखे होगी।

6.3.4 खंड 6.2 के अंतर्गत बीआईएएल के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि बीआईएएल किसी भी समय जीओके को यह अधिसूचित करता है कि उसे प्रत्याशा है कि हवाईअड्डा आरंभ, हवाईअड्डा आरंभ लक्ष्य तिथि तक नहीं होगा, तो पक्षकार उसके परिणामों को कम करने तथा हवाईअड्डा आरंभ में विलंब उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से शीघ्रतापूर्वक निपटने हेतु मिलकर कार्य करेंगे। यदि हवाईअड्डा आरंभ किसी भी कारण से विलंबित होता है, तो बीआईएएल नियमित आधार पर (जो मासिक से कम नहीं होगा) जीओके को (i) उन उपायों से, जो वह यह सुनिश्चित करने हेतु कर रहा है कि हवाईअड्डा आरंभ यथासंभव शीघ्र हो, तथा (ii) उस तिथि से, जिस तिथि को वह हवाईअड्डा आरंभ होने की प्रत्याशा करता है, अवगत कराता रहेगा।

7 प्रचालन एवं अनुरक्षण

7.1 हवाईअड्डा प्रचालन एवं अनुरक्षण

बीआईएएल उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन एवं अनुरक्षण करेगा। बीआईएएल हवाईअड्डे के प्रचालन एवं अनुरक्षण में सदैव लागू विधियों का अनुपालन करेगा तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण योजना, जिसकी सांकेतिक रूपरेखा इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 में दी गई है, के अनुसार हवाईअड्डे का अनुरक्षण करेगा और उसे अच्छी प्रचालन मरम्मत एवं दशा में रखेगा। बीआईएएल वित्तीय समापन से एक (1) वर्ष के भीतर जीओके को प्रचालन एवं अनुरक्षण योजना प्रस्तुत करेगा।

बीआईएएल, युक्तियुक्त रूप से आवश्यक सीमा तक, हवाईअड्डे का नवीकरण, प्रतिस्थापन एवं उन्नयन भी करेगा, जिसमें इन प्रयोजनों हेतु वे प्रणालियाँ या उपस्कर सम्मिलित नहीं होंगे जिनका प्रचालन सीएनएस/एटीएम करार की शर्तों के अनुसार एएआई द्वारा किया जाना है।

समस्त प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत एवं अन्य कार्य इस रीति से किए जाएँगे कि हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम असुविधा हो। यदि किसी प्रचालन, अनुरक्षण, मरम्मत या अन्य कार्य के कारण किसी भी अवधि के लिए किसी विमान के अवतरण या उड़ान को बाधित या निलंबित करना अथवा हवाईअड्डे को बंद करना आवश्यक हो, तो बीआईएएल, आपात स्थिति को छोड़कर, डीजीसीए तथा हवाईअड्डे के सभी प्रभावित उपयोगकर्ताओं को उसकी ऐसी पूर्व लिखित सूचना देगा जैसी डीजीसीए समय-समय पर युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे।

7.2 [जानबूझकर रिक्त छोड़ा गया]

7.3 हवाईअड्डे का निरंतर प्रचालन

7.3.1 समुचित सुविधाओं की स्थापना एवं लागू विधि के अनुपालन के अधीन रहते हुए, बीआईएएल हवाईअड्डे का प्रचालन करने तथा दिन एवं रात्रि दोनों समयों में किसी भी समय विमानों की उड़ान एवं अवतरण की अनुमति देने का हकदार एवं बाध्य होगा, जब तक और जिस अवधि तक बीआईएएल किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोई आरक्षित गतिविधि उपलब्ध कराने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसा करने में असमर्थ न हो।

7.3.2 खंड 7.3.1 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्षकार को यह प्रत्याशा हो कि बीआईएएल दिन एवं रात्रि दोनों समयों में हवाईअड्डे का प्रचालन करने में समर्थ नहीं होगा, तो वह यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, दूसरे पक्षकार को उसके कारणों की तथा खंड 7.3.1 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु बीआईएएल द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे या कार्यान्वित किए जाने हेतु आशयित उपायों की अधिसूचना देगा।

7.4 प्रचालन एवं अनुरक्षण की निगरानी

पक्षकार हवाईअड्डे से होकर यात्रा करने के समग्र अनुभव के संबंध में यात्रियों की संतुष्टि सुनिश्चित करना चाहते हैं तथा यह स्वीकार करते हैं कि यह अनुभव विभिन्न सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु परस्पर क्रिया करने वाले अनेक निकायों का परिणाम है। हवाईअड्डे पर सेवाओं के प्रावधान हेतु बीआईएएल मुख्य रूप से उत्तरदायी है तथा वह हवाईअड्डे पर सुविधाओं, मानकों एवं सेवाओं में सुधार हेतु कार्य करेगा।

7.5 निष्पादन मानक

7.5.1 इस करार की संपूर्ण अवधि के दौरान इस खंड 7 के अनुसार यात्री सर्वेक्षणों द्वारा हवाईअड्डे के निष्पादन की निगरानी की जाएगी; हवाईअड्डे के निष्पादन को मापने हेतु प्रयुक्त मानदंड अनुसूची 11 में निर्धारित आयटा ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर सेवा मानक अथवा ऐसे मानदंड होंगे जिन पर समय-समय पर परस्पर सहमति हो ("मानक"):

7.5.2 बीआईएएल, आयटा सर्वेक्षणों में भाग लेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे के निष्पादन का निर्धारण करने हेतु आयटा की अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक सर्वेक्षण किया जाए। ऐसा प्रथम सर्वेक्षण हवाईअड्डा आरंभ के पश्चात् तीसरे (3rd) वर्ष के दौरान किया जाएगा।

7.5.3 यदि लगातार तीन सर्वेक्षणों से यह प्रदर्शित होता है कि बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को निरंतर साढ़े तीन (3.5) की आयटा रेटिंग (1 से 5 के वर्तमान आयटा पैमाने पर) से कम रेटिंग प्राप्त हुई है, तो बीआईएएल हवाईअड्डे के निष्पादन में सुधार हेतु एक कार्य योजना तैयार करेगा, जिसे एक (1) वर्ष के भीतर कार्यान्वित करना होगा।

7.5.4 यदि बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को आगे एक (1) वर्ष तक साढ़े तीन (3.5) की आयटा रेटिंग (1 से 5 के वर्तमान आयटा पैमाने पर) से कम रेटिंग

प्राप्त होती रहती है, तो जीओके, बीआईएएल को हवाईअड्डे के निष्पादन में सुधार हेतु एक और कार्य योजना तैयार करने का निदेश दे सकेगी, जिसे एक (1) वर्ष के भीतर कार्यान्वित करना होगा। यदि बीआईएएल ऐसी कार्य योजना तैयार करने में विफल रहता है, अथवा ऐसी कार्य योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् के वर्ष के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को साढ़े तीन (3.5) से कम रेटिंग प्राप्त होती रहती है, तो जीओके को हवाईअड्डा प्रचालन एवं प्रबंधन सेवा प्रदाता की सेवाओं की समाप्ति की माँग करने का अधिकार होगा तथा बीआईएएल तत्काल हवाईअड्डा प्रचालन एवं प्रबंधन सेवा प्रदाता को प्रतिस्थापित करेगा।

7.5.5 यदि हवाईअड्डा प्रचालक के प्रतिस्थापन के पश्चात् के दो (2) वर्षों के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में, बीआईएएल के खराब निष्पादन के कारण, बीआईएएल के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को साढ़े तीन (3.5) (1 से 5 के वर्तमान आयटा पैमाने पर) से कम रेटिंग प्राप्त होती रहती है, तो जीओके इस करार के खंड 19.1 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने की हकदार होगी।

7.5.6 वर्तमान आयटा पैमाने में परिवर्तन होने की स्थिति में, पक्षकार सहमत हैं कि इस खंड 7.5 में परिकल्पित रेटिंग के समतुल्य स्तर लागू किए जाएँगे। बीआईएएल साढ़े तीन (3.5) (1 से 5 के वर्तमान आयटा पैमाने पर) से उच्चतर निष्पादन मानक प्राप्त करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

7.5.7 जिस तिथि से आईआरए को हवाईअड्डे पर मानकों एवं शास्तियों की समीक्षा, निगरानी एवं निर्धारण करने तथा ऐसी किसी संबंधित गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस तिथि से बीआईएएल से खंड 7.5.1 से 7.5.6 के प्रावधानों के स्थान पर आईआरए द्वारा बनाए गए ऐसे सभी विनियमों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाएगी।

7.5.8 उपर्युक्त खंड 7.5.1 से 7.5.7 के अंतर्गत बीआईएएल के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय बीआईएएल को युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा हो कि वह इस खंड 7.5 के प्रावधानों का अनुपालन करने में असमर्थ होगा, तो वह जीओके को इसकी तथा इस खंड 7.5 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उसके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे या कार्यान्वित किए जाने हेतु आशयित उपायों की अधिसूचना देगा। यदि इस करार की अवधि के दौरान किसी भी समय बीआईएएल मानकों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो बीआईएएल ऐसे गैर-अनुपालन के निवारण हेतु किए जा रहे उपायों से जीओके को तिमाही आधार पर अवगत कराता रहेगा।

7.5.9 उपर्युक्त खंड 7.5.3 से 7.5.6 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि जीओआई किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे/हवाईअड्डों के संबंध में ऐसा/ऐसे रियायत करार निष्पादित करती है जिसमें जीओआई द्वारा रियायत करार की समाप्ति के प्रयोजनार्थ रेटिंग 3.5 हो, तो इस खंड 7 के प्रयोजनार्थ रेटिंग 3.5 ही बनी रहेगी। तथापि, यदि जीओआई किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे/हवाईअड्डों के संबंध में ऐसा/ऐसे रियायत करार निष्पादित करती है जिसमें जीओआई द्वारा रियायत करार की समाप्ति के प्रयोजनार्थ रेटिंग 3.5 से कम किंतु 3 से अन्यून हो, तो ऐसी निम्नतर रेटिंग इस खंड 7 पर लागू की जाएगी।

8 बीमा

8.1 कराए जाने वाले बीमे

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि इस पैरा में विनिर्दिष्ट बीमे, तथा ऐसे अतिरिक्त बीमे जिन्हें बीआईएएल उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार युक्तियुक्त रूप से आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे, कराए जाएँ और पूर्णतः प्रवृत्त एवं प्रभावी बनाए रखे जाएँ:

(i) हवाईअड्डे तथा हवाईअड्डे पर स्थित समस्त या किसी भी संरचना, संयंत्र या उपस्कर की भौतिक क्षति का जोखिम, जिसमें, बिना किसी सीमा के, हड़तालें, दंगों, आतंकवादी कृत्यों एवं तोड़फोड़, प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, तड़ित, अग्नि, विस्फोट तथा विद्युत एवं मशीनरी खराबी के कारण हुई हानि या क्षति सम्मिलित है, उनकी पूर्ण पुनर्निर्माण लागत तक, जिसे ऐसी पूर्ण पुनर्निर्माण लागत बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर बढ़ाया जाएगा;

(ii) बीआईएएल तथा उसके किसी भी अभिकर्ता, सेवक, कर्मचारी, ठेकेदार एवं प्रचालक का किसी तृतीय पक्षकार, विमान प्रचालक, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ता या अन्य के प्रति कोई विधिक दायित्व, तथा हवाईअड्डे के अभिकल्पन, निर्माण, अनुरक्षण, प्रचालन और/या प्रबंधन से उत्पन्न हानि या क्षति के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का कोई सार्वजनिक दायित्व;

(iii) बीआईएएल यह सुनिश्चित करने हेतु युक्तियुक्त प्रयास करेगा कि सेवा प्रदाता अधिकार धारक इस खंड 8.1 में विनिर्दिष्ट ऐसे बीमे कराएँ और बनाए रखें जो उस सेवा प्रदाता अधिकार धारक के लिए प्रासंगिक हों।

बीआईएएल इस खंड 8.1 के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा यदि बीमा सलाहकार की राय में, जिस राय में बीआईएएल पर पड़ने वाले सभी पारिणामिक प्रभावों पर विचार किया गया हो (और जिसे बीआईएएल के ध्यान में लाया गया हो):

(i) कराए जाने या बनाए रखे जाने हेतु अपेक्षित कोई भी बीमा और/या पुनर्बीमा अंतरराष्ट्रीय बीमा या पुनर्बीमा बाज़ार में बीआईएएल को युक्तियुक्त वाणिज्यिक शर्तों पर उपलब्ध नहीं है; अथवा

(ii) कवर किए जा रहे जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे किसी भी बीमे के संबंध में प्रीमियम अयुक्तियुक्त है।

उपर्युक्त (i) एवं (ii) में निर्दिष्ट विषयों पर बीमा सलाहकार द्वारा किए गए निर्धारण के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद का निपटारा खंड 33 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

8.2 अतिरिक्त बीमे

8.2.1 बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि खंड 8.1(i) एवं 8.1(ii) के अनुसरण में ली गई प्रत्येक पॉलिसी को समय-समय पर बढ़ाया जाए

(i) ऐसी राशियों तक (तथा ऐसी कटौतियों सहित) जो भारत में उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार कार्य करने वाले किसी ऐसे हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा कराई जातीं, जो प्रत्येक मामले में स्व-बीमा नहीं करता (बीमाकर्ताओं द्वारा सामान्यतः अपेक्षित न्यूनतम कटौतियों के माध्यम के सिवाय); तथा

(ii) ऐसी राशियों तक तथा ऐसी कटौतियों सहित जो, अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिमों, दायित्वों एवं बीमा की राशियों के संबंध में बाज़ार उपलब्धता तथा बीआईएएल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हों।

8.2.2 इस खंड 8 के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीआईएएल:

(i) समय-समय पर वे बीमे कराएगा और पूर्णतः प्रवृत्त बनाए रखेगा जो किसी लागू विधि द्वारा अथवा हवाईअड्डे के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी संविदा की शर्तों द्वारा उसके लिए अपेक्षित हैं; तथा

(ii) वे बीमे कराने और पूर्णतः प्रवृत्त बनाए रखने हेतु सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा जो किसी ऐसी अन्य संविदा की शर्तों द्वारा उसके लिए अपेक्षित हैं जिसका वह किसी भी समय पक्षकार हो।

8.3 पॉलिसियाँ

खंड 8.1 एवं 8.2 के अंतर्गत प्राप्त किए जाने एवं बनाए रखे जाने हेतु अपेक्षित बीमों के संबंध में कोई बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, बीआईएएल, जीओके को ऐसे पॉलिसी प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ, बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमे के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। कोई भी बीमा तब तक रद्द या संशोधित नहीं किया जाएगा अथवा समाप्त या व्यपगत होने नहीं दिया जाएगा जब तक बीआईएएल द्वारा जीओके को ऐसे रद्दकरण, संशोधन या नवीकरण न किए जाने की कम से कम पैंतालीस (45) दिनों की सूचना दिए जाने के पश्चात् वह अवधि समाप्त न हो जाए।

8.4 बीमा न कराने पर उपचार

यदि बीआईएएल उन सभी बीमों को, जिनके लिए वह इस करार के अनुसरण में उत्तरदायी है, कराने और प्रवृत्त बनाए रखने में विफल रहता है, तो जीओके को ऐसे बीमों को प्रवृत्त बनाए रखने तथा ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और उसकी लागत बीआईएएल से वसूल करने का विकल्प होगा।

8.5 सूचना

बीआईएएल को ऐसी किसी घटना की जानकारी होने के पश्चात्, जो किसी व्यक्ति को इस खंड 8 के अनुसरण में बनाए रखी जाने हेतु अपेक्षित किसी पॉलिसी के अंतर्गत यूएस\$ 1 मिलियन या किसी अन्य मुद्रा में उसके समतुल्य से अधिक का दावा प्रस्तुत करने का हकदार बना सकती है, बीआईएएल यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, जीओके को सूचित करेगा।

8.6 बीमा आगमों का उपयोग

जिस सीमा तक हवाईअड्डा क्षतिग्रस्त हो और उसकी मरम्मत, पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना अपेक्षित हो, उस सीमा तक, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत ऋणदाताओं के अधिकारों तथा संबंधित बीमा पॉलिसियों

के अंतर्गत सह-बीमित के रूप में जीओके के अधिकारों के अधीन रहते हुए, बीआईएएल इस खंड 8 के अनुसरण में कराए गए किसी बीमे के अंतर्गत बीआईएएल द्वारा प्राप्त किन्हीं भी आगमों का उपयोग हवाईअड्डे पर ऐसी सुविधाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरचना हेतु करेगा जो हवाईअड्डा गतिविधियों के निष्पादन हेतु अपेक्षित हैं। हवाईअड्डे के ऐसी सीमा तक विनाश या आन्वयिक विनाश की स्थिति में कि उसका पूर्णतः पुनर्निर्माण करना अपेक्षित हो, और बीआईएएल ऐसा पुनर्निर्माण न करने का विकल्प चुनता है, तो बीआईएएल, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत ऋणदाताओं के अधिकारों के अधीन रहते हुए, बीमा आगमों का उपयोग तत्काल जीओके को बकाया राज्य वित्तीय सहायता के प्रतिसंदाय हेतु करेगा।

8.7 सह-बीमित

बीआईएएल, जब तक जीओके द्वारा अन्यथा अनुरोध न किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 8 के अनुसरण में बीआईएएल द्वारा कराई गई किन्हीं भी पॉलिसियों के संबंध में जीओके सह-बीमित हो। यदि बीआईएएल को हवाईअड्डे के पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना या मरम्मत हेतु किन्हीं बीमा आगमों की आवश्यकता हो और जीओके कोई बीमा आगम प्राप्त करती है, तो वह हवाईअड्डे के पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना या मरम्मत हेतु उन्हें बीआईएएल को उपलब्ध कराएगी।

9 अधिकारियों हेतु पहुँच

9.1 पहुँच

9.1.1 निर्माण चरण

हवाईअड्डा आरंभ तिथि से पूर्व, खंड 9.2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए तथा ईपीसी संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार, बीआईएएल, ईपीसी संविदाओं के अंतर्गत परिकल्पित समय पर एवं रीति से तथा ऐसे अन्य समयों पर जिन पर बीआईएएल सहमत हो, जीओके के प्रतिनिधियों को स्थल और/या हवाईअड्डे के सभी भागों तक पहुँच प्रदान करेगा।

9.1.2 प्रचालन चरण

हवाईअड्डा आरंभ तिथि से, इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों को प्रवर्तित करने के प्रयोजनार्थ, जीओके को स्थल तक पहुँच का अधिकार होगा, बशर्ते वह बीआईएएल को युक्तियुक्त पूर्व सूचना दे। यह खंड 9.1, स्थल और/या हवाईअड्डे तक पहुँच के जीओके के सांविधिक अधिकारों को प्रभावित या प्रतिबंधित नहीं करेगा।

9.2 न्यूनतम व्यवधान

जिस सीमा तक जीओके को ऐसी पहुँच प्रदान की गई है, उस सीमा तक ऐसी पहुँच एवं सुविधाओं का उपयोग एवं प्रयोग संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस रीति से किया जाएगा कि हवाईअड्डे के निर्माण, कमीशनिंग, समापन, विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन में कोई हस्तक्षेप न हो।

10 परियोजना सहायता

10.1 सहायता

10.1.1 जीओके परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है;

10.1.2 जीओके (i) निजी प्रवर्तकों को बीआईएएल में संयुक्त उद्यम साझेदार के रूप में नियुक्त करने तथा निजी प्रवर्तकों को परियोजना प्रदान करने के निर्णय को, अथवा (ii) इस करार को, इस करार के अंतर्गत यथाअनुमत या लागू विधि के अनुसार के सिवाय, प्रतिसंहत नहीं करेगी।

10.1.3 शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले निवेश को मान्यता देते हुए, तथा शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं द्वारा सभी लागू विधियों एवं इस करार के निबंधनों एवं शर्तों के सारवान अनुपालन के अधीन रहते हुए, जीओके, लागू विधि के अनुसार के सिवाय, इस करार के प्रतिकूल ऐसा कोई कदम या कार्रवाई नहीं करेगी जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारक या ऋणदाता परियोजना में अपने निवेश या आर्थिक हित से वंचित या सारतः वंचित होते हैं या होंगे।

10.2 गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ

इस करार के प्रावधानों के अधीन एवं उनके अनुसार, जीओके यह मान्यता देती है कि बीआईएएल राजस्व सृजित करने हेतु स्थल के विकास या हवाईअड्डे के प्रचालन के संबंध में या उससे संबंधित कोई भी गतिविधि या कारोबार कर सकता है, जिसमें होटल, रेस्तराँ, सम्मेलन स्थल, बैठक सुविधाएँ, व्यावसायिक केंद्र, व्यापार मेले, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), थीम पार्क, मनोरंजन आर्केड, गोल्फ कोर्स तथा अन्य खेल और/या मनोरंजन सुविधाएँ, बैंक एवं विनिमय केंद्र तथा शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक उद्यमों का विकास सम्मिलित है।

10.3 समतुल्य व्यवहार

हवाईअड्डे के प्रचालन के प्रारंभ के पश्चात्, जीओके ऐसी रीति से कोई कार्य या लोप नहीं करेगी जो हवाईअड्डे या बीआईएएल के विरुद्ध इस प्रकार विभेद करे कि उससे कर्नाटक राज्य में अन्य प्रमुख हवाईअड्डों को, यथास्थिति, हवाईअड्डे या बीआईएएल की तुलना में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो। इस खंड के प्रयोजनार्थ, "विभेद" से केवल ऐसे प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों का पारित किया जाना अभिप्रेत है जो कर्नाटक राज्य में अन्य प्रमुख हवाईअड्डों और/या अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों की तुलना में हवाईअड्डे और/या बीआईएएल के संबंध में विभेदकारी प्रकृति के हों, किंतु इसमें राजकोषीय या कर संबंधी विषयों के संबंध में विधियों या प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों का पारित किया जाना सम्मिलित नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्नाटक राज्य में किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना को सुकर बनाने हेतु, यदि जीओके ऐसे अन्य प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना हेतु रियायतें या वित्त, भूमि या अन्य सुविधा प्रदान करती है, तो वह इस खंड के प्रयोजनार्थ विभेद नहीं माना जाएगा, परंतु यह कि यह खंड 10.3 हवाईअड्डा आरंभ तिथि की बीसवीं (20वीं) वर्षगांठ से आगे प्रवृत्त एवं प्रभावी नहीं रहेगा।

10.4 जीओके की मंजूरीयों का अनुदान

10.4.1 बीआईएएल या उसके शेयरधारकों या उनके संबंधित ठेकेदारों, सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा इस हेतु आवेदन किए जाने पर तथा ऐसे पक्षकारों द्वारा लागू विधि के पूर्ण अनुपालन एवं उसे निरंतर बनाए रखने के अधीन रहते हुए, जीओके यह प्रयास करेगी कि परियोजना हेतु या उसके संबंध में अपेक्षित ऐसी सभी मंजूरीयाँ, जो उसके द्वारा प्रदान की जानी हैं या जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं, उसके द्वारा संबंधित सांविधिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर प्रदान की जाएँ, तथा जहाँ कोई सांविधिक अवधि विहित नहीं है, वहाँ जीओके यह सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करेगी कि परियोजना हेतु या उसके संबंध में अपेक्षित ऐसी मंजूरीयाँ, विधिवत पूर्ण किया गया संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् पैंतालीस (45) दिनों के भीतर प्रदान की जाएँ।

10.4.2 मंजूरीयों के अनुदान को सुकर बनाने हेतु, जीओके अवर सचिव या उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को नामित करेगी, जो संबंधित अभिकरणों या विभागों या सक्षम प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने में बीआईएएल को सहायता प्रदान करेगा।

10.4.3 बीआईएएल यह वचन देता है कि मंजूरीयों के अनुदान में शीघ्रता लाने हेतु, वह तथा उसके ठेकेदार, सेवक या अभिकर्ता तत्परतापूर्वक एवं समयबद्ध रीति से (i) संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष आवेदन तैयार करेंगे एवं दाखिल करेंगे; तथा (ii) उपर्युक्त आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे एवं उन्हें आगे बढ़ाएँगे।

10.4.4 खंड 10.4.1 एवं 10.4.2 के प्रावधान हवाईअड्डा आरंभ तिथि की दसवीं (10th) वर्षगाँठ से आगे प्रवृत्त एवं प्रभावी नहीं रहेंगे।

10.5 कर

यदि और जिस सीमा तक जीओआई अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर एवं विदेश यात्रा कर के संबंध में ऐसा निदेश जारी करती है जिसके अंतर्गत (निदेश का लाभ हवाईअड्डा प्रचालकों को उपलब्ध होने हेतु) राज्य सरकारों द्वारा विमानन ईंधन के विक्रय, क्रय एवं आपूर्ति पर लागू कर में कमी किया जाना अपेक्षित हो, तो जीओके यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डा आरंभ तिथि से (तथा देवनहल्ली स्थान पर) हवाईअड्डे पर विमानों हेतु विमानन ईंधन के विक्रय, क्रय एवं आपूर्ति पर उद्गृहीत या लागू कर को घटाकर उपर्युक्त निर्दिष्ट जीओआई द्वारा जारी निदेश में यथानिर्धारित प्रतिशत राशि से अनधिक कर दिया जाए। संदेह के निवारण हेतु, जीओके हवाईअड्डे पर विमानों हेतु विमानन ईंधन के क्रय एवं आपूर्ति पर उद्गृहीत या लागू कर में कमी केवल तभी और उसी स्थिति में करेगी जब जीओआई इस खंड 10.5 में यथानिर्धारित निदेश जारी करे।

11 स्थल

11.1 स्थल

बीआईएएल यह मान्यता देता है कि जीओके ने बीआईएएल को स्थल के पट्टे हेतु स्टॉप शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण प्रभारों से छूट के संबंध में सरकारी आदेश संख्या..., बेंगलूर, दिनांक 01 जनवरी, 2003

जारी किया है। जीओके पुष्टि करती है कि उक्त छूट तब तक प्रतिसंहत नहीं की जाएगी जब तक भूमि पट्टा करार संबंधित अधिकारिता वाले उप-रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता।

11.2 पुनर्वास दावे

जीओके एतद्वारा स्थल के अर्जन के कारण विस्थापित स्थानीय निवासियों के पुनर्वास से उत्पन्न होने वाले, स्थानीय निवासियों द्वारा या उनके प्रति, सभी दावों, माँगों, वादों, कार्यवाहियों एवं दायित्वों के विरुद्ध एवं उनके संबंध में बीआईएएल की क्षतिपूर्ति करने हेतु सहमत है।

11.3 नामित क्षेत्र

11.3.1 पक्षकार यह मान्यता देते हैं कि नामित क्षेत्र के विकास को विनियमित करने हेतु कर्नाटक नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत बीआईएएपीए की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

11.3.2 बीआईएएपीए ने नामित क्षेत्र हेतु एक 'रूपरेखा विकास योजना' तैयार करना आरंभ कर दिया है। जीओके यह वचन देती है कि रूपरेखा विकास योजना ("ओडीपी") (तथा व्यापक विकास योजना ("सीडीपी"), जब और जैसे ही वह तैयार हो) लागू इकाओं दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी तथा ऐसी योजना में इस करार की तिथि को बीआईएएपीए को प्रस्तुत मास्टर प्लान को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि नामित क्षेत्र में किसी भी निर्माण या विकास का परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

11.3.3 बीआईएएल द्वारा यह समझा जाता है कि प्रभावी तिथि के पश्चात् मास्टर प्लान में कोई भी परिवर्तन बीआईएएल द्वारा केवल ओडीपी एवं सीडीपी के अनुसार ही किए जाएँगे।

11.4 निर्माण कार्य का अप्रतिबंधित संचालन

लागू विधि के अनुपालन के अधीन रहते हुए, बीआईएएल, उसके ठेकेदार एवं उप-ठेकेदार, जीओके की ओर से बिना किसी प्रतिबंध और/या बाधा के, दिन या रात के किसी भी समय तथा सप्ताह के किसी भी दिन हवाईअड्डे से संबंधित निर्माण कार्य करने (तथा अपने कर्मचारियों को ऐसा करने का अनुदेश देने) के हकदार होंगे।

11.5 सुधार प्रभार (बेटरमेंट चार्ज)

बीआईएएल यह मान्यता देता है कि जीओके ने बीआईएएल द्वारा सुधार प्रभारों के भुगतान से छूट के संबंध में अधिसूचना संख्या 184, दिनांक 11 अगस्त, 2004 जारी की है।

11.6 सड़क उपकर

बीआईएएल यह नोट करता है कि नगर विकास विभाग ने पत्र सं....., दिनांक 10 सितंबर, 2004 जारी किया है, जिसमें उसने बीआईएएपीए को यह स्पष्ट किया है कि बीआईएएल द्वारा बीआईएएपीए को सड़क उपकर का भुगतान लागू नहीं है।

12 अवसंरचना एवं उपयोगिताएँ

12.1 जीओके के दायित्व

12.1.1 पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि बीआईएएल और/या उसके ठेकेदारों और/या उप-ठेकेदारों को हवाईअड्डे पर कतिपय सुविधाओं एवं सेवाओं के प्रावधान की आवश्यकता है। अतः, जीओके यह सुनिश्चित करेगी कि हवाईअड्डा आरंभ लक्ष्य तिथि से कम से कम पंद्रह (15) माह पूर्व, विद्युत एवं जल हेतु अपेक्षित अवसंरचना स्थल की सीमा पर उपलब्ध करा दी जाए।

12.1.2 बीआईएएल द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने पर, जीओके विद्युत एवं जल प्रदान करने वाले संबंधित अभिकरणों को बीआईएएल के साथ उनके मानक निबंधनों एवं शर्तों पर संबंधित करार करने का निदेश देगी।

12.1.3 यदि किसी भी समय बीआईएएल या उसके किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार को अवसंरचना करारों में उपबंधित सुविधाओं या सेवाओं के समान प्रकृति की ऐसी किन्हीं सुविधाओं या सेवाओं की आवश्यकता हो, जिनका पूर्वानुमान अवसंरचना करार किए जाने के समय नहीं किया गया था और जो ऐसे अवसंरचना करारों की विषयवस्तु नहीं हैं, तो जीओके, बीआईएएल द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने पर, बीआईएएल और/या उसके ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों को उनके मानक निबंधनों एवं शर्तों पर ऐसी सेवाएँ और/या सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करेगी एवं सहायता करेगी।

12.2 सार्वजनिक परिवहन

जीओके हवाईअड्डे की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त, हवाईअड्डे तक एवं वहाँ से सुरक्षित, कुशल, वहनीय एवं नियमित सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ (बसों एवं कोचों सहित) प्रदान करने एवं उनका प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

13 निर्माण या प्रचालन में व्यवधान

इस करार में अन्यथा उपबंधित के सिवाय और/या राष्ट्रीय आपात की स्थिति के सिवाय और/या इस करार की तिथि को विद्यमान किसी विधि में यथाउपबंधित के सिवाय, जीओके, बीआईएएल द्वारा या उसकी ओर से हवाईअड्डे के अभिकल्पन, निर्माण, समापन, कमीशनिंग, अनुरक्षण, वित्तपोषण, प्रचालन, प्रबंधन और/या विकास में हस्तक्षेप या व्यवधान नहीं करेगी।

14 पुलिस व्यवस्था

जीओके पुष्टि करती है कि, जब तक पक्षकारों के बीच लिखित रूप में अन्यथा सहमति न हो, वह अपने व्यय पर हवाईअड्डे पर विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु हवाईअड्डे की सामान्य एवं नियमित पुलिस व्यवस्था प्रदान करेगी। तथापि, बीआईएएल इस खंड 14 के अंतर्गत जीओके को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने हेतु हवाईअड्डे पर अपने व्यय पर युक्तियुक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएगा। हवाईअड्डे पर किसी ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, जिसमें उपर्युक्त प्रयोजन हेतु जीओके द्वारा प्रयुक्त किसी स्थान या सुविधाओं का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास अंतर्फलित हो, बीआईएएल, जीओके को विधिवत सूचित करेगा तथा बीआईएएल एवं

जीओके हवाईअड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप स्थान संबंधी आवश्यकताओं में अपेक्षित किन्हीं संशोधनों पर चर्चा करेंगे एवं सहमति बनाएँगे।

15 परियोजना समीक्षा

15.1 हवाईअड्डा आरंभ तिथि की 10वीं वर्षगाँठ पर तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पर, जीओके यह निर्धारित करने हेतु कि क्या बीआईएएल, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थल पर द्वितीय रनवे के विकास के संबंध में, इस करार के खंड 4.3.2 के अंतर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा है, हवाईअड्डे के विकास के संबंध में खंड 4.4 के अंतर्गत प्रस्तुत मास्टर प्लान की समीक्षा करने की हकदार होगी।

15.2 हवाईअड्डा आरंभ तिथि की 20वीं वर्षगाँठ पर पक्षकार द्वितीय रनवे के विकास पर चर्चा करेंगे तथा आगामी दस (10) वर्षों के भीतर ऐसे विकास हेतु एक योजना पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

(क) यदि पक्षकारों के बीच यह सहमति बनती है कि द्वितीय रनवे का विकास आगामी दस (10) वर्षों के भीतर होगा और बीआईएएल ऐसी सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो जीओके को बीआईएएल से अनुरोध करने का अधिकार होगा, और बीआईएएल, जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, द्वितीय रनवे के विकास हेतु आरक्षित स्थल का वह भाग तत्काल केएसआईआईडीसी को अभ्यर्पित कर देगा, तथा ऐसे अभ्यर्पण की तिथि से बीआईएएल के पास शेष स्थल के भाग हेतु पट्टा किराया आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। बीआईएएल, केएसआईआईडीसी को इसके अंतर्गत केएसआईआईडीसी को अभ्यर्पित भूमि के उस भाग तक पहुँचने हेतु आवश्यक पहुँच अधिकार प्रदान करेगा।

(ख) यदि पक्षकारों के बीच यह सहमति बनती है कि द्वितीय रनवे का विकास आगामी दस (10) वर्षों के भीतर होने की संभावना नहीं है, तो पक्षकार हवाईअड्डा आरंभ तिथि की 30वीं वर्षगाँठ पर समीक्षा करने हेतु इस करार के खंड 15.3 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे;

(ग) यदि पक्षकार खंड 15.2(क) या 15.2(ख) में से किसी के भी अंतर्गत कोई सहमति नहीं बना पाते हैं, तो मामला पक्षकारों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक स्वतंत्र परामर्शदाता को निर्दिष्ट किया जाएगा; तथा

(i) यदि स्वतंत्र परामर्शदाता यह निष्कर्ष निकालता है कि द्वितीय रनवे का विकास आगामी दस (10) वर्षों के भीतर हो सकता है और यदि बीआईएएल ऐसी अवधि के भीतर द्वितीय रनवे का विकास नहीं करता है, तो जीओके को बीआईएएल से अनुरोध करने का अधिकार होगा, और बीआईएएल, जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, द्वितीय रनवे के विकास हेतु आरक्षित स्थल का वह भाग तत्काल केएसआईआईडीसी को अभ्यर्पित कर देगा, तथा ऐसे अभ्यर्पण की तिथि से बीआईएएल के पास शेष स्थल के भाग हेतु पट्टा किराया आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा; बीआईएएल, केएसआईआईडीसी को इसके अंतर्गत केएसआईआईडीसी को अभ्यर्पित भूमि के उस भाग तक पहुँचने हेतु आवश्यक पहुँच अधिकार प्रदान करेगा।

(ii) यदि स्वतंत्र परामर्शदाता यह निष्कर्ष निकालता है कि ऐसा विकास आगामी दस (10) वर्षों के भीतर होने की संभावना नहीं है, तो पक्षकार हवाईअड्डा आरंभ तिथि की 30वीं वर्षगांठ पर समीक्षा करने हेतु इस करार के खंड 15.3 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे;

15.3 यदि खंड 15.2(ख) के अनुसरण में पक्षकारों के बीच हुई सहमति अथवा खंड 15.2(ग) में निर्दिष्ट स्वतंत्र परामर्शदाता यह निष्कर्ष निकालता है कि विकास हवाईअड्डा आरंभ तिथि की 30वीं वर्षगांठ के पश्चात् ही होने की संभावना है, तो हवाईअड्डा आरंभ तिथि की 30वीं वर्षगांठ पर पक्षकार द्वितीय रनवे के विकास हेतु बीआईएएल की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यदि ऐसा विकास आगामी पाँच (5) वर्षों के भीतर परिकल्पित नहीं है, तो जीओके को बीआईएएल से अनुरोध करने का अधिकार होगा, और बीआईएएल, जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, द्वितीय रनवे के विकास हेतु आरक्षित स्थल का वह भाग तत्काल केएसआईआईडीसी को अभ्यर्पित कर देगा, तथा ऐसे अभ्यर्पण की तिथि से बीआईएएल के पास शेष स्थल के भाग हेतु पट्टा किराया आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। बीआईएएल, केएसआईआईडीसी को इसके अंतर्गत केएसआईआईडीसी को अभ्यर्पित भूमि के उस भाग तक पहुँचने हेतु आवश्यक पहुँच अधिकार प्रदान करेगा।

16 अभ्यावेदन एवं वारंटियाँ

16.1 इस करार के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति यह अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि प्रभावी तिथि को:

16.1.1 उसके पास इस करार को विधिमान्य रूप से निष्पादित एवं परिदत्त करने की शक्ति एवं प्राधिकार है तथा उसने इस हेतु आवश्यक सभी कार्रवाइयाँ कर ली हैं;

16.1.2 इस करार के अंतर्गत उसके दायित्व विधिक रूप से विधिमान्य एवं बाध्यकारी होंगे तथा उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

16.1.3 वह भारत की विधियों के अधीन है, तथा खंड 35 के अधीन रहते हुए, एतद्वारा इस करार के संबंध में किसी भी उन्मुक्ति का स्पष्ट एवं अप्रतिसंहरणीय रूप से अधित्यजन करता है;

16.1.4 इस करार का निष्पादन, परिदान एवं पालन किसी ऐसी प्रसंविदा, करार, समझ, डिक्री या आदेश, जिसका वह पक्षकार है या जिससे वह या उसकी कोई संपत्ति या आस्तियाँ आबद्ध या प्रभावित हैं, के निबंधनों के प्रतिकूल नहीं होगा, उनके उल्लंघन का परिणाम नहीं होगा, उनके अंतर्गत व्यतिक्रम गठित नहीं करेगा, या उनके अंतर्गत अपेक्षित पालन को त्वरित नहीं करेगा, तथा इसके परिणामस्वरूप किसी लागू विधि का उल्लंघन नहीं होगा;

16.1.5 उसे किसी न्यायालय के किसी आदेश, रिट, व्यादेश या डिक्री अथवा किसी संबंधित प्राधिकरण के किसी विधिक रूप से बाध्यकारी आदेश के संबंध में ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम की जानकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने की उसकी क्षमता पर कोई सारवान प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो; तथा

16.1.6 उसने सभी सारवान दृष्टियों से लागू विधि का अनुपालन किया है तथा वह ऐसे किसी जुर्माने, शास्ति, व्यादेशात्मक अनुतोष या किसी अन्य सिविल या आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं रहा है

जिसका कुल मिलाकर इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने की उसकी क्षमता पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या पड़ सकता हो।

16.1.7 इसके अतिरिक्त, बीआईएएल, जीओके के प्रति यह अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि इस करार की तिथि को:

- (i) वह भारत की विधियों के अंतर्गत निगमित शेरों द्वारा परिसीमित एक पब्लिक कंपनी है तथा उसका समुचित रूप से गठन हुआ है और वह निगमन के समय से निरंतर अस्तित्व में है;
- (ii) वह हवाईअड्डों के प्रचालन एवं प्रबंधन के कारोबार तथा अन्य आनुषंगिक गतिविधियों के सिवाय किसी अन्य कारोबार में संलग्न नहीं है;
- (iii) किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष विधि या साम्या में उसके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या अन्वेषण लंबित नहीं है या, उसकी जानकारी में, संभावित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस करार का उल्लंघन हो सकता हो या जिसके परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने की उसकी क्षमता में कोई सारवान हास हो सकता हो; तथा
- (iv) जीओके को यह करार करने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए, फीस, कमीशन या अन्यथा के रूप में, नकद या वस्तु रूप में, कोई भी राशि किसी व्यक्ति को न तो संदत्त की गई है या उसके द्वारा स्वीकार की गई है, और न ही किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से संदत्त की जाएगी या स्वीकार की जाएगी।

16.2 अनुमोदन

बीआईएएल परियोजना के निष्पादन हेतु लागू विधि द्वारा अपेक्षित सभी मंजूरीयाँ एवं अनुमोदन, जिनमें रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्तियाँ एवं अनुज्ञापत्र (आप्रवासन, अस्थायी निवास, कार्य एवं निकास अनुज्ञापत्रों सहित) सम्मिलित हैं, सदैव प्राप्त करेगा एवं बनाए रखेगा।

16.3 अस्वीकरण

16.3.1 बीआईएएल यह स्वीकार करता है कि इस करार के निष्पादन से पूर्व, उसने पूर्ण एवं सावधानीपूर्वक परीक्षण के पश्चात्, परियोजना के कार्यक्षेत्र का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है तथा उन कठिनाइयों, जोखिमों एवं संकटों की प्रकृति एवं सीमा का निर्धारण किया है जो इस करार में अपने दायित्वों के पालन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं या जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है।

16.3.2 बीआईएएल परियोजना के कार्यक्षेत्र से संबद्ध कठिनाइयों, जोखिमों एवं संकटों (उपर्युक्त खंड 16.3.1 में वर्णित किसी भी विषय में या उससे संबंधित किन्हीं अपर्याप्तताओं, भूलों या त्रुटियों सहित) को स्वीकार करता है और एतद्वारा अंगीकार करता है तथा एतद्वारा सहमत है कि जीओके उसके लिए बीआईएएल के प्रति किसी भी रीति से दायी नहीं होगी। संदेह के निवारण हेतु, इस खंड 16.3 के अनुसरण में बीआईएएल द्वारा स्वीकार की गई कठिनाइयों, जोखिमों एवं संकटों में ऐसे कोई दायित्व सम्मिलित नहीं होंगे जिनके लिए इस करार के निबंधनों के अनुसरण में जीओके उत्तरदायी है।

17 अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर)

17.1 अप्रत्याशित घटना

यह खंड 17 तब लागू होगा जब किसी पक्षकार ("प्रभावित पक्षकार") द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्णतः या अंशतः निवारित, बाधित या विलंबित हो।

17.2 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

17.2.1 अनुपालन संबंधी दायित्व

बशर्ते वह खंड 17.2.2 का अनुपालन करे, कोई भी पक्षकार इस करार के अंतर्गत या इसके अनुसरण में किसी दायित्व का अनुपालन करने में किसी विफलता या विलंब हेतु उस सीमा तक दायी नहीं होगा और उससे अपने दायित्वों का पालन करना अपेक्षित नहीं होगा, जिस सीमा तक किसी भी पक्षकार द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन अप्रत्याशित घटना के कारण पूर्णतः या अंशतः निवारित, बाधित, अवरुद्ध या विलंबित हो, तथा विशेष रूप से, किंतु बिना किसी सीमा के, ऐसे किन्हीं दायित्वों के पालन हेतु अनुमत समय (जिसमें, बिना किसी सीमा के, खंड 6 द्वारा यथाअपेक्षित हवाईअड्डा आरंभ तिथि प्राप्त करना सम्मिलित है) तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

17.2.2 अधिसूचना

यदि कोई भी पक्षकार किसी अप्रत्याशित घटना को इसके अंतर्गत किसी दायित्व के पालन में विलंब या विफलता के कारण के रूप में अवलंबित करना चाहता है, तो वह ऐसी किसी अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, किंतु 72 घंटों के भीतर, दूसरे पक्षकार को ऐसी तिथि तथा ऐसी अप्रत्याशित घटना की प्रकृति एवं प्रत्याशित अवधि की लिखित सूचना देगा। ऐसी अप्रत्याशित घटना की ऐसी सूचना की तिथि के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर, ऐसी अप्रत्याशित घटना को ऐसे विलंब के कारण के रूप में अवलंबित करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसे विलंब या विफलता की प्रकृति तथा पालन हेतु समय पर उसके प्रत्याशित प्रभाव का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

17.2.3 न्यूनीकरण

प्रभावित पक्षकार अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने एवं कम करने हेतु सभी युक्तियुक्त कदम उठाएगा।

18 दायित्व एवं प्रतिकर

18.1 बीआईएएल का दायित्व

बीआईएएल एवं जीओके (तथा उनके संबंधित कर्मचारियों, सेवकों एवं अभिकर्ताओं) के मध्य, हवाईअड्डे पर किसी उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा या अन्यथा उठाई गई या उपगत किसी भी लागत, व्यय, हानि, दायित्व या क्षति के लिए, जो हवाईअड्डे एवं गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के अभिकल्पन, निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन से या उसके संबंध में उत्पन्न हो, जो भी उत्तरदायित्व हो, उसे जीओके (या उसके किन्हीं संबंधित कर्मचारियों, अभिकर्ताओं और/या सेवकों) का

आश्रय लिए बिना केवल बीआईएएल ही, उस सीमा तक वहन करेगा जिस सीमा तक ऐसी लागत, व्यय, हानि, दायित्व या क्षति बीआईएएल (तथा उसके कर्मचारियों, सेवकों एवं अभिकर्ताओं) की उपेक्षा के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

18.2 विधिक कार्यवाहियों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान

यदि किसी न्यायालय या अधिकरण में इस करार से संबंधित कोई विधिक कार्यवाही उनके विरुद्ध आरंभ की जाती है, तो जीओके एवं बीआईएएल दूसरे पक्षकार को सूचना देने हेतु बाध्य होंगे।

18.3 सूचना

जीओके एवं बीआईएएल, किसी ऐसी माँग, दावे, वाद या कार्यवाही अथवा प्रत्याशित माँग, दावे, वाद या कार्यवाही की जानकारी होने के पश्चात्, जो उसके विरुद्ध हो और जिसके संबंध में वह खंड 18.1 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार है, तत्परतापूर्वक, यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, एक-दूसरे को सूचित करेंगे। वे ऐसी किसी माँग, दावे, वाद या कार्यवाही के प्रतिवाद में एक-दूसरे को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेंगे।

18.4 जीओके द्वारा देय प्रतिकर

निम्नलिखित की स्थिति में

- (i) केएसआईआईडीसी द्वारा भूमि पट्टा करार का उल्लंघन, और/या
- (ii) खंड 10.3, 10.4 एवं 10.5 का कोई उल्लंघन;

जीओके, बीआईएएल से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे उल्लंघन के परिणामों के विरुद्ध बीआईएएल की क्षतिपूर्ति करेगी तथा इस खंड 18 के अनुवर्ती प्रावधानों के अनुसार, और ऐसे भुगतान अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर, बीआईएएल को ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप बीआईएएल द्वारा उठाई गई हानि, लागत, व्यय, दायित्व या क्षति के बराबर राशियों का भुगतान करेगी, जिनमें, संदेह के निवारण हेतु, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;

(क) ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप बीआईएएल द्वारा अपने किसी ठेकेदार या सेवा प्रदाता अधिकार धारकों को देय या शोध्य एवं संदत्त सभी राशियाँ;

(ख) ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप ऋणदाताओं को देय सभी अतिरिक्त ब्याज, फीस एवं अन्य राशियाँ; तथा

(ग) ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप बीआईएएल द्वारा देय या शोध्य एवं संदत्त सभी अतिरिक्त उपरिव्यय तथा प्रचालन लागत एवं व्यय।

ऐसे लिखित अनुरोध के साथ ऐसा साक्ष्य संलग्न होगा जो बीआईएएल, जीओके को ऐसे दावे का मूल्यांकन करने में समर्थ बनाने हेतु प्रस्तुत करने में सक्षम हो। यदि जीओके, बीआईएएल के ऐसे प्रतिकर दावे की मात्रा पर विवाद करती है, तो उसका अंतिम निपटारा इसमें अंतर्विष्ट विवाद समाधान तंत्र के अनुसार किया जाएगा।

परंतु यह कि जीओके इस खंड के अंतर्गत बीआईएएल को देय भुगतानों में से ऐसी राशियों का मुजरा कर सकेगी जो जीओके के प्रति ऐसा कोई दायित्व गठित करती हों जिसे बीआईएएल द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है:

परंतु यह और कि बीआईएएल उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किसी ऐसी घटना, जिसके लिए वह प्रतिकर का दावा करना चाहता है, के घटित होने की सूचना जीओके को ऐसे उल्लंघन के घटित होने की जानकारी बीआईएएल को होने से दस (10) दिनों की अवधि के भीतर देगा।

18.5 विधि में परिवर्तन

यदि हवाईअड्डा आरंभ तिथि की बीसवीं (20वीं) वर्षगांठ से पूर्व किसी भी समय होने वाले विधि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, बीआईएएल को हवाईअड्डे के विकास या प्रचालन के संबंध में लागतों में वृद्धि या कर-पश्चात् शुद्ध प्रतिलाभ में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, दायित्व या क्षति उठानी पड़ती है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव किसी भी वर्ष में रुपये दस मिलियन (रु. 10,000,000) से अधिक हो, तो बीआईएएल, जीओके को अधिसूचित कर सकेगा तथा इस करार में ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर सकेगा जिससे बीआईएएल उसी वित्तीय स्थिति में आ जाए जिसमें वह तब होता यदि ऐसा विधि में परिवर्तन न हुआ होता जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त लागत वृद्धि, प्रतिलाभ में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, दायित्व या क्षति हुई। बीआईएएल द्वारा यथापूर्वोक्त अधिसूचना दिए जाने पर, पक्षकार यथाशीघ्र, जैसे ही युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, किंतु बीआईएएल से अधिसूचना प्राप्त होने के पश्चात् 30 (तीस) दिनों के भीतर, बैठक करेंगे तथा उपर्युक्त को कार्यान्वित करने हेतु या तो इस करार में संशोधनों पर या वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सहमति बनाएंगे।

परंतु यह कि यदि इस खंड के अनुसरण में बैठक के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर पक्षकारों द्वारा यथापूर्वोक्त कोई सहमति नहीं बनती है, तो बीआईएएल लिखित सूचना द्वारा जीओके से ऐसी राशि का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा जो बीआईएएल को उसी वित्तीय स्थिति में ला दे जिसमें वह तब होता यदि ऐसा विधि में परिवर्तन न हुआ होता जिसके परिणामस्वरूप यथापूर्वोक्त लागत वृद्धि, प्रतिलाभ में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, दायित्व या क्षति हुई। ऐसी सूचना के साथ बीआईएएल द्वारा जीओके को ऐसे दावे का मूल्यांकन करने हेतु ऐसे समर्थक दस्तावेज एवं साक्ष्य संलग्न किए जाएंगे। जीओके ऐसी सूचना एवं साक्ष्य प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी। यदि जीओके, बीआईएएल के ऐसे प्रतिकर दावे की मात्रा पर विवाद करती है, तो उसका अंतिम निपटारा खंड 33 के अनुसार किया जाएगा।

18.6 अधिकतम प्रतिकर राशि

18.6.1 इस करार की अवधि के दौरान अनुच्छेद 18.4 एवं 18.5 के अंतर्गत किन्हीं एवं सभी दावों के संबंध में जीओके का कुल दायित्व रुपये एक सौ (100) करोड़ से अधिक नहीं होगा।

18.6.2 इस करार के अंतर्गत बीआईएएल के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जीओके को खंड 18.4 एवं 18.5 के अंतर्गत बीआईएएल द्वारा किए गए किन्हीं दावों के संबंध में अधिकतम प्रतिकर राशि से अधिक भुगतान करने का अधिकार होगा।

18.7 निलंबन

जीओके को पूर्व लिखित सूचना देने के अधीन रहते हुए, बीआईएएल खंड 6.2 के परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर हवाईअड्डे के निर्माण और/या प्रचालन एवं अनुरक्षण को निलंबित करने का हकदार होगा।

18.8 दायित्व

पक्षकारों का आशय है कि इस करार में अंतर्विष्ट अधिकार, बाध्यताएँ एवं दायित्व इस करार से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के अधिकारों, बाध्यताओं एवं दायित्वों का संपूर्ण विवरण होंगे। तदनुसार, इस करार में तथा इसके अनुसरण में किए गए किसी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उपचार, इस करार से या इसके संबंध में उत्पन्न एक-दूसरे के प्रति दायित्वों हेतु, जिसमें इसके संबंध में दिया गया कोई अभ्यावेदन, वारंटी या वचन सम्मिलित है, विधि या साम्या में अन्यथा उपलब्ध किसी उपचार के होते हुए भी, पक्षकारों के एकमात्र एवं अनन्य उपचार होंगे।

18.9 न्यूनीकरण

बीआईएएल, लागू विधि के अनुसार, विधि में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु सभी युक्तियुक्त कदम उठाएगा (जिसमें, यथासाध्य सीमा तक, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं पर उद्गृहीत किए जाने वाले प्रभार में वृद्धि सम्मिलित है)।

19 व्यतिक्रम

19.1 बीआईएएल व्यतिक्रम घटनाएँ

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना एक "बीआईएएल व्यतिक्रम घटना" गठित करेगी:

- (i) इस खंड 19.1 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि बीआईएएल इस करार के निबंधनों का सारवान उल्लंघन करता है और ऐसे उल्लंघन का, यदि वह उपचार योग्य है, उस तिथि से, जिसको बीआईएएल को जीओके से यह विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना प्राप्त होती है कि ऐसा उल्लंघन हुआ है, एक सौ बीस (120) लगातार दिनों के भीतर उपचार नहीं किया गया है;
- (ii) यदि बीआईएएल वित्तीय समापन के साथ (60) दिनों के भीतर हवाईअड्डे का निर्माण प्रारंभ करने में विफल रहता है;
- (iii) यदि बीआईएएल, जीओके की लिखित सहमति के बिना, पैंतालीस (45) से अधिक लगातार दिनों तक प्रारंभिक चरण के निर्माण का परित्याग कर देता है;
- (iv) यदि हवाईअड्डा आरंभ, हवाईअड्डा आरंभ लक्ष्य तिथि या इस करार के खंड 6.2 में यथाउपबंधित उसके किसी विस्तार के पश्चात् बारह (12) माह पर पड़ने वाली तिथि तक नहीं हुआ है;
- (v) यदि, हवाईअड्डा आरंभ के पश्चात्, जीओआई या जीओके की लिखित सहमति के बिना, हवाईअड्डा, चाहे किसी कार्य या लोप द्वारा, चौदह (14) से अधिक लगातार दिनों तक अथवा किसी कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर तीस (30) से अधिक दिनों तक प्रचालन बंद कर देता है;

(vi) यदि इस करार के अंतर्गत बीआईएएल से देय एवं संदेय कोई राशि ऐसी राशियों के देय एवं संदेय होने के इक्कीस (21) दिनों के भीतर संदत्त नहीं की जाती है;

(vii) बीआईएएल के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन हेतु कोई आदेश किया जाना या संकल्प पारित किया जाना, जिसे, यदि ऐसा किया जाना संभव हो, यथास्थिति, उसके पश्चात् नब्बे (90) दिनों के भीतर उन्मोचित या प्रतिसंहत नहीं किया जाता है;

(viii) यदि इस करार के अंतर्गत बीआईएएल द्वारा दिया गया कोई सारवान अभ्यावेदन या वारंटी गलत है;

(ix) खंड 7.5.5 के अनुसरण में सहमत मानकों को प्राप्त करने में बीआईएएल की विफलता; तथा

(x) बीआईएएल द्वारा भूमि पट्टा करार का कोई सारवान उल्लंघन।

परंतु यह कि उपर्युक्त पैरा (i) से (v) एवं (ix) में उल्लिखित घटनाएँ बीआईएएल व्यतिक्रम घटना गठित नहीं करेंगी यदि वे खंड 6.2 के परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी भी घटना का परिणाम और/या फल हों।

19.2 जीओके व्यतिक्रम घटनाएँ

निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना एक "जीओके व्यतिक्रम घटना" गठित करेगी:

(i) इस खंड 19.2 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि जीओके इस करार के निबंधनों का उल्लंघन करती है और/या केएसआईआईडीसी भूमि पट्टा करार के निबंधनों का ऐसी सीमा तक उल्लंघन करता है जिसका बीआईएएल के अधिकारों या दायित्वों पर सारवान प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ऐसे उल्लंघन का, यदि वह उपचार योग्य है, उस तिथि से, जिसको जीओके को बीआईएएल से यह विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना प्राप्त होती है कि ऐसा उल्लंघन हुआ है, एक सौ बीस (120) लगातार दिनों के भीतर उपचार नहीं किया गया है;

(ii) यदि इस करार के अंतर्गत जीओके से देय एवं संदेय कोई राशि बीआईएएल द्वारा या उसकी ओर से उसके लिए अनुरोध प्राप्त होने के इक्कीस (21) दिनों के भीतर संदत्त नहीं की जाती है;

(iii) खंड 18.4 एवं 18.5 में उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने के पश्चात्, यदि खंड 18.4 एवं 18.5 के अनुसरण में प्रतिकर हेतु बीआईएएल के कुल बकाया दावे खंड 18.6 में निर्धारित अधिकतम प्रतिकर राशि से अधिक हो जाते हैं (जब तक कि, जैसा खंड 18.6 में निर्धारित है, जीओके अधिकतम प्रतिकर राशि से अधिक प्रतिकर का भुगतान बीआईएएल को न कर दे और ऐसा अतिरिक्त भुगतान बीआईएएल द्वारा किए गए प्रतिकर के सभी कुल दावों को आवृत्त न कर ले); इस पैरा (iii) के प्रयोजनार्थ, बीआईएएल के कुल बकाया दावों में ऐसे कोई दावे सम्मिलित नहीं होंगे जिनके संबंध में बीआईएएल को खंड 18.4 एवं खंड 18.5 के अनुसार पूर्णतः प्रतिकर दिया जा चुका है। खंड 18.4 एवं खंड 18.5 में उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने के पश्चात्, जीओके को उन खंडों के अनुसरण में बीआईएएल को प्रतिकर का भुगतान करने के बदले इस खंड 19.2 के अनुसरण में किसी भी समय करार की समाप्ति का अनुरोध करने का अधिकार होगा; तथा

(iv) यदि इस करार के अंतर्गत जीओके द्वारा दिया गया कोई सारवान अभ्यावेदन या वारंटी गलत है।

19.3 व्यतिक्रम के परिणाम

19.3.1 किसी बीआईएएल व्यतिक्रम घटना के घटित होने की स्थिति में, जीओके को बीआईएएल को यह अधिसूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है तथा (यदि वह उपचार योग्य है) एक सौ बीस (120) दिनों से अन्यून युक्तियुक्त अवधि के भीतर उसके उपचार की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् उल्लंघन का उपचार नहीं किया गया है, तो जीओके या उसके द्वारा नामित किसी इकाई को बीआईएएल को इस करार को समाप्त करने की सूचना जारी करने का अधिकार होगा, किंतु वह ऐसा करने हेतु बाध्य नहीं होगी। जीओके द्वारा समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग किए जाने की स्थिति में, जीओके नीचे खंड 19.4 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि को, जो ऐसी समाप्ति सूचना जारी होने के 180 दिनों के बाद की नहीं होगी, समाप्ति राशि के बराबर राशि का भुगतान करने पर, हवाईअड्डे में एवं उस पर बीआईएएल के सभी अधिकार, हक एवं हित अर्जित करेगी। "समाप्ति राशि" से ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%) अभिप्रेत है, जिसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा: (i) इस खंड 19.3.1 के अंतर्गत समाप्ति का कारण बनी बीआईएएल व्यतिक्रम घटना के घटित होने के पश्चात् किए गए दावों के संबंध में बीआईएएल द्वारा प्राप्त या उसे देय एवं संदेय कोई बीमा राशि; (ii) किसी विस्तार के वित्तपोषण हेतु बीआईएएल द्वारा प्राप्त कोई ऋण, जिसके लिए उसके निदेशक मंडल का तथा शेयरधारक करार के खंड 9.4 के अंतर्गत पूर्व सर्वसम्मत अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है; तथा (iii) किसी ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधि के वित्तपोषण हेतु बीआईएएल द्वारा प्राप्त कोई ऋण, जिसे खंड 4.3.3 के अनुसरण में जीओके द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

19.3.2 किसी जीओके व्यतिक्रम घटना की स्थिति में, बीआईएएल को जीओके को यह अधिसूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है तथा (यदि वह उपचार योग्य है) एक सौ बीस (120) दिनों से अन्यून युक्तियुक्त अवधि के भीतर उसके उपचार की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् जीओके व्यतिक्रम घटना को जन्म देने वाली घटना का उपचार नहीं किया गया है, तो बीआईएएल को जीओके को इस करार को समाप्त करने की सूचना जारी करने का अधिकार होगा, किंतु वह ऐसा करने हेतु बाध्य नहीं होगा। बीआईएएल द्वारा समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग किए जाने की स्थिति में, जीओके नीचे खंड 19.4 में निर्धारित रीति से, अंतरण तिथि को, जो ऐसी समाप्ति सूचना जारी होने के 180 दिनों के बाद की नहीं होगी, (i) निपटान राशि अथवा (ii) ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%), इनमें से जो भी उच्चतर हो, उसके बराबर राशि का भुगतान करने पर, हवाईअड्डे में एवं उस पर बीआईएएल के सभी अधिकार, हक एवं हित अर्जित करेगी, जिसमें से निम्नलिखित घटाया जाएगा:

(क) इस अनुच्छेद 19.3.2 के अंतर्गत समाप्ति का कारण बनी जीओके व्यतिक्रम घटना के घटित होने के पश्चात् किए गए दावों के संबंध में बीआईएएल द्वारा प्राप्त या उसे देय एवं संदेय कोई बीमा राशि;

(ख) किसी विस्तार के वित्तपोषण हेतु बीआईएएल द्वारा प्राप्त कोई ऋण, जिसके लिए उसके निदेशक मंडल का तथा शेयरधारक करार के खंड 9.4 के अंतर्गत पूर्व सर्वसम्मत अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है; तथा

(ग) किसी ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधि के वित्तपोषण हेतु बीआईएएल द्वारा प्राप्त कोई ऋण, जिसे खंड 4.3.3 के अनुसरण में जीओके द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

19.4 हवाईअड्डे का अंतरण

19.4.1 इस करार के खंड 19.3 के अंतर्गत बीआईएएल या जीओके द्वारा समाप्ति के अधिकार का प्रयोग किए जाने पर, तथा प्रतिकर हेतु बीआईएएल के किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीआईएएल की समस्त आस्तियाँ अंतरण तिथि को, बिना भुगतान के (यथास्थिति, खंड 19.3.1 या खंड 19.3.2 में विनिर्दिष्ट राशियों के भुगतान को छोड़कर) तथा किसी भी प्रतिभूति से मुक्त एवं किन्हीं विल्लंगमों एवं दायित्वों के बिना, जैसा नीचे खंड 19.4.3 में उपबंधित है, जीओके या उसके नामिती को अंतरित की जाएँगी। संदेह के निवारण हेतु, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(i) बीआईएएल की समस्त स्थावर, जंगम एवं अमूर्त संपत्ति (बौद्धिक संपदा, योजनाओं, अभिकल्पनों एवं आरेखों सहित), स्टॉक, सामग्री, वाहन एवं अतिरिक्त पुर्जे;

(ii) इस करार के प्रावधानों के अनुसार बीआईएएल एवं किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक के बीच की गई सभी संविदाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत या उनके अनुसरण में अधिकार एवं दायित्व (संविदाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत या उनके अनुसरण में दायित्वों को जीओके द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रतिफलस्वरूप); तथा

(iii) बीआईएएल द्वारा की गई अन्य सभी संविदाओं (संदेह के निवारण हेतु, बीमा संविदाओं, गारंटियों एवं वारंटियों सहित) के अंतर्गत या उनके अनुसरण में अधिकार एवं दायित्व (ऐसी संविदाओं के अंतर्गत या उनके अनुसरण में दायित्वों को जीओके द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रतिफलस्वरूप)।

19.4.2 खंड 19.4.1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हवाईअड्डे के किसी अंतरण से पूर्व, जीओके को गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों से संबंधित उन संविदाओं एवं करारों का सम्यक् तत्परता परीक्षण (ड्यू डिलिजेंस) करने का अधिकार होगा जिनके अधिकार एवं दायित्व वह ग्रहण कर रही है, तथा वह ऐसी संविदाओं के अधिकारों एवं दायित्वों को ग्रहण करने हेतु बाध्य नहीं होगी जो जीओके की एकमात्र राय में अयुक्तियुक्त रूप से दुर्वह हैं, और जिन्हें संविदाएँ किए जाने के समय दुर्वह माना जाता। जीओके, खंड 19.3 के अंतर्गत जीओके या बीआईएएल द्वारा समाप्ति के अधिकार के प्रयोग के पश्चात् इन प्रयोजनों हेतु बीआईएएल द्वारा डेटा रूम खोले जाने के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर सम्यक् तत्परता परीक्षण करेगी तथा उन संविदाओं एवं करारों की पहचान करेगी जिन्हें वह ग्रहण करने हेतु तैयार है। संदेह के निवारण हेतु, जिस सीमा तक जीओके ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों का अधिग्रहण करने का विकल्प चुनती है जिन्हें खंड 4.3.3 के अनुसार जीओके द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, उस सीमा तक समाप्ति राशि या निपटान राशि की गणना में ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के निवेश, राशियाँ या लागतें सम्मिलित होंगी।

19.4.3 इस खंड 19.4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अंतरण तिथि से पूर्व के कार्यों या अकार्यों के कारण उत्पन्न होने वाला बीआईएएल का या हवाईअड्डे से संबंधित कोई भी दायित्व (प्रोद्भूत

या समाश्रित) जीओके या उसके नामितियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा या उन्हें अंतरित नहीं किया जाएगा। जीओके या उसके नामिती केवल अंतरण तिथि के पश्चात् उत्पन्न होने वाले हवाईअड्डे से संबंधित दायित्वों हेतु दायी होंगे।

19.4.4 जीओके व्यतिक्रम घटना के कारण हुई सीमा को छोड़कर, बीआईएएल उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि खंड 19.4.1 में निर्दिष्ट समस्त संपत्ति, आस्तियाँ, अधिकार एवं अन्य मर्दाने, जो जीओके में निहित या उसे अंतरित की जाती हैं, अच्छी कार्यशील दशा में तथा अच्छी मरम्मत की स्थिति में हों और हवाईअड्डा एक चालू व्यवसाय (गोइंग कंसर्न) के रूप में अच्छी प्रचालन दशा में जीओके को अंतरित किया जाए, किंतु यह प्रावधान तब संतुष्ट हुआ माना जाएगा यदि बीआईएएल तत्समय अपने अनुरक्षण दायित्वों का अनुपालन कर रहा है।

19.5 रियायत करार की समाप्ति

रियायत करार की समाप्ति पर, पक्षकार इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के आगे पालन से मुक्त हो जाएँगे। यदि जीओआई रियायत करार को समाप्त करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करती है और उसके अनुच्छेद 13.5 के अनुसार बीआईएएल से हवाईअड्डा जीओआई को अंतरित करने की अपेक्षा करती है, तो बीआईएएल इस करार के खंड 19.4 के अनुसार हवाईअड्डा जीओके को अंतरित करने हेतु बाध्य नहीं होगा। यदि बीआईएएल से हवाईअड्डा जीओआई को अंतरित करने की अपेक्षा की जाती है, तो जीओके इसके अंतर्गत बीआईएएल को, यथास्थिति, समाप्ति राशि या निपटान राशि का भुगतान करने हेतु दायी नहीं होगी।

19.6 समाप्ति-पूर्व दायित्व

इस करार की अवधि-समाप्ति या समाप्ति, जीओके और/या बीआईएएल को उस समय प्रोद्भूत हो चुके (या ऐसी अवधि-समाप्ति या समाप्ति से पूर्व किसी कार्य या लोप के संबंध में तत्पश्चात् प्रोद्भूत होने वाले) सभी अधिकारों एवं दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, तथा उन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो स्पष्ट रूप से निरंतर दायित्वों का उपबंध करते हैं या जो ऐसी अवधि-समाप्ति या समाप्ति अथवा ऐसी अवधि-समाप्ति या समाप्ति के परिणामों को प्रभावी करने हेतु अपेक्षित हैं।

19.7 अवधि

जब तक खंड 2.3.1, खंड 19.3 के अनुसार अथवा पक्षकारों के बीच लिखित पारस्परिक सहमति द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाए, इस करार की अवधि रियायत करार के साथ सह-समाप्य होगी।

19.8 समाप्ति के अन्य अधिकार

इस करार को समाप्त करने के पक्षकारों के अधिकार इस करार में स्पष्ट रूप से निर्धारित अधिकारों तक सीमित होंगे।

19.9 उत्तरजीविता

इस करार के खंड 1, 19.3, 19.4, 19.6, 33, 34, 35 एवं 38 इस करार की समाप्ति के होते हुए भी पक्षकारों पर बाध्यकारी बने रहेंगे।

20 लोक शिकायतों का निवारण

20.1 शिकायत रजिस्टर

20.1.1 बीआईएएल हवाईअड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा जहाँ वह किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायतें दर्ज करने हेतु सदैव सुलभ एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") रखेगा। शिकायत दर्ज किए जाने के तुरंत पश्चात्, बीआईएएल शिकायतकर्ता को तिथि एवं शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती देगा।

20.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से जिल्दबंद होगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत संख्या अंकित होगी। इसमें समुचित स्तंभ होंगे, जिनमें शिकायत संख्या, तिथि, शिकायतकर्ता का नाम एवं पता, शिकायत का सार तथा बीआईएएल द्वारा की गई कार्रवाई सम्मिलित हैं। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता एवं उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी बीआईएएल द्वारा हवाईअड्डे पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

20.2 शिकायतों का निवारण

खंड 20.3 के अधीन रहते हुए, बीआईएएल प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा तथा प्रत्येक शिकायत के निवारण हेतु तत्पर एवं युक्तियुक्त कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई का संक्षिप्त उल्लेख शिकायत रजिस्टर में किया जाएगा तथा उसका विवरण देते हुए एक उत्तर बीआईएएल द्वारा शिकायतकर्ता को डाक-प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन भेजा जाएगा।

20.3 आरक्षित गतिविधियाँ

जिस सीमा तक किसी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतें आरक्षित गतिविधियों के निष्पादन या अन्यथा से संबंधित हों, उस सीमा तक बीआईएएल संबंधित प्राधिकरण को अधिसूचित करेगा, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्रत्येक शिकायत के निवारण हेतु तत्पर एवं युक्तियुक्त कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई का संक्षिप्त उल्लेख शिकायत रजिस्टर में किया जाएगा तथा उसका विवरण देते हुए एक उत्तर संबंधित प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को डाक-प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन भेजा जाएगा।

21 समनुदेशन एवं प्रतिभूति

21.1 समनुदेशन

21.1.1 इस करार की तिथि के पश्चात् लागू विधि में ऐसे किसी परिवर्तन के होते हुए भी, जो अन्यथा इस करार के समनुदेशन की अनुमति दे सकता हो, कोई भी पक्षकार (खंड 21.1.2 के अनुसरण में यथाअनुमत के सिवाय) इस करार का या इसके अंतर्गत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व का अथवा इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं करेगा, अथवा इस करार

पर या इसके अंतर्गत या इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व पर अथवा इसमें किसी लाभ या हित पर कोई प्रतिभूति सृजित नहीं करेगा या उसे विद्यमान रहने की अनुमति नहीं देगा।

21.1.2 ऋणदाताओं को प्रतिभूति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, बीआईएएल इस करार के अंतर्गत अपने कतिपय या समस्त अधिकारों एवं दायित्वों का समनुदेशन एवं अंतरण कर सकेगा।

21.2 बौद्धिक संपदा अधिकार

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि, संबंधित सामग्रियों, आरेखों एवं दस्तावेजों के अस्तित्व में आने की तिथि से, परियोजना के प्रयोजनार्थ बीआईएएल द्वारा या उसकी ओर से अस्तित्व में लाई गई समस्त सामग्रियों, आरेखों एवं दस्तावेजों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का पूर्ण एवं विल्लंगम-रहित स्वामित्व उसके पास होगा, अथवा उसके पास परियोजना से संबंधित किसी भी प्रयोजन हेतु ऐसे समस्त आरेखों, सामग्रियों एवं दस्तावेजों की उप-अनुज्ञप्तियाँ प्रदान करने तथा उनकी प्रतिलिपि बनाने, पुनरुत्पादन, उपांतरण, अनुवाद एवं उपयोग करने के अधिकार सहित एक अप्रतिसंहरणीय, रॉयल्टी-मुक्त, अनन्य-रहित एवं अंतरणीय अनुज्ञप्ति होगी।

22 अभिलेख

सभी लागू विधियों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, बीआईएएल हवाईअड्डे के अभिकल्पन, निर्माण, समापन, कमीशनिंग, अनुरक्षण, प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास के संबंध में पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिनमें एक अनुरक्षण नियमावली तथा हवाईअड्डे के सभी पहलुओं के "यथानिर्मित" (as built) आरेख सम्मिलित हैं, तथा बीआईएएल द्वारा इसके निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन के जीओके द्वारा सत्यापन के प्रयोजनार्थ उन्हें वर्ष में एक बार तथा, यदि आवश्यक हो, जीओके के साथ यथासहमत अंतरालों पर, सामान्य कार्य-समय के दौरान जीओके के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगा, तथा माँगे जाने पर उनकी प्रतियाँ जीओके को प्रस्तुत करेगा।

23 उपचार, अधित्यजन, संशोधन एवं सहमतियाँ

23.1 कोई विवक्षित अधित्यजन नहीं, उपचार संचयी

जीओके या बीआईएएल की ओर से इस करार के अंतर्गत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में कोई विफलता, तथा उसका प्रयोग करने में उनकी ओर से कोई विलंब, उसके अधित्यजन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग उसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को प्रवारित करेगा। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस करार में उपबंधित अधिकार, शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं उपचार संचयी हैं तथा किन्हीं अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपचारों (चाहे विधि द्वारा या अन्यथा उपबंधित हों) के अनन्य नहीं हैं।

23.2 संशोधन, अधित्यजन एवं सहमतियाँ

23.2.1 संशोधन

(i) इस करार के किसी भी प्रावधान का संशोधन, अनुपूरण या उपांतरण केवल पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित करार द्वारा ही किया जा सकेगा।

(ii) जीओके या बीआईएएल किसी भी समय दूसरे पक्षकार से इस करार के किसी भाग के प्रचालन की समीक्षा करने हेतु तथा, किसी भी पक्षकार की प्रतिबद्धता के बिना, यह निर्धारित करने हेतु कि क्या उसे पारस्परिक सहमति द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए, चर्चा करने का अनुरोध कर सकेगा, परंतु यह कि, जब तक ऐसी पारस्परिक सहमति न हो, इस करार के प्रावधान (जैसे वे तत्समय नवीनतम रूप से, यदि कोई हों, संशोधित हों) ऐसी किसी चर्चा या समीक्षा का परिणाम चाहे जो भी हो तथा चाहे ऐसी कोई चर्चा या समीक्षा हो या न हो, लागू होते रहेंगे।

(iii) इस करार के किसी अन्य प्रावधान के निबंधनों के होते हुए भी, यदि इस करार के किसी प्रावधान के किसी संशोधन, अनुपूरण या उपांतरण हेतु विधि द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित हो, तो वह इस करार का उल्लंघन नहीं होगा।

23.2.2 अधित्यजन एवं सहमतियाँ

(i) इस करार के किसी प्रावधान का या किसी प्रावधान के उल्लंघन का, उसके घटित होने से पूर्व या पश्चात्, अधित्यजन केवल तभी किया जा सकेगा जब वह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित करार द्वारा साक्षित हो।

(ii) इस करार के किसी प्रावधान के अंतर्गत या उसके अनुसरण में कोई भी सहमति भी लिखित रूप में होनी चाहिए तथा उस घटना, कार्य या लोप से पूर्व दी जानी चाहिए जिसके लिए वह माँगी गई है।

(iii) ऐसा कोई भी अधित्यजन या सहमति उसे देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त समझी गई किन्हीं शर्तों के अधीन दी जा सकेगी तथा वह केवल उसी दृष्टांत में एवं उसी प्रयोजन हेतु प्रभावी होगी जिसके लिए वह दी गई है।

23.3 बीआईएएल की सूचीबद्धता पर संशोधन

23.3.1 बीआईएएल इस करार की अवधि के दौरान किसी समुचित चरण पर आईपीओ लाने पर विचार कर सकेगा।

23.3.2 ऐसे किसी आईपीओ से पूर्व, पक्षकार खंड 23.2 के अनुसार इस करार का तथा विशेष रूप से इसके खंड 18 एवं 19 का संशोधन करेंगे, तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा यथाअपेक्षित कोई अन्य संशोधन करेंगे और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा यथाअपेक्षित कोई भी संबंधित जानकारी सार्वजनिक करेंगे।

24 संपूर्ण करार

यह करार तथा इसके अनुसरण में किए जाने वाले दस्तावेज इस करार की विषयवस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण करार गठित करते हैं तथा ऐसी विषयवस्तु के संबंध में उनके बीच हुए किसी भी पूर्ववर्ती लिखित या मौखिक करार का अधिक्रमण करते हैं।

25 अतिरिक्त आश्वासन

25.1 अतिरिक्त आश्वासन

प्रत्येक पक्षकार ऐसे दस्तावेज निष्पादित करेगा तथा ऐसे कार्य एवं बातें करेगा, और यह सुनिश्चित करने हेतु सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा कि कोई भी संबंधित तृतीय पक्षकार ऐसे दस्तावेज निष्पादित करे तथा ऐसे कार्य एवं बातें करे, जिनकी अनुरोधकर्ता पक्षकार इस करार के सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ अनुरोधकर्ता पक्षकार को देने के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे। परंतु यह कि यह अनुरोधित पक्षकार को किसी अहित के बिना तथा अनुरोधकर्ता पक्षकार की लागत एवं जोखिम पर होगा।

25.2 प्रत्यक्ष करार

जीओके, ऋणदाताओं से अनुरोध प्राप्त होने पर, ऋणदाताओं के साथ सारतः इस करार की अनुसूची 4 के रूप में संलग्न प्रपत्र में एक प्रत्यक्ष करार करेगी, जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, जीओके समाप्ति के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के अपने किसी आशय की पूर्व सूचना देने, ऐसे ऋणदाताओं को बीआईएएल की ओर से किसी व्यतिक्रम का उपचार करने का अधिकार देने, और/या ऐसे ऋणदाताओं को कतिपय परिस्थितियों में करार के अंतर्गत बीआईएएल के दायित्वों का निर्वहन करने एवं लाभों का उपभोग करने हेतु स्वयं को प्रतिस्थापित करने या किसी तृतीय पक्षकार प्रतिस्थानी को नियुक्त करने की अनुमति देने हेतु सहमत होती है।

26 आंशिक अविधिमान्यता

26.1 यदि किसी भी समय इस करार का कोई प्रावधान किसी अधिकारिता की किसी विधि के अंतर्गत किसी भी दृष्टि से अवैध, अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है, तो न तो शेष प्रावधानों की वैधता, विधिमान्यता या प्रवर्तनीयता और न ही किसी अन्य अधिकारिता की विधि के अंतर्गत ऐसे प्रावधान की वैधता, विधिमान्यता या प्रवर्तनीयता, किसी भी प्रकार से प्रभावित या क्षीण नहीं होगी तथा इस करार के शेष भाग की वैधानिकता, वैधता और प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी।

26.2 पक्षकार ऐसे एक या अधिक उपबंधों पर सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे, जिन्हें ऐसे किसी अविधिमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय उपबंध के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जो जीओके को संतोषजनक हों और जो सभी परिस्थितियों में, यथासंभव निकटतम रूप में, पक्षकारों के वाणिज्यिक हितों का उपयुक्त संतुलन स्थापित करें।

27 कोई भागीदारी नहीं

न तो यह करार, न ही कोई अन्य करार या व्यवस्था जिसका यह भाग है, और न ही ऐसे किसी करार या व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा अपने-अपने दायित्वों का पालन, पक्षकारों के बीच भागीदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्षकार को (जब तक कि इस करार के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदत्त न किया गया हो और प्रतिसंहत न किया गया हो) किसी अन्य पक्षकार को उसके अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा आबद्ध करने का कोई प्राधिकार नहीं होगा।

28 समय सारभूत

इस करार में समय सारभूत होगा, इसमें उल्लिखित तिथियों, अवधियों या दिन के समयों के संबंध में भी और इस करार के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किन्हीं तिथियों, अवधियों या दिन के समयों के संबंध में भी।

29 समय की गणना

इस करार में निर्दिष्ट समय बेंगलोर, भारत के समय हैं। इस करार के अंतर्गत विहित या अनुमत किसी समयावधि की गणना करते समय, उस कार्य, घटना या चूक का दिन, जिससे निर्दिष्ट समयावधि आरंभ होती है, सम्मिलित किया जाएगा। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कार्य दिवस नहीं है, तो वह अवधि अगले कार्य दिवस की समाप्ति तक चलेगी।

30 सूचनाएँ

30.1 लिखित संचार

इस करार के अंतर्गत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, फैक्स या पंजीकृत पत्र द्वारा किया जा सकता है।

30.2 पते

इस करार के अंतर्गत या इसके संबंध में किए जाने वाले या परिदत्त किए जाने वाले किसी संचार या दस्तावेज़ के लिए प्रत्येक पक्षकार का पता और फैक्स नंबर (तथा वह विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यानार्थ संचार किया जाना है) निम्नानुसार हैं:

जीओके:

कर्नाटक सरकार सचिवालय, अवसंरचना विकास विभाग, एम.एस. भवन, पाँचवाँ चरण, भूतल,

बेंगलोर - 560 001

फैक्स: +91 80 22280605

ध्यानार्थ: प्रधान सचिव, अवसंरचना विकास विभाग

बीआईएएल:

बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

खनिज भवन, भूतल

#49, रेस कोर्स रोड

बेंगलोर - 560 001

भारत

फैक्स: +91 80 22081284

ध्यानार्थ: मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक

अथवा कोई प्रतिस्थापित पता, फैंक्स नंबर या विभाग या अधिकारी, जिसे कोई पक्षकार अन्य पक्षकार को कम से कम पाँच (5) कार्य दिवसों की सूचना देकर अधिसूचित करे।

31 मानित परिदान

इस करार में अन्यथा उपबंधित के अधीन रहते हुए, इस करार के अंतर्गत या इसके अनुसरण में किया गया कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त हुआ माना जाएगा – (यदि पारेषण की पुष्टि के साथ फैंक्स द्वारा या टैलेक्स द्वारा भेजा गया हो और, टैलेक्स की दशा में, प्रत्युत्तर संकेत प्राप्त होने पर) उस स्थान पर, जहाँ वह भेजा गया है, अगले कार्य दिवस को, अथवा (किसी अन्य दशा में) जब वह खंड 30.2 द्वारा अपेक्षित पते पर छोड़ा गया हो, या उस पते पर डाक-व्यय पूर्वदत्त करके और संबोधित करके पंजीकृत डाक (किसी अन्य देश को भेजे जाने पर हवाई डाक द्वारा) से भेजे जाने के पश्चात् ऐसे 10 कार्य दिवसों के भीतर। इन प्रयोजनों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और बैंक अवकाश दिवसों से भिन्न दिवस हैं।

32 शासी भाषा

इस करार के निर्वचन को शासित करने वाली भाषा अंग्रेज़ी भाषा है। किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाने वाली अपेक्षित सभी सूचनाएँ तथा अन्य सभी संचार और दस्तावेज़, जो किसी भी प्रकार से इस करार से सुसंगत हैं और जो इस करार के निष्पादन, कार्यान्वयन और समापन से सुसंगत हैं, जिनमें किसी विवाद समाधान कार्यवाही सहित, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

33 विवादों का निपटारा

33.1 बातचीत और सुलह

पक्षकार इस करार से उत्पन्न होने वाले, इसके संबंध में या इससे संबंधित पक्षकारों के बीच किसी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवादास्पद विषय ("विवाद") को आपस में बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने युक्तियुक्त प्रयास करेंगे।

33.2 मध्यस्थ को निर्देश

कोई भी विवाद, जिसे पक्षकार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाद के अस्तित्व की लिखित अधिसूचना के साठ (60) दिनों (या ऐसी लंबी अवधि, जिस पर पक्षकार सहमत हों) के भीतर खंड 33.1 के अनुसरण में निपटाने में असमर्थ हों, भारतीय माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार तथा यूएनसीआईटीआरएल नियमों ("नियम") के अनुसार, नियमों के अनुसार नियुक्त तीन मध्यस्थों द्वारा माध्यस्थम् के माध्यम से अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। भारतीय माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 और नियमों के बीच विरोध की दशा में, पूर्ववर्ती के उपबंध अभिभावी होंगे।

33.3 विविध

माध्यस्थम् का स्थान बेंगलोर होगा। प्रत्येक पक्षकार नियमों के अनुसार माध्यस्थम् के व्यय का भुगतान करेगा और लागतों का अंतिम दायित्व माध्यस्थम् पंचाट की शर्तों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या अभिकर्ता, अथवा सलाहकार या विधि परामर्शी नहीं होगा, या किसी भी प्रकार से पक्षकारों से संबंधित या निकट रूप से जुड़ा हुआ नहीं होगा। माध्यस्थम् की भाषा अंग्रेज़ी होगी।

33.4 निर्णय/पंचाट

इस खंड 33 के अनुसरण में नियुक्त माध्यस्थम् अधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होगा। पक्षकार सहमत हैं कि दिया गया कोई भी माध्यस्थम् पंचाट पक्षकारों द्वारा संबंधित पक्षकार की समतुल्य मूल्य की आस्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकता है, चाहे वे आस्तियाँ कहीं भी स्थित हों या पाई जाएँ, और किसी भी माध्यस्थम् पंचाट पर निर्णय (जहाँ कहीं आवश्यक हो) उसकी सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति स्पष्ट रूप से स्वयं को अधीन करते हैं।

34 शासी विधि

इस करार का अर्थान्वयन भारत की विधियों के अनुसार किया जाएगा।

35 संप्रभु उन्मुक्ति

जीओके सहमत है कि वह इस करार के संबंध में भारत की सिविल और वाणिज्यिक विधियों के अधीन है और वह इस करार में उल्लिखित विषयों के संबंध में किसी भी अधिकारिता में किसी भी संप्रभु उन्मुक्ति का एतद्द्वारा बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से अधित्याग करता है।

36 चूक ब्याज

इस करार की शर्तों के अंतर्गत देय और संदेय कोई भी राशि, जिसका भुगतान उसकी नियत तिथि पर नहीं किया गया है, भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर जमा दो (2) प्रतिशत अंकों की दर से ब्याज वहन करेगी।

37 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह करार पक्षकारों के उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के लाभ के लिए प्रभावी होगा और उन पर आबद्धकर होगा।

38 भुगतान मुक्त और निर्बाध होंगे

खंड 18.4 और 18.5 में स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, इस करार के अंतर्गत जीओके या बीआईएएल द्वारा संदेय सभी राशियों (जिसमें, संदेह के निवारण हेतु, खंड 3 के अंतर्गत संदेय राज्य वित्तीय सहायता सम्मिलित है) का भुगतान (लागू विधि द्वारा अपेक्षित सीमा तक या इस करार के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अनुमत के सिवाय):

- (1) किसी भी प्रतिबंध या शर्त से मुक्त रूप में; और
- (2) मुजरा या प्रतिदावे के कारण किसी कटौती या रोक के बिना किया जाएगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप जीओके और बीआईएएल ने, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसमें सबसे पहले ऊपर उल्लिखित तिथि को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

कर्नाटक के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर
से

कर्नाटक के राज्यपाल

[हस्ताक्षर]

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

विनय कुमार

कर्नाटक सरकार, बेंगलूर के अवसंरचना विकास
विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से कार्य
करते हुए, निम्नलिखित की उपस्थिति में
हस्ताक्षरित:

[हस्ताक्षर]

साक्षी के हस्ताक्षर
विजय गोरे

साक्षी का नाम और पता

बेंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए
और उसकी ओर से, एक सम्यक् रूप से
प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, निम्नलिखित की
उपस्थिति में हस्ताक्षरित:

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

[हस्ताक्षर]

प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर
(1) [अपठनीय]

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम
[हस्ताक्षर]

(2) हर्बर्ट मायर

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

साक्षी के हस्ताक्षर
[अपठनीय]

साक्षी का नाम और पता

अनुसूची 1

[जानबूझकर रिक्त छोड़ा गया]

अनुसूची 2

भाग 1 - हवाईअड्डा गतिविधियाँ

हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण सम्मिलित हैं:

विमानक्षेत्र नियंत्रण सेवाएँ

हवाई क्षेत्र

हवाई क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था

हवाईअड्डे से संबंधित हवाई दिक्कालन सेवाएँ

वायु-पक्ष और परिधि सुरक्षा, जिसमें प्रवेश नियंत्रण और गश्त सम्मिलित है

वायु-पक्ष और भू-पक्ष पहुँच मार्ग और अग्रांगण, जिनमें प्रकाश व्यवस्था, यातायात संकेतक, संकेत-पट और निगरानी सम्मिलित है

एप्रन और वायुयान खड़ा करने का क्षेत्र

एप्रन नियंत्रण और वायुयान स्टैंडों का आवंटन

आगमन प्रांगण और भेंट क्षेत्र

सामान प्रणालियाँ, जिनमें प्रस्थान और पुनः प्राप्ति सम्मिलित है

पक्षी भगाना

चेक-इन प्रांगण

सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, तापन, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन

सीमा शुल्क और आप्रवासन कक्ष

आपातकालीन सेवाएँ

दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले अन्य व्यक्तियों हेतु सुविधाएँ

अग्निशमन सेवा

उड़ान सूचना और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालियाँ

दूषित जल और सतही जल निकासी

मार्गदर्शन प्रणालियाँ और वायुयान संकेतन

सूचना पटल और कार्मिक व्यवस्था

अंतर-टर्मिनल पारगमन प्रणालियाँ

भू-दृश्यांकन और बागवानी

लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियाँ और यात्री वाहक पट्टियाँ

आरोहण सेतु

खोई हुई संपत्ति

मौसम विज्ञान सेवाएँ / एआईएस

शोर रोधन और ध्वनिरोधन

यात्री और हस्त सामान की तलाशी
पियर और द्वार कक्ष
पुलिस व्यवस्था और सामान्य सुरक्षा
प्रार्थना कक्ष
धावनपथ
समय-सारणी समिति सहायता
संकेत-पट
कर्मचारियों की तलाशी
टैक्सी पथ
शौचालय और स्तनपान कक्ष
अपशिष्ट और कूड़ा-करकट उपचार और निपटान
साथ ले जाए जाने वाले और चेक-इन किए गए सामान के लिए एक्स-रे सेवा
वायुयान सफाई सेवाएँ
वायुयान ईंधन भराई सेवाएँ
विमान कंपनी विश्राम कक्ष
बैंक / एटीएम - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा
मुद्रा विनिमय केंद्र - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा
व्यावसायिक केंद्र - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा
वाहन पार्किंग
माल प्रहस्तन
माल टर्मिनल
सम्मेलन केंद्र - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा।
शुल्क-मुक्त बिजली - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा
उड़ान खानपान सेवाएँ
माल समेकक/अग्रेषक या अभिकर्ता
सामान्य विमानन भू-प्रहस्तन
सामान्य विमानन टर्मिनल
सामान्य खुदरा दुकानें - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा
भू-प्रहस्तन सेवाएँ
भू-प्रहस्तन उपकरण
वायुयान हेतु भू-विद्युत आपूर्ति
विमानशालाएँ

भारी अनुरक्षण सेवाएँ - बीआईएएल इन्हें केवल तभी संचालित करेगा यदि ऐसी सेवाएँ हवाईअड्डे और/या वायुयान से संबंधित हों

होटल आरक्षण सेवाएँ - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा। हवाईअड्डा परिसर हेतु अवसंरचना, जैसे सड़कें, नालियाँ, जल आपूर्ति आदि।

लाइन अनुरक्षण सेवाएँ - बीआईएएल इन्हें केवल तभी संचालित करेगा यदि ऐसी सेवाएँ हवाईअड्डे और/या वायुयान से संबंधित हों

लॉकर किराया - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

संदेशवाहक सेवाएँ - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा अवलोकन छत

वायुयान हेतु पूर्व-अनुकूलित वायु

कुली सेवा

डाकघर - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

सार्वजनिक टेलीफोन - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

भोजनालय, मदिरालय और अन्य जलपान सुविधाएँ - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

विशेष सहायता सेवाएँ

पर्यटक सूचना सेवाएँ - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

यात्रा अभिकरण - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा ट्रॉली सेवा

जनोपयोगी सेवाएँ (जिनमें विद्युत, गैस, दूरसंचार और जल सम्मिलित हैं)

वाहन ईंधन भराई सेवाएँ - बीआईएएल इन्हें केवल तभी संचालित करेगा यदि ऐसी सेवाएँ हवाईअड्डे और/या वायुयान से संबंधित हों

वाहन किराया - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

विक्रय मशीनें - बीआईएएल केवल मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निवेश करेगा

वीआईपी/विशेष विश्राम कक्ष

भांडागार

स्वागत सेवाएँ

भाग 2 - गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ

गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण सम्मिलित हैं:

हवाईअड्डा शटल परिवहन सेवाएँ (होटल, नगर केंद्र आदि)

व्यावसायिक पार्क

उच्च प्रौद्योगिकी पार्क

होटल

औद्योगिक पार्क

वाणिज्यिक भवन

विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्यिक परिसर

गोल्फ मैदान

कंट्री क्लब

खाद्य भंडारागार (साइलो)

स्वतंत्र विद्युत उत्पादन

विनिर्माण कारखानों जैसे उत्पादन केंद्र

अनुसूची 3

कर छूट और अन्य लाभ

हवाईअड्डे के लिए निम्नलिखित कर छूट/लाभ उपलब्ध होंगे:

1. टर्नकी निर्माण संविदा या हवाईअड्डे से संबंधित किसी अन्य संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रापण की गई मशीनों, उपकरणों, पूँजीगत माल और निर्माण सामग्री पर प्रवेश कर के भुगतान से तीन वर्ष की अवधि के लिए या हवाईअड्डा आरंभ तिथि तक, जो भी पहले हो, छूट, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक बीजक रु. 25 लाख (निर्माण सामग्री के लिए रु. एक लाख) से कम का नहीं होना चाहिए; और
2. बीआईएएल को भूमि पट्टा करार में यथापरिभाषित "स्थल सुपुर्दगी तिथि" से पाँच (5) वर्ष की अवधि के लिए स्थानीय प्राधिकरण को संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।
3. खंड 11.1 में यथाउल्लिखित, बीआईएएल को स्थल के अंतरण हेतु स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों से छूट।
4. खंड 11.5 में यथाउल्लिखित, बीआईएएल को भूमि के उपयोग में परिवर्तन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए बीआईएएपीए को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।
5. खंड 11.6 में यथाउल्लिखित, बीआईएएपीए को सड़क उपकरण का भुगतान बीआईएएल पर लागू नहीं है।

उपर्युक्त छूट/लाभ सेवा प्रदाता अधिकार धारकों पर लागू नहीं होते हैं।

अनुसूची 4

जीओके प्रत्यक्ष करार का प्रारूप

यह प्रत्यक्ष करार (यह "करार") _____ में आज दिनांक ____ माह _____, 2005 को निम्नलिखित के द्वारा और उनके बीच किया गया:

- (1) कर्नाटक के राज्यपाल, जो कर्नाटक राज्य की सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं (जिन्हें इसमें आगे "कर्नाटक सरकार" कहा गया है, जिस पद में, जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध न हो, उनके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित माने जाएँगे); और
- (2) वेस्टर्न इंडिया ट्रस्टी एंड एक्जीक्यूटिव कंपनी लिमिटेड, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के अंतर्गत निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय विश्वस्था भवन, 218, प्रतापगंज पेठ, सतारा 415002 में है, प्रतिभूत पक्षकारों की ओर से कार्य करने वाले प्रतिभूति न्यासी की अपनी हैसियत में (जिसे इसमें आगे "प्रतिभूति न्यासी" कहा गया है, जिस पद में, जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित माने जाएँगे); और
- (3) बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय खनिज भवन, भूतल, #49, रेस कोर्स रोड, बेंगलोर-560 001 में है (जिसे इसमें आगे "कंपनी" कहा गया है, जिस पद में, जब तक कि वह संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित माने जाएँगे)।

(कर्नाटक सरकार, प्रतिभूति न्यासी और कंपनी को इसमें आगे "पक्षकार" कहा गया है)।

जबकि

1. कंपनी और कर्नाटक सरकार ने दिनांक () का राज्य सहायता करार ("राज्य सहायता करार") किया है।
2. कंपनी वित्तपोषण करार (जैसा कि राज्य सहायता करार में परिभाषित है) करने का प्रस्ताव करती है, जिनके अनुसरण में प्रतिभूत पक्षकार (जैसा कि नीचे परिभाषित है) उनमें उल्लिखित कतिपय निबंधनों और शर्तों पर कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के निकट देवनहल्ली में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं।
3. ऐसे वित्तपोषण की प्रतिभूति के रूप में, कतिपय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ("प्रतिभूत पक्षकार") के लाभ के लिए प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले कतिपय वित्तपोषण करारों ("प्रतिभूति दस्तावेज़") के अनुसरण में, कंपनी ने प्रतिभूत पक्षकारों के लाभ के लिए प्रतिभूति न्यासी को कंपनी की सभी आस्तियों पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सहायता करार में और उसके अधीन उसके सभी अधिकार, हक, हित और लाभ सम्मिलित हैं ("संपार्श्विक"), प्रथम प्राथमिकता प्रतिभूति हित प्रदान करने पर सहमति दी है।
4. कंपनी के अनुरोध के अनुसरण में, कर्नाटक सरकार प्रतिभूत पक्षकारों के लाभ के लिए इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुई है।

5. जब तक कि इसमें अन्यथा परिभाषित न हो, सभी परिभाषित पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें, यथास्थिति, राज्य सहायता करार या संबंधित वित्तपोषण करारों में दिया गया है।

अतः, अब, प्रतिभूत पक्षकारों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के प्रतिफलस्वरूप तथा अन्य उचित और मूल्यवान प्रतिफल के लिए, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता एतद्वारा अभिस्वीकार की जाती है, विधिक रूप से आबद्ध होने के आशय से,

(क) कर्नाटक सरकार एतद्वारा:

- (1) प्रतिभूति दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति की प्राप्ति अभिस्वीकार करती है और उनकी शर्तों की पुष्टि करती है, तथा प्रतिभूति न्यासी समय-समय पर ऐसे प्रतिभूति दस्तावेजों में किए गए संशोधनों की प्रतियाँ कर्नाटक सरकार को उपलब्ध कराने के लिए सहमत है;
- (2) वित्तपोषण करारों के अंतर्गत प्रतिभूत पक्षकारों को देय सभी दायित्वों की प्रतिभूति के रूप में, प्रतिभूत पक्षकारों के लाभ के लिए प्रतिभूति दस्तावेजों के अंतर्गत राज्य सहायता करार में और उसके अधीन कंपनी के सभी अधिकार, हक, लाभ और हित के प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन हेतु सहमति देती है,
- (3) सहमत है कि प्रतिभूति के रूप में ऐसे समनुदेशन राज्य सहायता करार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, और
- (4) सहमत है कि इसके द्वारा इस करार का निष्पादन और परिदान ऐसे समनुदेशन के लिए तथा इस करार और/या वित्तपोषण करारों में यथाउपबंधित किसी भावी समनुदेशन के लिए उसकी उचित लिखित सहमति है।

(ख) कर्नाटक सरकार आगे सहमत है, पुष्टि करती है और प्रसंविदा करती है कि:

- (1) यदि प्रतिभूति न्यासी ने वित्तपोषण करारों के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति हितों के अनुसरण में अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है और/या वह इसका हकदार हो गया है, जिसमें राज्य सहायता करार के अंतर्गत कंपनी के स्थान पर स्वयं को या अपने नामिती को प्रतिस्थापित कराने के उसके अधिकार सम्मिलित हैं, [जीओके की पूर्व लिखित सहमति के अधीन रहते हुए, ऐसी सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी नहीं जाएगी]⁷ तो ऐसा प्रतिभूति न्यासी या उसका नामिती उसके अंतर्गत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, और कंपनी के सभी लाभों का हकदार होगा, राज्य सहायता करार के अंतर्गत कंपनी के किसी भी और सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा और राज्य सहायता करार के अंतर्गत कंपनी के दायित्वों के अधीन होगा। परंतु यह कि, यदि प्रतिभूति न्यासी और/या उसका नामिती राज्य सहायता करार के अंतर्गत किसी चूक का उपचार करने के प्रयोजनों के लिए, जहाँ ऐसी चूक राज्य सहायता करार के अंतर्गत देय और संदेय कोई भुगतान करने में कंपनी की विफलता से संबंधित है, राज्य सहायता करार के अनुसरण में कोई कार्य करता है, तो प्रतिभूति न्यासी और/या ऐसा नामिती राज्य सहायता करार के अंतर्गत किसी दायित्व के अधीन नहीं होगा।
- (2) यदि प्रतिभूति न्यासी कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति हितों के अंतर्गत उपचारों के प्रयोग के अनुसरण में (चाहे पुरोबंध द्वारा या अन्यथा) संपूर्ण संपार्श्विक या उसके किसी भाग का विक्रय करता है

या अन्यथा निपटान करता है, तो क्रेता, प्रतिभूति न्यासी के अनुरोध पर [और कर्नाटक सरकार की पूर्व लिखित सहमति से, जो सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी नहीं जाएगी]⁸ राज्य सहायता करार के अंतर्गत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, और किसी भी दशा में, प्रतिस्थापित पक्षकार राज्य सहायता करार के अंतर्गत सहित ऐसे संपार्श्विक के संबंध में कंपनी के सभी अधिकारों, हक और हित का उत्तराधिकारी होगा और राज्य सहायता करार का पालन कर सकेगा और उसके लाभों का इस प्रकार हकदार होगा मानो वह राज्य सहायता करार के अंतर्गत कंपनी हो, और इस प्रयोजन के लिए कर्नाटक सरकार ऐसे करार और दस्तावेज़ निष्पादित करेगी जिनका प्रतिभूति न्यासी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अनुरोध किया जाए।

(ग) कर्नाटक सरकार सहमत है कि वह राज्य सहायता करार के अंतर्गत कंपनी को देय और संदेय हो चुकी धनराशियों का (जिसमें राज्य सहायता करार के खंड 19.3 के अनुसरण में कंपनी को देय और संदेय कोई धनराशि सम्मिलित है) भुगतान अनन्य रूप से तत्काल उपलब्ध निधियों में ऐसे खाते (बैंगलोर) में सीधे जमा करने हेतु करेगी, जिसे प्रतिभूति न्यासी समय-समय पर कर्नाटक सरकार और कंपनी को सूचना द्वारा इंगित करे (और कंपनी एतद्वारा कर्नाटक सरकार को उपर्युक्तानुसार ऐसे भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करती है)। प्रतिभूति न्यासी से इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर कि वित्तपोषण करारों के अंतर्गत चूक की कोई घटना घटित हुई है और/या प्रतिभूति न्यासी और/या प्रतिभूत पक्षकारों या उसके नामिती द्वारा कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति हितों के अनुसरण में अपने अधिकारों का प्रयोग किए जाने की दशा में, कर्नाटक सरकार राज्य सहायता करार के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा देय और संदेय हो चुकी धनराशियों का (जिसमें राज्य सहायता करार के खंड 19.3 के अनुसरण में कंपनी को देय और संदेय कोई धनराशि सम्मिलित है) भुगतान पूर्ववर्ती वाक्य में पदनामित खाते में करने के बदले, सीधे प्रतिभूति न्यासी को या उसके आदेशानुसार करने हेतु प्रतिभूति न्यासी से प्राप्त किसी भी और सभी लिखित अनुदेशों का अनुपालन करेगी (ऐसे भुगतानों के अन्य सभी निबंधन और शर्तें पूर्ववर्ती वाक्य में यथाउपबंधित रहेंगी) और यह कंपनी को इन राशियों का भुगतान करने के उसके दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि में होगा।

(घ) कर्नाटक सरकार एतद्वारा प्रतिभूति न्यासी को वित्तपोषण करारों के अनुसरण में कंपनी के सच्चे और विधिपूर्ण मुख्तार के रूप में मान्यता देती है और, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत चूक की ऐसी घटना घटित होने के पश्चात्, जो प्रतिभूति न्यासी को कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति हित के अनुसरण में अपने अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनाती है, प्रतिभूति न्यासी के सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगी, जिनमें राज्य सहायता करार के खंड 3.5 के अनुसार कंपनी की ओर से प्रतिभूति न्यासी द्वारा किए गए कोई संवितरण अनुरोध सम्मिलित हैं। यदि वित्तपोषण दस्तावेज़ों के अंतर्गत प्रतिभूत पक्षकारों द्वारा चूक की घटना की कोई सूचना जारी की जाती है, तो प्रतिभूति न्यासी प्रतिभूत पक्षकारों द्वारा जारी ऐसी सूचना की एक प्रति कर्नाटक सरकार को उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचना में उन आधारों का युक्तियुक्त विवरण दिया जाएगा जो प्रतिभूत पक्षकारों को वित्तपोषण दस्तावेज़ों के अंतर्गत ऐसी सूचना जारी करने का हकदार बनाते हैं।

(ङ) कर्नाटक सरकार एतद्वारा राज्य सहायता करार के खंड 19.1 (एक) के अनुसरण में बीआईएएल को जारी किसी सूचना की एक प्रति प्रतिभूति न्यासी को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है। इसके

अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार सहमत है कि वह ऐसी किसी घटना के घटित होने के पश्चात्, जो कर्नाटक सरकार को राज्य सहायता करार के खंड 19.3.1 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनाती है, यथाशीघ्र प्रतिभूति न्यासी को अधिसूचित करेगी और प्रतिभूति न्यासी को (कंपनी को ऐसी सूचना जारी करने के साथ-साथ) उस खंड के अनुसरण में तामील की गई बीआईएएल की चूक की घटना के घटित होने की किसी सूचना (एक "सूचना") की एक प्रति उपलब्ध कराएगी। ऐसी सूचना में उन आधारों का युक्तियुक्त विवरण दिया जाएगा जो कर्नाटक सरकार को राज्य सहायता करार के खंड 19.3.1 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनाते हैं।

- (च) कर्नाटक सरकार सहमत है कि वह (i) प्रतिभूति न्यासी को पूर्वोक्त सूचना जारी किए बिना और (ii) राज्य सहायता करार में उल्लिखित अवधियों की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय, राज्य सहायता करार को समाप्त करने की सूचना जारी नहीं करेगी, उसके अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन निलंबित नहीं करेगी, या राज्य सहायता करार के खंड 19.3 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी।
- (छ) कर्नाटक सरकार सहमत है कि प्रतिभूति न्यासी राज्य सहायता करार में विनिर्दिष्ट समयावधियों के भीतर किसी भी समय ऐसी कार्रवाई करने या कराने का हकदार होगा जो उस घटना का उपचार करने के लिए आवश्यक हो, जिसके कारण सूचना जारी हुई है। यदि प्रतिभूति न्यासी उस घटना का उपचार करा देता है जिसके कारण सूचना जारी हुई है, तो कर्नाटक सरकार ऐसी घटना के कारण राज्य सहायता करार को समाप्त करने की सूचना जारी नहीं करेगी, उसके अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन निलंबित नहीं करेगी, या हवाईअड्डे में और उस पर बीआईएएल के सभी अधिकारों, हक और हितों का अर्जन करने के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी।
- (ज) कर्नाटक सरकार एतद्वारा सहमत है, प्रसंविदा करती है और पुष्टि करती है कि राज्य सहायता करार के अंतर्गत उसे संदेय सभी राशियाँ, जिनमें राज्य सहायता करार के अनुसरण में संवितरित राज्य वित्तीय सहायता सम्मिलित है, प्रतिभूत बाध्यताओं (जैसा कि वित्तपोषण करारों में परिभाषित है) के अधीनस्थ होंगी और यह कि, राज्य सहायता करार के खंड 3.7 में परिकल्पित राज्य वित्तीय सहायता के प्रतिदाय तथा राज्य सहायता करार के खंड 3.10.3 के अनुसार राज्य वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के सिवाय, अंतिम परिपक्वता तिथि (जैसा कि वित्तपोषण करारों में परिभाषित है) के घटित होने तक, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत यथाअनुमत के सिवाय, कर्नाटक सरकार को कोई राशि देय और संदेय नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी द्वारा प्रतिभूत पक्षकारों को प्रस्तुत आधार प्रकरण व्यवसाय योजना (जैसा कि वित्तपोषण करारों में परिभाषित है) में उल्लिखित अनुमानों को पूरा करने में कंपनी के असमर्थ रहने के कारण प्रतिभूत पक्षकारों द्वारा प्रतिभूत बाध्यताओं की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कर्नाटक सरकार एतद्वारा सहमत है, प्रसंविदा करती है और पुष्टि करती है कि राज्य सहायता करार की अनुसूची 10 के अनुसार प्रतिसंदेय राज्य वित्तीय सहायता के संबंध में उसे संदेय सभी राशियाँ, जिनमें राज्य सहायता करार के अंतर्गत संदेय कोई चूक ब्याज सम्मिलित है, भी पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित प्रतिभूत बाध्यताओं के संबंध में बीआईएएल के भुगतान दायित्वों के अधीनस्थ होंगी (जो पुनर्संरचना व्यवस्था के निबंधनों और शर्तों के अनुसार संदेय होंगी)।

- (झ) कर्नाटक सरकार एतद्वारा सहमत है, प्रसंविदा करती है और पुष्टि करती है कि, बकाया मूलधन और ब्याज से भिन्न किसी मद के संबंध में नीचे दिए गए परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय, वित्तपोषण करारों के अंतर्गत प्रतिभूत पक्षकारों को देय राशियों को दर्शाने वाला प्रतिभूति न्यासी का प्रमाणपत्र ("प्रमाणपत्र"), प्रकट त्रुटि को छोड़कर (जिस प्रकट त्रुटि की सूचना प्रतिभूति न्यासी द्वारा उसकी जानकारी में आने पर यथाशीघ्र कर्नाटक सरकार को लिखित रूप में दी जाएगी), ऋण (जैसा कि राज्य सहायता करार में परिभाषित है) के निर्धारण के सभी प्रयोजनों के लिए, जिसमें समापन राशि या निपटान राशि के निर्धारण के प्रयोजन सम्मिलित हैं, निश्चायक और अंतिम होगा। परंतु यह कि, यदि कर्नाटक सरकार प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट बकाया मूलधन और ब्याज से भिन्न किसी मद पर प्रश्न उठाती है, तो प्रतिभूति न्यासी (या प्रतिभूत ऋणदाता) और कर्नाटक सरकार प्रमाणपत्र की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, जिस अवधि के पश्चात्, प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया मूलधन और ब्याज से भिन्न मदें भी उपर्युक्तानुसार निश्चायक और अंतिम मानी जाएँगी (जब तक कि बकाया मूलधन और ब्याज से भिन्न किसी मद की संशोधित राशियों पर ऐसी 30 दिन की अवधि के भीतर सहमति न हो जाए, जिस दशा में ऐसी संशोधित राशियाँ प्रमाणपत्र का भाग मानी जाएँगी और उपर्युक्तानुसार अंतिम और आबद्धकर होंगी)।
- (ज) कर्नाटक सरकार एतद्वारा सहमत है, प्रसंविदा करती है और पुष्टि करती है कि अंतिम निपटान तिथि तक, कर्नाटक सरकार प्रतिभूति न्यासी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, जो सहमति अयुक्तियुक्त रूप से रोकी नहीं जाएगी, राज्य सहायता करार के अंतर्गत मुजरा या प्रतिदावे के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी (राज्य सहायता करार के खंड 3.7 में यथापरिकल्पित के सिवाय)।
- (ट) कर्नाटक सरकार एतद्वारा पुष्टि करती है और सहमत है कि वह, यथास्थिति, रियायत करार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकारों के प्रयोग तथा राज्य सहायता करार के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकारों के प्रयोग में समन्वय करने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के साथ एक समन्वय व्यवस्था करेगी (जिसमें कर्नाटक सरकार और/या भारत सरकार द्वारा हवाईअड्डे में और उस पर कंपनी के सभी अधिकारों, हक और हित का अर्जन करने के अपने-अपने अधिकारों के प्रयोग के संबंध में समन्वय सम्मिलित है)।
- (ठ) [जानबूझकर रिक्त छोड़ा गया]
- (ड) यह करार भारत की विधियों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार इसका अर्थान्वयन किया जाएगा।
- (ढ) [इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में कोई भी विवाद या मतभेद, उसकी प्रकृति चाहे जो भी हो, राज्य सहायता करार के खंड 33 के उपबंधों के अनुसरण में विवाद समाधान हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उपबंध इसमें निर्देश द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं और इसका भाग इस प्रकार बनाए जाते हैं मानो ऐसे उपबंध इसमें पूर्ण रूप से उल्लिखित हों]
- (ण) प्रतिभूत ऋणदाता वित्तपोषण करारों में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए सहमत हुए हैं और प्रतिभूति न्यासी इसमें प्रगणित कतिपय अधिकारों के अनुदान

के प्रतिफलस्वरूप कर्नाटक सरकार के साथ यह करार करने के लिए सहमत हुआ है। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार द्वारा यह करार किया जाना एक निजी और वाणिज्यिक कार्य है और अतः पक्षकार सहमत हैं कि राज्य सहायता करार के खंड 35 (संप्रभु उन्मुक्ति) के उपबंध इस करार पर लागू होंगे तथा इसमें निर्देश द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं और इसका भाग इस प्रकार बनाए जाते हैं मानो ऐसे उपबंध इसमें पूर्ण रूप से उल्लिखित हों।

- (त) यह करार इसके किसी भी पक्षकार द्वारा किसी अतिरिक्त कार्रवाई के बिना उस तिथि को समाप्त हो जाएगा जब प्रतिभूति न्यासी कर्नाटक सरकार को यह सूचना जारी करता है कि प्रतिभूत पक्षकारों को देय और संदेय सभी राशियों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है और वित्तपोषण करारों के अंतर्गत कोई बकाया दायित्व नहीं है, या उस तिथि को जब प्रतिभूत पक्षकारों द्वारा कंपनी को अदेयता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, जो भी पहले हो ("अंतिम निपटान तिथि")।
- (थ) यह करार उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को राज्य सहायता करार उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी होता है।
- (द) इस करार और राज्य सहायता करार के उपबंधों के बीच असंगति की दशा में, इसमें उल्लिखित विषयों के संबंध में इस करार के उपबंध अभिभावी होंगे।
- (ध) इस करार के अंतर्गत किसी पक्षकार को जारी की जाने वाली सभी सूचनाएँ ऐसे पक्षकार के संबंध में इस करार की उद्देशिका में विनिर्दिष्ट पते पर भेजी जाएँगी।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, पक्षकारों ने इस करार को सबसे पहले ऊपर लिखी गई तिथि को निष्पादित किया है।

द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त:

द्वारा: _____

नाम:

पदनाम:

द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त:

द्वारा: _____

नाम:

पदनाम:

द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त:

द्वारा: _____

नाम:

पदनाम:

अनुसूची 5

हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण

1 अवस्थिति

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का स्थल बेंगलोर - हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के पूर्व में, बेंगलोर से 29 किमी और 30 किमी के बीच तथा देवनहल्ली नगर से 4 किमी दक्षिण में स्थित है। स्थल 4309.45 एकड़ (1744.01 हेक्टेयर) क्षेत्र में विस्तृत है और अक्षांश 13° 15' 50" से 13° 12' 15" उत्तर तथा देशांतर 77° 40' 20" से 77° 44' 09" पूर्व से घिरा है।

हवाईअड्डे की अभिन्यास संरचना में स्थल के भीतर एक दूसरे समानांतर धावनपथ (भावी) की व्यवस्था है। धावनपथों के बीच 1925 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी गई है। यह दूरी आईसीएओ दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित स्वतंत्र धावनपथ संचालन की अनुमति देती है और टर्मिनल तथा अन्य वाणिज्यिक विकास के लिए धावनपथों के बीच के क्षेत्र का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है।

2 टैक्सी पथ

धावनपथ और एप्रन के बीच प्रस्तावित टैक्सी पथ प्रणाली वायुयानों को न्यूनतम विलंब के साथ आवागमन करने में सक्षम बनाएगी और धावनपथ को उसकी अधिकतम क्षमता तक संचालित करने की अनुमति देगी। प्रारंभिक चरण में हवाईअड्डा टैक्सी पथ प्रणाली में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- आंशिक एकल टैक्सी पथ
- प्रवेश/निकास टैक्सी पथ
- एप्रन टैक्सी लेन।

प्रारंभिक चरण में, धावनपथ के लिए प्रवेश/निकास टैक्सी पथ 09 दहलीज़ से [अपठनीय] 00 मीटर, 2800 मीटर और 4000 मीटर पर प्रस्तावित हैं, ताकि धावनपथ तक और धावनपथ से वायुयानों के आवागमन में तेज़ी लाई जा सके तथा टैक्सी करने के समय और दूरी को कम किया जा सके। इस व्यवस्था से केवल पूर्ण भारित बी747 को ही उड़ान भरने से पूर्व धावनपथ 09 पर वापस टैक्सी करनी होगी।

3 एप्रन

एप्रन और टर्मिनल का अभिन्यास तथा दोनों के बीच संबंध अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रतिबिंबित करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।

एप्रन अभिकल्प के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं:

- धावनपथ तक/से टैक्सी करने की दूरी को न्यूनतम करना
- विलंब से बचने हेतु पर्याप्त टैक्सी लेन उपलब्ध कराना

- वायु-पक्ष सड़कें और उपकरण पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराना, ताकि यह सुनिश्चित हो कि वायुयानों के लिए भू-सहायता पर्याप्त और दक्ष हो।
- यह सुनिश्चित करना कि संचालन सुरक्षित रूप से किए जा सकें।

प्रारंभिक चरण में 3 संपर्क-युक्त स्टैंडों का प्रावधान किया गया है, जिसमें भविष्य में दो संपर्क स्टैंड जोड़ने का विकल्प है।

4 वायु-पक्ष सेवा सड़कें

वायुयानों के संचालन को बनाए रखने वाले वाहनों के परिवहन हेतु, वायु-पक्ष पर तथा भू-पक्ष सड़क प्रणाली से जोड़ने के लिए, एक वायु-पक्ष सड़क प्रणाली प्रस्तावित है। एक वायु-पक्ष सेवा सड़क (एप्रन सेवा सड़क) टर्मिनल भवन के वायु-पक्ष अग्रभाग पर चलेगी। यह पृथक्करण स्थल, अग्निशमन केंद्र, माल, ईंधन भंडार क्षेत्र और अनुरक्षण क्षेत्र को सेवा प्रदान करती है और हवाईअड्डे की परिधि के चारों ओर बजरी वाली सड़क के रूप में आगे जारी रहती है।

5 मुख्य पहुँच मार्ग

धावनपथ के समानांतर, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को टर्मिनल परिसर से जोड़ने वाली दो लेन की डामरीकृत पहुँच सड़क प्रस्तावित है। आड़े यातायात से बचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के प्रतिच्छेदन पर एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी प्रस्तावित है। ट्रम्पेट फ्लाईओवर का कार्य एनएचएआई द्वारा या किसी एसपीवी के माध्यम से किया जाएगा। स्थल के भीतर सभी सड़कों का निर्माण बीआईएएल द्वारा किया जाएगा।

मुख्यतः यात्री टर्मिनल को सेवा प्रदान करने वाली यह सड़क हवाईअड्डे की सहायक सुविधाओं को भी जोड़ेगी। महत्वपूर्ण जंक्शनों पर गोलचक्कर प्रस्तावित हैं।

सौंदर्य की दृष्टि से, वांछित 'उद्यान नगरी' छवि प्राप्त करने के लिए पहुँच सड़क के किनारे भू-दृश्यांकन प्रस्तावित है।

6 वायु यातायात नियंत्रण टावर

प्रस्तावित नियंत्रण टावर की ऊँचाई 65 मीटर है। यह ऊँचाई संचालन क्षेत्रों और अवतरण पहुँच मार्गों की निर्बाध दृष्टि-रेखा प्रदान करेगी। नियंत्रण टावर भू-पक्ष पर धावनपथ की केंद्र रेखा से 890 मीटर की दूरी पर स्थित है।

लगभग 2300 वर्ग मीटर फ़र्श क्षेत्र वाला एक एटीसी परिसर (तकनीकी खंड) उन वायु यातायात नियंत्रण सेवाओं के लिए प्रस्तावित है जो टावर में निष्पादित नहीं की जातीं, जैसे पहुँच नियंत्रण। तकनीकी खंड में एटीसी पूर्व-सूचना कक्ष, अपहरण-रोधी नियंत्रण कक्ष, मौसम विज्ञान विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी कार्यशाला, आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली, पुस्तकालय, प्रशिक्षण कक्ष और कार्यालय भी हैं।

7 हवाई क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था

धावनपथ प्रकाश प्रणाली में दहलीज़, किनारा और अंत बतियाँ सम्मिलित होंगी। दोनों पहुँच दिशाओं पर पीएपीआई तथा श्रेणी 1 परिशुद्ध पहुँच प्रकाश प्रणाली स्थापित की जाएगी।

आंशिक एकल टैक्सी पथ, निकास और प्रवेश टैक्सी पथों तथा एप्रन से संपर्क मार्गों के लिए उन्नत सर्व-दिशात्मक किनारा बतियों सहित टैक्सी पथ प्रकाश प्रणाली प्रदान की जाएगी। रात्रिकालीन संचालन के दौरान वायुयानों के दक्ष और सुरक्षित प्रहस्तन हेतु एप्रन पर प्रखर प्रकाश व्यवस्था प्रदान की गई है। संकेत-पट प्रदान किए जाएंगे।

8 बचाव और अग्निशमन सुविधाएँ

हवाईअड्डे को विमानक्षेत्र श्रेणी 9 के अनुरूप संरक्षण स्तर प्रदान करने हेतु सुसज्जित किया जाएगा। अग्निशमन केंद्र इस प्रकार स्थित है कि इष्टतम दृश्यता और सतह स्थिति में संचलन क्षेत्र के किसी भी भाग तक प्रतिक्रिया समय न्यूनतम हो। नियोजित अग्निशमन केंद्र का कुल क्षेत्रफल 1457 वर्ग मीटर है। अग्निशमन केंद्र के ऊपर एक निगरानी टावर स्थित है।

9 जल आपूर्ति

पेय जल की आपूर्ति बेंगलोर जलापूर्ति और मलजल बोर्ड द्वारा महायोजना में चिह्नित सेवा क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा और दबाव के साथ की जाएगी। हवाईअड्डा सुविधाओं तक वितरण नेटवर्क सहित, 2 दिनों की औसत दैनिक माँग हेतु पेय जल भंडारण टंकियों और अग्निशमन सहित एक दिन की माँग हेतु कच्चे जल भंडारण टंकियों का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में प्रस्तावित भूमिगत पेय जल कुंड की क्षमता 4000 घन मीटर और कच्चे जल कुंड की क्षमता 1800 घन मीटर है। जल को जल-वायुदाबी पम्पिंग प्रणाली द्वारा पंप किया जाएगा।

पेय जल का वितरण सेवा क्षेत्र से आरंभ होकर पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली एक भू-पक्ष मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से किया जाएगा। पृथक रूप से, अग्नि सुरक्षा हेतु समान संकल्पना का एक वितरण नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। यह नेटवर्क हाइड्रेंटों से सुसज्जित होगा।

10 मलजल निपटान

मलजल और वर्षा-जल निकासी पृथक प्रणालियों के रूप में अभिकल्पित हैं। मलजल प्रणाली में संग्रहण नेटवर्क, पंप गर्त, मलजल उपचार संयंत्र आदि सम्मिलित होंगे। हवाईअड्डा संबंधी सुविधाओं के मलजल का संग्रहण पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली और मैनहोलों से सुसज्जित एक भू-पक्ष और एक वायु-पक्ष मुख्य नलिका के माध्यम से किया जाएगा। 1500 घन मीटर क्षमता के एक मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। मलजल उपचार संयंत्र के बहिःस्राव का उपचार किया जाएगा और उपचारित जल का बागवानी हेतु पुनर्चक्रण किया जाएगा।

11 जल निकासी

जल निकासी प्रणाली का अभिकल्प स्थलाकृति, अंतिम संरचना स्तरों तथा पक्की सतहों और भवनों की छतों से होने वाले सतही अपवाह द्वारा निर्धारित होता है। मौजूदा सतह की स्थलाकृतिक स्थितियों और, परिणामस्वरूप, सभी हवाईअड्डा संबंधी सुविधाओं की श्रेणीकृत पट्टी की स्थितियों के परिणामस्वरूप उत्तर-दक्षिण उन्मुख जलविभाजक बनता है। खुली अस्तरित नालियों का निर्माण किया जाएगा। पक्की सतहों के नीचे आरसीसी बॉक्स पुलिया या पाइप पुलिया प्रदान की जाएंगी।

12 दूरसंचार

दूरसंचार प्रणाली में एक विनिमय केंद्र सुविधा और वितरण नेटवर्क होगा।

13 विद्युत

हवाईअड्डे को विद्युत आपूर्ति बेस्कॉम/केपीटीसीएल द्वारा 66 केवी स्तर पर प्रदान की जाएगी। मुख्य आवक उपकेंद्र में 66 केवी को 11 केवी तक कम करने हेतु 16 एमवीए के 2 ट्रांसफॉर्मर प्रदान किए जाएंगे। इन ट्रांसफॉर्मरों से हवाईअड्डे की मुख्य विद्युत प्रणाली को 11 केवी स्तर पर आपूर्ति की जाएगी। विद्युत प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर केंद्र, वितरण नेटवर्क और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति सम्मिलित है। वितरण नेटवर्क की योजना वलय मुख्य लाइनों के साथ बनाई जाएगी, ताकि दो भिन्न स्रोतों से विद्युत आपूर्ति सदैव संभव हो। उत्तरी विद्युत केंद्र में एक सहायक विद्युत जनित्र प्रणाली (लगभग 6 एमवीए) स्थापित है, जो विद्युत आपूर्ति विफल होने की दशा में हवाईअड्डे के आवश्यक उपभोक्ताओं को आपूर्ति करेगी।

14 यात्री टर्मिनल भवन:

14.1 अभिन्यास संकल्पना

यात्री टर्मिनल एकल, दो-स्तरीय टर्मिनल भवन के रूप में प्रस्तावित है, जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों संचालनों को समायोजित करने में सक्षम है। आगमन और प्रस्थान एक आधुनिक, सरल, सीधे आगे बढ़ने वाली प्रवाह प्रणाली द्वारा ऊर्ध्वाधर रूप से पृथक हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान विश्राम कक्ष तथा अधिकांश खुदरा दुकानें स्तर 2 (प्रथम तल) पर स्थित हैं। चेक-इन सुविधाएँ और सामान पुनः प्राप्ति स्तर 1 (भूतल) पर स्थित हैं। वीआईपी विश्राम कक्ष स्तर 2 (प्रथम तल) पर स्थित है। संपूर्ण टर्मिनल संचालन में सुगमता और न्यूनतम अनुरक्षण हेतु अभिकल्पित है। टर्मिनल पूर्णतः वातानुकूलित है।

14.2 टर्मिनल भवन की क्षमताएँ

टर्मिनल भवन को प्रारंभिक विकास में व्यस्ततम घंटे में 2017 यात्रियों हेतु अभिकल्पित किया जाएगा। [प्रस्तावित अभिकल्प/मानक सर्वोत्तम उद्योग पद्धति और संचालन मानकों को प्रतिबिंबित करेंगे।] अभिकल्प सभी मौसमी परिस्थितियों में 24 घंटे संचालन की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। प्रदान की गई सुविधाएँ आईएटीए/आईसीएओ मानकों को पूरा करेंगी। नियोजित कुल फ़र्श क्षेत्रफल लगभग 55000 वर्ग मीटर है। यातायात वृद्धि के साथ, संचालन को बाधित किए बिना और मौजूदा अग्रभाग से मेल खाते हुए, टर्मिनल का खंडवार विस्तार संभव है। प्रस्तावित टर्मिनल उपकरणों में सम्मिलित हैं:

- माल-कक्ष सामान हेतु प्रवाह-अंतर्गत एक्स-रे सामान जाँच यंत्र
- उड़ान सूचना प्रणाली
- सीसीटीवी/पीए प्रणाली
- अग्नि चेतावनी और धुआँ संसूचन
- सामान वाहक पट्टियाँ

- स्वचालित सीढ़ियाँ, लिफ्ट और स्वचालित द्वार
- आप्रवासन, सीमा शुल्क हेतु पटल
- यात्री बैठक व्यवस्था/सार्वजनिक फ़र्नीचर
- भोजनालय फ़र्नीचर
- संकेत/चित्रलेख
- भवन प्रबंधन प्रणाली
- सामान ट्रॉलियाँ
- चेक-इन पटल

15 ईंधन भंडार क्षेत्र

बैंगलोर में उतरने वाले वायुयानों में ईंधन भराई हेतु विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए भंडारण क्षेत्र प्रदान करना आवश्यक है। महायोजना में हवाईअड्डा स्थल के पश्चिम में ईंधन भंडार क्षेत्र हेतु स्थान आवंटित किया गया है।

भंडार-गृह से वायुयान तक ईंधन के परिवहन हेतु ईंधन हाइड्रेंट प्रणाली का प्रावधान आपूर्तिकर्ता के साथ रियायत करार में सम्मिलित किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण में, चूँकि वायुयान आवागमन की दर बहुत अधिक नहीं है और ईंधन की आवश्यकताएँ बहुत अधिक नहीं हैं, वायुयानों में ईंधन भरने हेतु ईंधन हाइड्रेंट और दूरस्थ स्टैंडों के लिए ईंधन टैंकों के संयोजन का प्रयोग किया जाएगा।

16 टर्मिनल पार्किंग

विकास के प्रथम चरण में टर्मिनल भवन के सामने भूतल स्तर पर कार पार्किंग नियोजित है। यह अवस्थिति हवाईअड्डे पर यात्रियों और आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगी। यात्रियों को लेने और छोड़ने हेतु पृथक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। निजी कारों, टैक्सियों, कर्मचारी कारों, कर्मचारी वाहनों, वीआईपी कारों और डब्ल्यूआईपी कारों हेतु पार्किंग प्रदान की गई है।

17 प्रशासनिक भवन

हवाईअड्डा प्रबंधन, वायुयान संचालकों, सुरक्षा के कार्यालयों तथा कर्मचारी जलपान गृह को समायोजित करने हेतु एक पृथक प्रशासनिक भवन भू-पक्ष पर तकनीकी खंड के निकट नियोजित है। नियोजित प्रशासनिक खंड का कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है।

18 अनुरक्षण भवन

हवाईअड्डा वाहनों, विद्युत और यांत्रिक उपकरणों तथा अन्य उपयोगों के लिए अनुरक्षण सुविधाएँ अपेक्षित हैं। अनुरक्षण सुविधा में सामग्रियों और अतिरिक्त पुर्जों हेतु भंडारण स्थान सम्मिलित होगा। इस सुविधा हेतु प्रदत्त स्थान 2190 वर्ग मीटर है।

19 भू-उपकरण अनुरक्षण क्षेत्र

एग्रन पर प्रयुक्त भू-उपकरण भारी-भरकम हैं और सामान्य सड़कों पर उपयोग हेतु अनुपयुक्त हैं। वायु-पक्ष पर एक जीएसई अनुरक्षण क्षेत्र नियोजित है। जीएसई भवन का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है।

20 सुरक्षा दीवार

भू-पक्ष और वायु-पक्ष सुविधाओं को पृथक करने वाली सुरक्षा दीवार या सुरक्षा बाड़ का निर्माण बीसीएस विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बीआईएएल की संपत्ति की सुरक्षा हेतु एक सीमा दीवार का भी निर्माण किया जाएगा।

अनुसूची 6

संचालन और अनुरक्षण योजना की रूपरेखा

बीआईएएल हवाईअड्डे का संचालन, प्रबंधन, अनुरक्षण और विकास निम्नानुसार करेगा:

संचालन योजना

उद्देश्य हवाईअड्डे का समयबद्ध और सुचारु आरंभ तथा पहले दिन से और उसके पश्चात् दक्ष एवं सफल हवाईअड्डा संचालन सुनिश्चित करना है।

दोनों उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित के बीच प्रत्येक स्तर पर सहयोग, समन्वय और संचार अपेक्षित है:

- हवाईअड्डा संचालक
- सरकारी प्राधिकरण,
- वायुयान संचालक
- प्रहस्तन अभिकर्ता
- रियायतग्राही
- और अन्य हवाईअड्डा उपयोगकर्ता

संचालन योजना कार्यक्रम बीआईएएल तथा नए बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर संचालन करने वाले अन्य सभी बाह्य पक्षकारों, दोनों पर ध्यान देता है और उन सभी को एक हवाईअड्डा उपयोगकर्ता मंच में एकीकृत करता है।

यह निम्नलिखित पर भी केंद्रित है:

- सुविधाओं की उपलब्धता
- अवसंरचना
- प्रणालियाँ
- संचालन प्रक्रियाएँ
- अंतरापृष्ठ
- मानव संसाधन

तथा दिन-प्रतिदिन के संचालन में उनका एकीकरण।

उपर्युक्त कारकों की उपलब्धता और तत्परता एक कार्यशील हवाईअड्डे के समयबद्ध आरंभ हेतु मुख्य पूर्वापेक्षाएँ हैं। सक्रिय परीक्षणों सहित हवाईअड्डे की संचालन तत्परता का मूल्यांकन और निगरानी हवाईअड्डा संचालन का प्रमुख तत्व है तथा बेंगलोर और भारत को [जनवरी 2007] में एक दक्ष और प्रतिस्पर्धी विश्वस्तरीय हवाईअड्डा प्रदान करने के ध्येय को पूरा करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है।

अनुरक्षण योजना

बीआईएएल और उसके उपठेकेदार हवाईअड्डा अनुरक्षण नियमावली के अनुसार हवाईअड्डा संचालन हेतु सुविधाएँ, उपकरण और सेवाएँ प्रदान करेंगे, उनका संचालन, अनुरक्षण, मरम्मत, नवीनीकरण, कार्मिक व्यवस्था और पर्यवेक्षण करेंगे।

अनुरक्षण मदों में सम्मिलित हैं:

- हवाई क्षेत्र की पक्की सतहें, जल निकासी, सतह चिह्नांकन, संकेत-पट, हवाई क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था, भू-पक्ष और वायु-पक्ष सड़कें
- धावनपथों से रबर हटाना, वायु-पक्ष सड़कों की सफाई, भू-दृश्यांकन और सिंचाई
- संरक्षा और सुरक्षा प्रणालियाँ, भवन स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियाँ, हवाईअड्डा प्रणालियाँ
- लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियाँ, आरोहण सेतु, वायुयान स्टैंड उपकरण, सामान प्रणालियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ
- भवन अनुरक्षण, अभिरक्षा सेवाएँ, पक्की सतहों और मैदानों का अनुरक्षण
- वास्तुशिल्पीय, सिविल, यांत्रिक, विद्युत सहित सुविधा प्रहस्तन, सुविधाओं की सफाई
- एचवीएसी, जनोपयोगी सेवाएँ, अपशिष्ट और कूड़ा-करकट उपचार/निपटान, मलजल उपचार संयंत्र
- अग्निशमन सेवा, आपातकालीन सेवाएँ, ट्रॉली सेवाएँ, सूचना और सहायता पटल

हवाईअड्डा अनुरक्षण नियमावली में सम्मिलित होगा:

- सुविधाओं, संस्थापनाओं, भवनों और परिसरों की वस्तु-सूची
- निरीक्षण अनुसूची (दैनिक/मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक चक्र)
- आवधिक नियमित अनुरक्षण अनुसूची
- मरम्मत अनुसूची और मरम्मत अनुसूची के कार्यान्वयन हेतु बजट
- गुणवत्ता आश्वासन और निगरानी
- दक्षता मानकों की स्थापना
- निवारक, मानक और आपातकालीन अनुरक्षण प्रक्रियाओं की तैयारी
- किरायेदारों के अधिभोग वाले स्थानों में गतिविधियों के समय-निर्धारण हेतु तृतीय पक्ष के साथ समन्वय
- अनुरक्षण संविदा प्रबंधन और कंप्यूटरीकृत कार्य आदेश/प्रतिवेदन प्रणाली

प्रणाली विभाजन

- प्राथमिक प्रणाली: अवतरण और उड़ान पट्टियाँ; एप्रन, टर्मिनल, यात्री और माल सुविधाएँ
- द्वितीयक प्रणालियाँ: सेवा संयंत्र, बाह्य पक्षों से संपर्क
- तृतीयक प्रणालियाँ: वाणिज्यिक क्षेत्र और किरायेदार

अनुरक्षण कार्यक्रम के इष्टतमीकरण का मुख्य लक्ष्य जनशक्ति, समय, सामग्रियों, औज़ारों और उपकरणों के सर्वाधिक प्रभावी और दक्ष उपयोग को प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुरक्षण और मरम्मत गतिविधियों का समय-निर्धारण और समन्वय होगा। बीआईएएल बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हेतु सुरक्षित, आरामदायक और दक्ष संचालन प्रदान करेगा।

अनुसूची 7

निपटान राशि

यदि निपटान राशि संदेय हो जाती है, तो निपटान राशि से अभिप्रेत होगा (एक) सकल स्थिर आस्तियों (यथासूचकांकित), (दो) निवल चालू आस्तियों, (तीन) प्रगतिरत पूँजीगत कार्य, (चार) बीआईएएल की अमूर्त आस्तियों और (पाँच) हवाईअड्डा आरंभ तिथि से पूर्व बीआईएएल द्वारा उपगत प्रचालन-पूर्व लागतों और व्ययों का योग, जैसा कि इस करार के खंड 19.3 के अनुसरण में जारी संबंधित समापन सूचना की तिथि को बीआईएएल के अंतिम त्रैमासिक तुलन-पत्र में अभिलिखित हो।

संदेह के निवारण हेतु, निपटान राशि में गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान के संबंध में ऐसे कोई पूँजीगत निवेश, राशियाँ या लागतें अपवर्जित होंगी जिनके लिए जीओके द्वारा खंड 4.3.3 के अनुसार सहमति नहीं दी गई थी और जिन्हें खंड 19.4.2 में यथाउपबंधित रूप से अधिग्रहित न करने का विकल्प जीओके चुनता है।

अनुसूची 8क
आधार राशि संवितरण अनुरोध

प्रेषक: बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

प्रति: कर्नाटक सरकार

दिनांक:

प्रिय महोदय,

दिनांक [•] के राज्य सहायता करार के अंतर्गत राज्य वित्तीय सहायता

- 1 हम निम्नलिखित शर्तों पर संवितरण चाहते हैं:
प्रस्तावित संवितरण तिथि: [•] (अथवा, यदि वह कार्य दिवस नहीं है, तो अगला कार्य दिवस)
राशि: रुपये [•]
- 2 हम पुष्टि करते हैं कि खंड 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक शर्त और खंड 3.5.1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक शर्त इस संवितरण अनुरोध की तिथि को पूरी होती है।
- 3 एतद्वारा माँगी जा रही आधार राशि के बीआईएएल द्वारा प्रस्तावित उपयोग का विवरण संलग्न है।
- 4 इस संवितरण अनुरोध की आगम राशि बैंक [____] में [खाता] में जमा की जानी चाहिए।
- 5 यह आधार राशि संवितरण अनुरोध अप्रतिसंहरणीय है।
- 6 हम पुष्टि करते हैं कि हमने ऋणदाताओं को निम्नलिखित राशियों के लिए संवितरण अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

ऋणदाता: रु. [•]

आधार राशि अनुरोध: रु. [•]

कुल अनुरोध: रु. [•]

हम पुष्टि करते हैं कि इस आधार राशि संवितरण अनुरोध में अनुरोधित राशि आज जीओके और ऋणदाताओं से अनुरोधित कुल राशि के [•] प्रतिशत से अधिक नहीं है।

भवदीय,

.....
बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची 8ख
आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध

प्रेषक: बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

प्रति: कर्नाटक सरकार

दिनांक:

महोदयगण,

राज्य सहायता करार दिनांक [•] के अंतर्गत राज्य वित्तीय सहायता

1. हम निम्नलिखित शर्तों पर संवितरण चाहते हैं:
प्रस्तावित संवितरण तिथि: [•] (अथवा, यदि वह कारबार दिवस न हो, तो अगला कारबार दिवस)
राशि: रुपये [•]
2. हम पुष्टि करते हैं कि खंड 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक शर्त तथा खंड 3.5.2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक शर्त इस संवितरण अनुरोध की तिथि को पूरी हो गई है।
3. इसके अंतर्गत माँगी जा रही आकस्मिक राशि के बीआईएएल द्वारा प्रस्तावित उपयोग का ब्यौरा संलग्न है।
4. [हम पुष्टि करते हैं कि इस आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध में अनुरोधित राशि स्थिर आस्तियों के सृजन हेतु है तथा खंड 3.4.3 के उप-खंड [] के अंतर्गत की गई है, जिसके आहरण का अनुमोदन बीआईएएल के निदेशक मंडल द्वारा [तिथि का उल्लेख करें] को आयोजित बैठक में किया गया है, जिसमें केएसआईआईडीसी का कम से कम एक (1) नामित निदेशक उपस्थित था।]

अथवा

4. [हम पुष्टि करते हैं कि इस आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध में अनुरोधित राशि स्थिर आस्तियों के सृजन हेतु नहीं है तथा खंड 3.4.3 के उप-खंड [] के अंतर्गत की गई है, जिसके आहरण का अनुमोदन बीआईएएल के निदेशक मंडल द्वारा [तिथि का उल्लेख करें] को आयोजित बैठक में किया गया है, जिसमें केएसआईआईडीसी के कम से कम एक (1) नामित निदेशक ने सकारात्मक मत दिया है।] जीओके ने भी इसका अनुमोदन किया है तथा जीओके के अनुमोदन की प्रति संलग्न है/जीओके द्वारा अनुमोदन किया गया समझा जाता है।¹⁰
5. हम आगे पुष्टि करते हैं कि इस राशि की आवश्यकता का अनुमोदन ऋणदाताओं द्वारा किया गया है। ऋणदाताओं के अभियंता द्वारा किए गए प्रमाणन की एक प्रति संलग्न है।
6. इस संवितरण अनुरोध की आगम राशि बैंक [] में [खाता] में जमा की जाए।
7. यह आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध अप्रतिसंहरणीय है।

भवदीय

.....
बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची 9

अप्रत्याशित घटना की परिभाषा

इस करार में, "अप्रत्याशित घटना" से अभिप्रेत है नीचे निर्दिष्ट कोई कार्य, घटना या परिस्थिति अथवा कार्य, घटनाओं और परिस्थितियों का संयोजन, जो प्रभावित पक्षकार के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे हों तथा ऐसी घटना(ओं) से प्रभावित होने का दावा करने वाले पक्षकार की प्रेरणा पर घटित न हुए हों, और जिन्हें प्रभावित पक्षकार उत्तम उद्योग पद्धति द्वारा अथवा किन्हीं सुविधाओं के निर्माण के संबंध में युक्तियुक्त कौशल और सावधानी बरतकर निवारित नहीं कर सकता था, और जो, अथवा जिनके कोई परिणाम, किसी पक्षकार द्वारा इस करार के अधीन अपनी बाध्यताओं के पालन को वस्तुतः पूर्णतः या अंशतः निवारित, बाधित या विलंबित करते हैं।

"अप्रत्याशित घटना" में निम्नलिखित घटनाएँ और परिस्थितियाँ उस सीमा तक सम्मिलित हैं जहाँ तक वे, अथवा उनके परिणाम, उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:

निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

- (i) हड़ताल, तालाबंदी अथवा अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद, जिनमें कोई पक्षकार या उसके ठेकेदार, या उनके संबंधित उप-ठेकेदार, सेवक या अभिकर्ता सम्मिलित हों, जो किसी भी ऐसे मामले में भारत के भीतर कार्य के निष्पादन अथवा भारत के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति में नियोजित हों;
- (ii) तड़ित, भूकंप, झंझावात, चक्रवात, प्रचंड तूफान, बवंडर, आँधी, बाढ़, जल-प्रवाह से कटाव, भूस्खलन, मृदा अपरदन, भू-धंसाव, सूखा या जल की कमी, तथा अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय दशाएँ या प्राकृतिक शक्तियों की क्रियाएँ, उल्कापिंड या विमान अथवा अन्य हवाई युक्तियों से गिरने वाली वस्तुएँ, पराध्वनिक गति से चलने वाले विमान या अन्य हवाई युक्तियों से उत्पन्न दाब तरंगों का होना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्षकार द्वारा या प्रभावित पक्षकार द्वारा नियोजित या लगाए गए व्यक्तियों द्वारा स्थल पर या उसके निकट लाया गया है या लाया गया था, जब तक कि वह हवाई अड्डे के किसी भाग के निर्माण या प्रचालन के लिए आवश्यक न हो या आवश्यक न रहा हो);
- (iii) हवाई अड्डे में समाविष्ट किए जाने हेतु आशयित माल की, किसी भी साधन द्वारा परिवहन के दौरान, हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि से पूर्व घटित कोई आकस्मिक हानि या क्षति;
- (iv) हवाई अड्डे की हानि या उसे गंभीर आकस्मिक क्षति;
- (v) अवतरण, खड़ा करने, सर्विसिंग (ईंधन की आपूर्ति सहित) या उड़ान भरने के दौरान किसी विमान से संबंधित दुर्घटना, विस्फोट, आग या अन्य आपदा का घटित होना;
- (vi) महामारी;

- (vii) युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य, नाकाबंदी, व्यापार-प्रतिषेध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक उपद्रव;
- (viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कार्यों का आसन्न खतरा;
- (ix) दैवी घटना; अथवा
- (x) पूर्वगामी के सदृश प्रकृति का कोई कार्य, घटना या परिस्थिति;

परंतु निम्नलिखित में से कोई भी विषय या उनके परिणाम अप्रत्याशित घटना गठित करने या कारित करने में सक्षम नहीं होंगे:

- (i) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; अथवा
- (ii) बाज़ार की दशाओं का प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाज़ार दशाएँ स्वयं किसी अप्रत्याशित घटना द्वारा कारित न हुई हों या उसके परिणामस्वरूप न हों।

और यह भी परंतु कि उपर्युक्त निर्दिष्ट कोई कार्य, घटना या परिस्थिति, जो मुख्यतः किसी तृतीय पक्षकार या तृतीय पक्षकारों (जिनमें, बिना किसी सीमा के, हवाईअड्डे का निर्माण ठेकेदार या प्रचालक(प्रचालकों), या किसी पक्षकार का सहयोगी सम्मिलित है) को प्रभावित करती है और जो किसी पक्षकार को उसकी बाध्यताओं के पालन में निवारित, अवरुद्ध या विलंबित करती है, ऐसे पक्षकार के संबंध में यथोचित रूप से इसके अधीन अप्रत्याशित घटना गठित करेगी, यदि और उस सीमा तक जहाँ तक वह ऐसी किस्म या स्वरूप की है कि, यदि वह इस खंड पर निर्भर रहने के इच्छुक पक्षकार के साथ घटित हुई होती, तो वह इस अनुसूची 9 के अधीन अप्रत्याशित घटना की परिभाषा के अंतर्गत आती।

अनुसूची 10

प्रतिसंदाय किस्तें

1. बकाया राज्य वित्तीय सहायता बीस (20) समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिसंदेय होगी, जिसमें से पहली ऐसी किस्त ग्यारहवें (11वें) वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल को देय और संदेय होगी तथा अगली किस्त उसी वर्ष में 31 अक्टूबर को (30 अप्रैल और 31 अक्टूबर "संदर्भ तिथियाँ" होंगी), तथा शेष किस्तों में से प्रत्येक उसके पश्चात् आने वाली प्रत्येक संदर्भ तिथि को संदेय होगी। इस अनुसूची 10 के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।
2. उपर्युक्तानुसार प्रतिसंदाय किस्तों का भुगतान, प्रारंभिक चरण हेतु ऋण के प्रतिसंदाय के अधीन होगा, उस सीमा तक जहाँ तक वह उस वित्तीय वर्ष के लिए ऋणदाताओं को देय और संदेय हो गया है।
3. बीआईएएल से देय प्रतिसंदाय किस्तों का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलोर में किसी खाते में, कर्नाटक सरकार के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, अथवा ऐसे अन्य खाते में किया जाएगा जो जीओके द्वारा बीआईएएल को लिखित रूप में समय-समय पर पदाभिहित किया जाए।
4. उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, बीआईएएल, यथास्थिति, खंड 3.8, 3.9 या 3.10.3 के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

अनुसूची 11

कार्य-निष्पादन मानक

आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर मानक

निम्नलिखित मानदंडों का मापन खंड 7.5 के अनुसार वार्षिक आधार पर किया जाएगा। सर्वेक्षणों का अंकन आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर अंकन प्रणाली के अनुसार किया जाएगा (अर्थात् एक से पाँच के पैमाने पर, जहाँ एक अत्यंत खराब है और पाँच उत्कृष्ट है):

- (i) मार्ग ढूँढने में सुगमता;
- (ii) उड़ान सूचना पटल;
- (iii) उसी महाद्वीप के लिए संयोजी उड़ानों की उपलब्धता;
- (iv) अन्य महाद्वीप के लिए संयोजी उड़ानों की उपलब्धता;
- (v) संयोजी उड़ानें लेने में सुगमता;
- (vi) सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता;
- (vii) हवाई अड्डा कर्मचारियों का शिष्टाचार;
- (viii) जलपान-गृह और भोजन सुविधाएँ;
- (ix) खरीदारी सुविधाएँ
- (x) प्रसाधन कक्ष;
- (xi) पासपोर्ट निरीक्षण;
- (xii) प्रतीक्षा क्षेत्र/विश्राम कक्ष;
- (xiii) सामान सुपुर्दगी सेवा;
- (xiv) शहर से/शहर तक भू-परिवहन;
- (xv) पार्किंग सुविधाएँ;
- (xvi) सुरक्षा की भावना; और
- (xvii) हवाईअड्डे का परिवेश।

अनुसूची 12

समापन प्रमाणपत्र

हम प्रधान सचिव, अवसंरचना विकास विभाग, कर्नाटक सरकार के माध्यम से कार्यरत कर्नाटक के राज्यपाल तथा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच दिनांक [] के राज्य सहायता करार ("राज्य सहायता करार") का संदर्भ लेते हैं। राज्य सहायता करार में परिभाषित सभी पदों का इसमें वही अर्थ होगा।

हमें ऋणदाताओं द्वारा स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। हम एतद्वारा राज्य सहायता करार के खंड 4.5 की अपेक्षाओं के अनुसार यह समापन प्रमाणपत्र जारी करते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि हवाई अड्डा राज्य सहायता करार के खंड 4.1 का अनुपालन करता है।

दिनांक

उपाबंध 1

महायोजना

महायोजना अगले 20 वर्षों के दौरान हवाई अड्डे के विकास हेतु बीआईएएल की परिकल्पना का सार प्रस्तुत करती है। यह परिकल्पना विमानन गतिविधियों, भूमि और वाणिज्यिक विकास, पर्यावरण प्रबंधन तथा भूमि पहुँच की एकीकृत योजना के आधार के रूप में कार्य करेगी। भावी विकास हेतु एक ढाँचा प्रदान करते हुए, महायोजना हवाई अड्डे के प्रचालन और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी बदलती दशाओं को पूरा करने के लिए लचीलापन बनाए रखेगी। महायोजना की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष में की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाईअड्डे की योजना और विकास भावी आर्थिक, वाणिज्यिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अनुरूप बने रहें।

विकास चरणों तथा संभावित भावी यातायात वृद्धि के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, चार मुख्य चरणों में एक क्रमिक विकास (सांकेतिक) परिभाषित किया गया है। प्रारंभिक चरण हेतु समय-सीमा 2006 है तथा महायोजना के तीसरे चरण हेतु लक्ष्य वर्ष 2025 है। ये चरण मांग तथा बीआईएएल की वित्तीय क्षमताओं के अनुसार क्रमशः विकसित किए जाएँगे। वास्तविक निवेश बीआईएएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने पर और जब अनुमोदित किए जाएँ, तब किए जाएँगे। चौथा विकास चरण समानांतर धावनपथ प्रणाली वाले हवाई अड्डे हेतु परिकल्पित दृष्टि है।

चरणबद्धता

हवाई अड्डे की अभिकल्पना वास्तविक मांग के अनुसार विस्तार हेतु की गई है। चरणों का आरंभ हवाई यातायात के विकास के अनुसार होता है।

चरण 1 (प्रारंभिक चरण 2006-2010)

धावनपथ	1
विमान स्टैंड	13
यात्री आरोहण सेतु	3
हवाईअड्डे की क्षमता (मिलियन यात्रियों में)	4

चरण 2 (सांकेतिक 2011 - 2015)

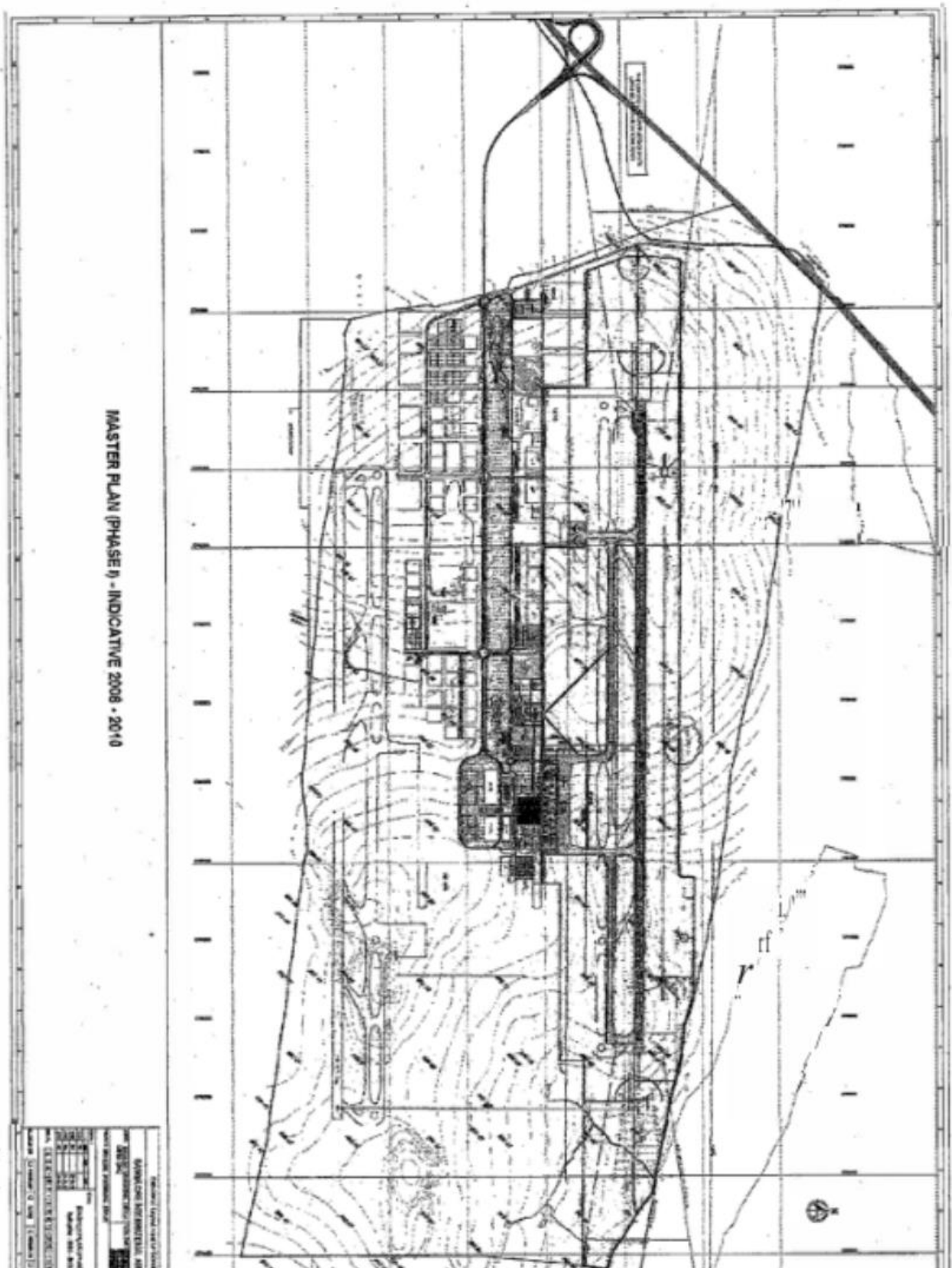
विमान स्टैंड	17
हवाईअड्डे की क्षमता (मिलियन यात्रियों में)	2

चरण 3 (सांकेतिक 2016 - 2025)

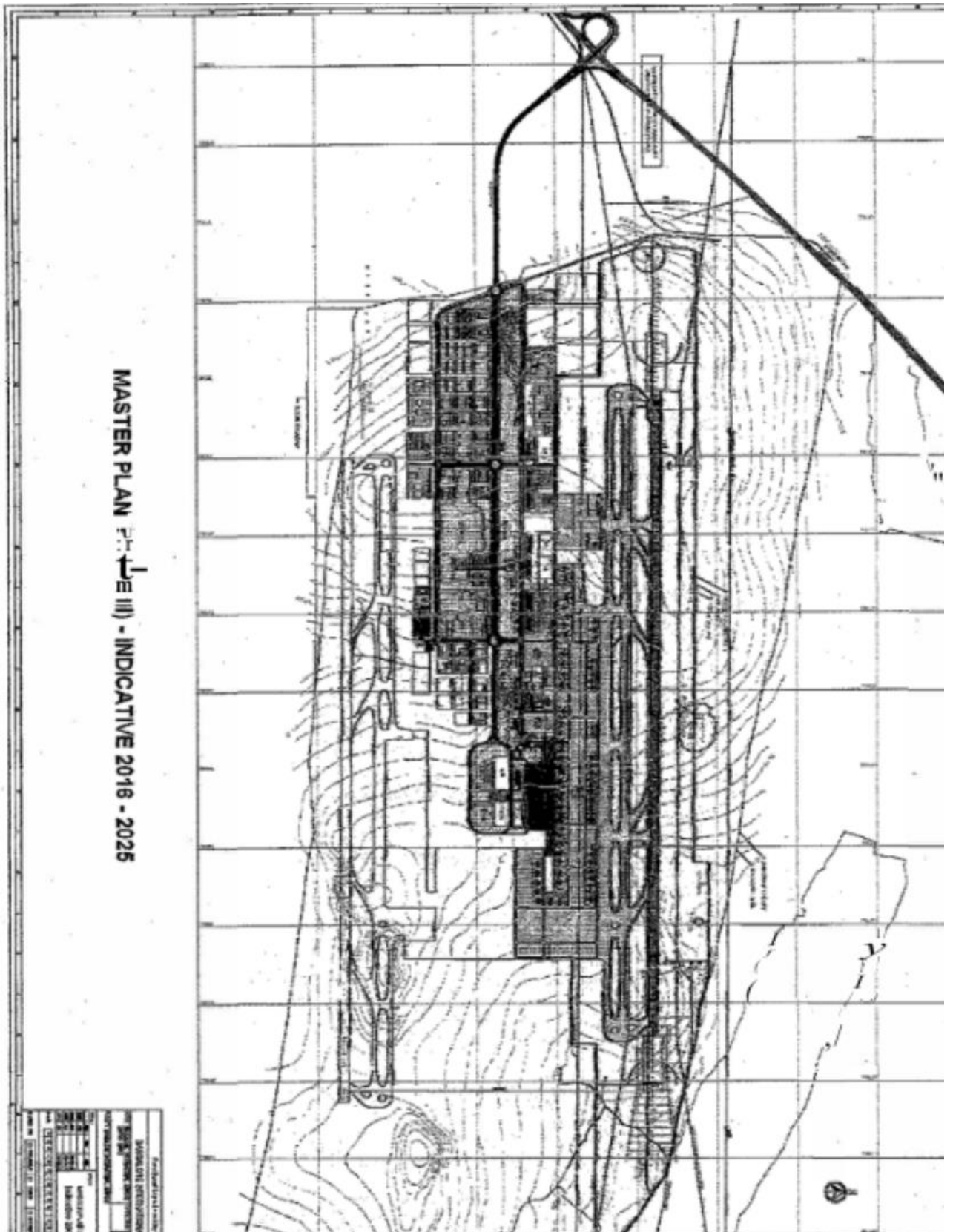
विमान स्टैंड	15
हवाईअड्डे की क्षमता (मिलियन यात्रियों में)	5

चरण 4: परिकल्पना (भावी) - हवाई अड्डे में होंगे:

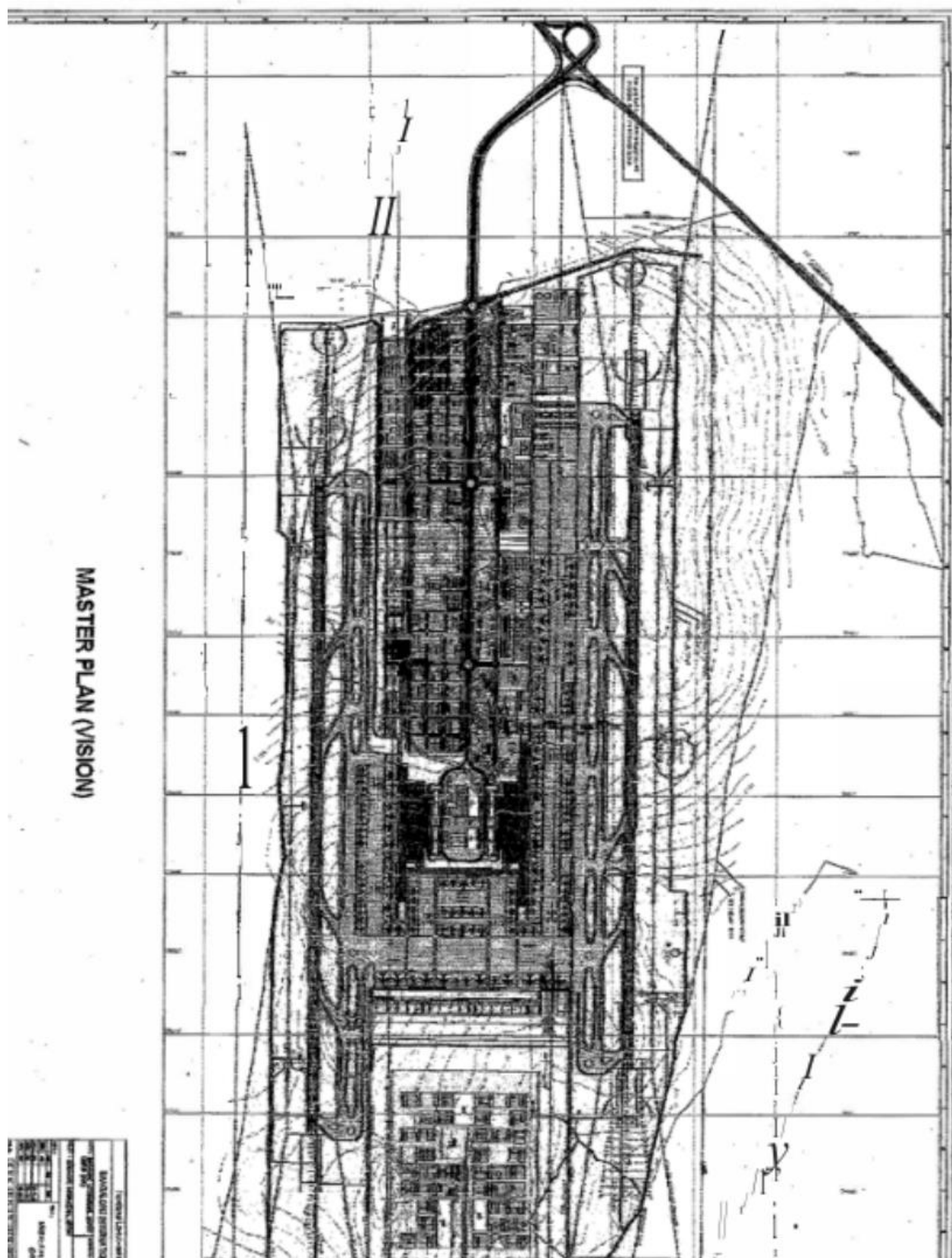
धावनपथ	2
विमान स्टैंड	145
हवाईअड्डे की क्षमता (मिलियन यात्रियों में)	50



महायोजना (चरण I) - सांकेतिक 2006 - 2010



महायोजना (चरण III) - सांकेतिक 2016 - 2025



महायोजना (परिकल्पना)

उपाबंध 2

साख-पत्र का प्रारूप

यह प्रत्याभूति विलेख..... में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निष्पादित किया गया, जिसका प्रधान/पंजीकृत कार्यालय.....में स्थित है (जिसे इसमें आगे "प्रत्याभूतिदाता" कहा गया है), जिस अभिव्यक्ति में, जब तक वह उसके विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे;

के पक्ष में

बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 49, रेस कोर्स रोड, खनिज भवन, बैंगलोर 560 001 में स्थित है, जिसे इसमें आगे "बीआईएएल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक वह उसके विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे;

यतः,

- क. बीआईएएल का संवर्धन सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच ("**सीमेंस**"), फ्लुगहाफेन ज्यूरिख एजी ("**यूनिक ज्यूरिख**") तथा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ("**एलएंडटी**") (सीमेंस, यूनिक ज्यूरिख और एलएंडटी को इसमें आगे "**निजी संवर्धक**" कहा गया है) और कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड ("**केएसआईआईडीसी**") तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("**एएआई**") (केएसआईआईडीसी और एएआई को इसमें आगे "**राज्य संवर्धक**" कहा गया है) द्वारा कर्नाटक राज्य में बैंगलोर के निकट देवनहल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, अभिकल्पन, वित्तपोषण, निर्माण, समापन, अनुरक्षण, प्रचालन और प्रबंधन का कार्य करने हेतु किया गया है (जिसे इसमें आगे "**परियोजना**" कहा गया है)।
- ख. भारत सरकार और बीआईएएल ने 5 जुलाई, 2004 को एक रियायत करार ("**रियायत करार**") किया है, जिसमें उन्होंने उन निबंधनों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की है जिन पर परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- ग. बोली प्रक्रिया के पूर्व-विस्तृत प्रस्ताव चरण के दौरान निजी संवर्धकों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसरण में, कर्नाटक सरकार ("**जीओके**") परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने तथा प्रारंभिक चरण की बैंक-योग्यता बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुई है। जीओके और बीआईएएल ने 2005 के दिन राज्य सहायता करार ("**राज्य सहायता करार**" या "**एसएसए**") किया है, जिसमें जीओके ने उसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, अन्य बातों के साथ-साथ, बीआईएएल को (i) आधार परियोजना लागत के संबंध में रु. 272,25,00,000.00 (दो सौ बहतर करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र) (जिसे इसमें आगे "**आधार राशि**" कहा गया है); तथा (ii) आकस्मिक परियोजना लागत के संबंध में रु. 77,75,00,000.00 (सतहतर करोड़ पचहतर लाख रुपये मात्र) (जिसे इसमें आगे "**आकस्मिक राशि**" कहा गया है) से अनधिक राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है (आधार राशि और आकस्मिक राशि को इसमें आगे सामूहिक रूप से "**राज्य वित्तीय सहायता**" कहा गया है)।

- घ. एसएसए के अंतर्गत जीओके से अपेक्षित है कि वह आधार राशि का संवितरण तब करे जब एसएसए के खंड 3.2 और खंड 3.5.1 के अधीन आधार राशि संवितरण अनुरोध (जैसा कि एसएसए में परिभाषित है) किया गया हो, जो एसएसए के उपाबंध 3 के रूप में संलग्न तथा इसके साथ अनुसूची 1क के रूप में पुनः प्रस्तुत सांकेतिक आहरण अनुसूची के अनुसार हो (जिसे इसमें आगे "आधार संवितरण अनुसूची" कहा गया है)।
- ड. एसएसए के अंतर्गत जीओके से अपेक्षित है कि वह आकस्मिक राशि का संवितरण जब कभी एसएसए के खंड 3.2 और खंड 3.5.2 के अधीन आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध किया जाए, तब करे। केवल इस प्रत्याभूति के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक राशि हेतु सांकेतिक संवितरण अनुसूची इसके साथ अनुसूची 1ख के रूप में संलग्न है (जिसे इसमें आगे "आकस्मिक संवितरण अनुसूची" कहा गया है), और
- च. एसएसए के अंतर्गत जीओके से अपेक्षित है कि वह राज्य सहायता राशि के समय पर निर्मोचन हेतु प्रतिभूति के रूप में, उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार, बीआईएएल के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी प्रत्याभूति प्रदान करे।

अब यह विलेख साक्षी है कि पूर्वोक्त के प्रतिफलस्वरूप, हम, भारतीय स्टेट बैंक, एतद्वारा निम्नानुसार प्रत्याभूति देते हैं:

1. परिभाषाएँ

इस प्रत्याभूति में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

"अवधि" से अभिप्रेत है, जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो, अवधि-I, अवधि-II या अवधि-III।

"अवधि-I" से अभिप्रेत है वित्तीय समापन की तिथि से प्रारंभ होने वाली 365 दिनों की निरंतर अवधि।

"अवधि-II" से अभिप्रेत है अवधि-I के अंतिम दिन के ठीक पश्चात् की तिथि से प्रारंभ होने वाली 365 दिनों की निरंतर अवधि।

"अवधि-III" से अभिप्रेत है अवधि-II के अंतिम दिन के ठीक पश्चात् की तिथि से प्रारंभ होने वाली 365 दिनों की निरंतर अवधि।

"वैधता अवधि" का वही अर्थ होगा जो खंड 4 के अधीन उसे दिया गया है।

"संवितरण अनुसूची" से, आधार राशियों और आकस्मिक राशियों, या उनके किसी भाग के संबंध में, यथास्थिति, क्रमशः आधार संवितरण अनुसूची और आकस्मिक संवितरण अनुसूची अभिप्रेत है।

"आधार आहरण प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो खंड 5 के अधीन उसे दिया गया है।

"आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र" का वही अर्थ होगा जो खंड 5 के अधीन उसे दिया गया है।

"आहरण प्रमाणपत्र" से अभिप्रेत है, जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो, आधार आहरण प्रमाणपत्र या आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र।

"प्रमाणपत्र तिथि" का वही अर्थ होगा जो खंड 6 के अधीन उसे दिया गया है।

"आहरण प्रमाणपत्र तिथि" का वही अर्थ होगा जो खंड 6 के अधीन उसे दिया गया है।

"प्रस्तावित संवितरण तिथि" का वही अर्थ होगा जो खंड 7 के अधीन उसे दिया गया है।

2. जीओके बीआईएएल को भुगतान करेगी—

(क) एसएसए के खंड 3.2 और खंड 3.5.1 के अधीन बीआईएएल द्वारा किए गए आधार राशि संवितरण अनुरोध के अनुसार आधार राशि; और

(ख) एसएसए के खंड 3.2 और खंड 3.5.2 के अधीन बीआईएएल द्वारा किए गए आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध के अनुसार आकस्मिक राशि।

3. खंड 2 के अधीन विफलता की दशा में, वैधता अवधि के दौरान, हम, प्रत्याभूतिदाता, बिना किसी आपत्ति के, बीआईएएल को भुगतान करेंगे—

(i) आधार राशि के संबंध में, कुल मिलाकर रु. 272,25,00,000.00 (दो सौ बहतर करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र) से अनधिक राशि, परंतु यह कि किसी भी अवधि के दौरान बीआईएएल को संदेय और/या संदत्त आधार राशियाँ, कुल मिलाकर, अनुसूची 1क के अधीन ऐसी अवधि हेतु आधार राशि के संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशियों से अधिक नहीं होंगी, और

(ii) आकस्मिक राशि के संबंध में, कुल मिलाकर रु. 77,75,00,000.00 (सतहतर करोड़ पचहतर लाख रुपये मात्र) से अनधिक राशि, परंतु यह कि किसी भी अवधि के दौरान बीआईएएल को संदेय और/या संदत्त आकस्मिक राशियाँ, कुल मिलाकर, अनुसूची 1ख के अधीन ऐसी अवधि हेतु आकस्मिक राशि के संबंध में विनिर्दिष्ट अधिकतम राशियों से अधिक नहीं होंगी।

4. यह प्रत्याभूति वितीय समापन (जैसा कि एसएसए में परिभाषित है) से छत्तीस (36) माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी और प्रवृत्त रहेगी (जिसे इसमें आगे "वैधता अवधि" कहा गया है)। यदि हवाई अड्डा प्रारंभ तिथि (जैसा कि एसएसए में परिभाषित है) ऐसी छत्तीस (36) माह की अवधि के भीतर नहीं आती है, तो पक्षकार इस प्रत्याभूति के विस्तार, जिसमें ऐसे विस्तार के निबंधन और शर्तें सम्मिलित हैं, पर लिखित रूप में परस्पर सहमत होंगे।

5. खंड 3 और इसमें उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, वैधता अवधि के दौरान बीआईएएल—

i. आधार राशि के संबंध में, इसके साथ अनुसूची 1क के रूप में संलग्न प्रारूप के सारतः समान प्रारूप में आधार आहरण प्रमाणपत्र ("आधार आहरण प्रमाणपत्र") प्रत्याभूतिदाता को प्रस्तुत करके इस प्रत्याभूति के अधीन आहरण कर सकेगा;

ii. आकस्मिक राशि के संबंध में, इसके साथ अनुसूची 1ख के रूप में संलग्न प्रारूप के सारतः समान प्रारूप में आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र ("आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र") प्रत्याभूतिदाता को प्रस्तुत करके इस प्रत्याभूति के अधीन आहरण कर सकेगा।

भुगतान हेतु सभी माँगों पर "[जारीकर्ता बैंक] प्रत्याभूति सं. [] दिनांक [] के अधीन की गई" अंकित होना चाहिए। भुगतान हेतु ऐसी माँगों का प्रस्तुतीकरण ----- के कार्यालय में अथवा फैक्स संख्या ----- पर फैक्स द्वारा, शाखा प्रबंधक के ध्यानार्थ, किया जाना चाहिए, परंतु यह कि ऐसे फैक्स हमें वस्तुतः प्राप्त हो गए हों तथा पठनीय रूप में हों।

6. इस प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर, आहरण प्रमाणपत्र पर प्रत्याभूतिदाता को उसके प्रस्तुतीकरण की तिथि अंकित होनी चाहिए ("**आहरण प्रमाणपत्र तिथि**"), तथा इसे केवल कारबार दिवस पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपराह्न (-- समय --) के पश्चात् प्राप्त किसी भी आहरण प्रमाणपत्र को अगले कारबार दिवस पर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जो ऐसे आहरण प्रमाणपत्र के संबंध में आहरण प्रमाणपत्र तिथि समझी जाएगी। आहरण प्रमाणपत्र बीआईएल के पत्रशीर्ष पर होना चाहिए तथा बीआईएल के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
7. प्रत्याभूतिदाता अभिस्वीकार करता है कि आहरण प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण पर्याप्त माँग गठित करता है और प्रस्तुतीकरण पर प्रत्याभूतिदाता, आहरण प्रमाणपत्र में माँगी गई राशि का, बशर्ते वह संवितरण अनुसूची के अनुसार हो, उसमें विनिर्दिष्ट खाते में, आहरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट संवितरण तिथि ("**प्रस्तावित संवितरण तिथि**") को, जो आहरण प्रमाणपत्र तिथि से 72 घंटे से पूर्व की नहीं होगी, अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त भुगतान करके आहरण प्रमाणपत्र का सम्मान करेगा।
8. इस प्रत्याभूति को प्रभावी करने के लिए, बीआईएल प्रत्याभूतिदाता को मूल ऋणी मानने का हकदार होगा तथा प्रत्याभूतिदाता की बाध्यताएँ बीआईएल द्वारा एसएसए या अन्य दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन, अथवा बीआईएल द्वारा जीओके के विरुद्ध प्रयोक्तव्य शक्ति के किसी भी समय के लिए स्थगन, अथवा एसएसए के किन्हीं निबंधनों और शर्तों के प्रवर्तन में सहनशीलता से प्रभावित नहीं होंगी, और हम इस प्रत्याभूति के अधीन अपनी बाध्यताओं से बीआईएल की ओर से ऐसे किसी विस्तार, सहनशीलता या लोप के कारण, अथवा बीआईएल द्वारा जीओके को दी गई किसी रियायत के कारण, अथवा ऐसे किसी भी विषय या बात के कारण मुक्त नहीं होंगे, जिसका प्रतिभुओं से संबंधित विधि के अधीन, इस उपबंध के अभाव में, हमें इस प्रकार मुक्त करने का प्रभाव होता।
9. यह प्रत्याभूति अप्रतिसंहरणीय होगी और तब तक पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी जब तक इस प्रत्याभूति के अधीन हमारी सभी बाध्यताओं का सम्यक् रूप से निर्वहन नहीं हो जाता या वैधता अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी बाद में हो।
10. प्रत्याभूतिदाता को यह प्रत्याभूति जारी करने की शक्ति है तथा अधोहस्ताक्षरी _____ के अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में इस प्रत्याभूति को निष्पादित करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत है। जिसके साक्ष्यस्वरूप प्रत्याभूतिदाता ने इसमें सर्वप्रथम ऊपर लिखे गए दिन, माह और वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

_____ बैंक द्वारा उसके प्राधिकृत अधिकारी श्री ----- के हाथों हस्ताक्षरित और परिदत्त तथा ____

अनुसूची I - संवितरण अनुसूची

अनुसूची Iक - आधार संवितरण अनुसूची

एसएसए में यथाविनिर्दिष्ट आधार राशि के संबंध में सांकेतिक संवितरण अनुसूची निम्नानुसार है:

अवधि	आधार प्रत्याभूति के अधीन संदेय अधिकतम राशियाँ
अवधि-I के दौरान	रु. 100,00,00,000.00 (एक सौ करोड़ रुपये मात्र) ¹¹
अवधि-II के दौरान	रु. 200,00,00,000.00 (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) ¹² , अवधि-I के दौरान बीआईएएल को संवितरित आधार राशि द्वारा यथा घटाई गई
अवधि-III के दौरान	रु. 272,25,00,000.00 (दो सौ बहतर करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र), अवधि-I और अवधि-II के दौरान बीआईएएल को संवितरित आधार राशि द्वारा यथा घटाई गई

¹¹ वास्तविक राशियाँ वित्तीय समापन पर या उससे पूर्व अंतिम रूप दी गई आहरण अनुसूची पर आधारित होंगी।

¹² वास्तविक राशियाँ वित्तीय समापन पर या उससे पूर्व अंतिम रूप दी गई आहरण अनुसूची पर आधारित होंगी।

अनुसूची Iख - आकस्मिक संवितरण अनुसूची

इस प्रत्याभूति के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आकस्मिक राशि के संबंध में अस्थायी संवितरण अनुसूची निम्नानुसार है:-

अवधि	आकस्मिक प्रत्याभूति के अधीन संदेय अधिकतम राशियाँ
अवधि-I के दौरान	रु. __ 4,00,000,000 _____ (चालीस करोड़ रुपये मात्र)
अवधि-II के दौरान	रु. 77,75,00,000 (सतहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मात्र), अवधि-I के दौरान बीआईएएल को संवितरित आकस्मिक राशि द्वारा यथा घटाई गई
अवधि-III के दौरान	रु. 77,75,00,000.00 (सतहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मात्र), अवधि-I और अवधि-II के दौरान बीआईएएल को संवितरित आकस्मिक राशि द्वारा यथा घटाई गई

अनुसूची IIक - आधार आहरण प्रमाणपत्र का प्रारूप

सेवा में,

[प्रत्याभूतिदाता बैंक का नाम]

[पता]

ध्यानार्थ: []

संदर्भ: [जारीकर्ता बैंक] प्रत्याभूति सं. [] दिनांक [] के अधीन किया गया

आहरण प्रमाणपत्र तिथि: [•] (कारबार दिवस होना चाहिए)

अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा [जारीकर्ता बैंक] प्रत्याभूति सं. [] दिनांक [] ("प्रत्याभूति"), जो आपके द्वारा ----- के आदेश से और उसकी ओर से हमें जारी की गई है, के अधीन आहरण करता है। इस आहरण प्रमाणपत्र में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए किसी भी परिभाषित पद का, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वही अर्थ होगा जो प्रत्याभूति में उसे दिया गया है।

इस आधार आहरण प्रमाणपत्र के अधीन आहरित की जाने हेतु प्रस्तावित राशि रु. [•] है तथा संवितरण तिथि [•] है (अथवा, यदि वह कारबार दिवस न हो, तो अगला कारबार दिवस)।

अधोहस्ताक्षरी, बीआईएएल का सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी, इस आधार आहरण प्रमाणपत्र के संबंध में एतद्द्वारा प्रमाणित करता है कि:

1. एसएसए के खंड 3.2 और खंड 3.5.1 के अनुसार हमारे द्वारा जीओके को जारी आधार राशि संवितरण अनुरोध दिनांक [•] की, उससे संलग्न किन्हीं उपाबंधों सहित, सम्यक् रूप से प्रमाणित और हस्ताक्षरित प्रति इसके साथ संलग्न है (संलग्नक I)।
2. जीओके ने एसएसए के निबंधनों के अनुसार आधार राशि संवितरण अनुरोध में अनुरोधित आधार राशि निर्मुक्त नहीं की है।
3. संलग्न आधार राशि संवितरण अनुरोध हेतु ----- द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति(याँ) (संलग्नक II), तथा इस आधार आहरण प्रमाणपत्र हेतु ----- द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति (संलग्नक III) और आहरण प्रमाणपत्र के हस्ताक्षरकर्ता की शक्ति का साक्ष्य देने वाला दस्तावेज़ (संलग्नक IV) इसके साथ संलग्न हैं।
4. इस संवितरण अनुरोध की आगम राशि बैंक [] में [खाता] में जमा की जाए।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक:

- संलग्नक I
- संलग्नक II
- संलग्नक III
- संलग्नक IV

अनुसूची IIख - आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र का प्रारूप

सेवा में,

[प्रत्याभूतिदाता बैंक का नाम]

[पता]

ध्यानार्थ: []

संदर्भ: [जारीकर्ता बैंक] प्रत्याभूति सं. [] दिनांक [] के अधीन किया गया

आहरण प्रमाणपत्र तिथि: [•] (कारबार दिवस होना चाहिए)

अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा [जारीकर्ता बैंक] प्रत्याभूति सं. [] दिनांक [] ("प्रत्याभूति"), जो आपके द्वारा ----- के आदेश से और उसकी ओर से हमें जारी की गई है, के अधीन आहरण करता है। इस आहरण प्रमाणपत्र में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए किसी भी परिभाषित पद का, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वही अर्थ होगा जो प्रत्याभूति में उसे दिया गया है।

इस आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र के अधीन आहरित की जाने हेतु प्रस्तावित राशि रु. [•] है तथा संवितरण तिथि [•] है (अथवा, यदि वह कारबार दिवस न हो, तो अगला कारबार दिवस)।

अधोहस्ताक्षरी, बीआईएएल का सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी, इस आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र के संबंध में एतद्वारा प्रमाणित करता है कि:

1. एसएसए के खंड 3.2 और खंड 3.5.2 के अनुसार हमारे द्वारा जीओके को जारी आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध दिनांक [•] की, उससे संलग्न किन्हीं उपाबंधों सहित, सम्यक् रूप से प्रमाणित और हस्ताक्षरित प्रति इसके साथ संलग्न है (संलग्नक I)।
2. जीओके ने एसएसए के निबंधनों के अनुसार आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध में अनुरोधित आकस्मिक राशि निर्मुक्त नहीं की है।
3. संलग्न आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध हेतु ----- द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति(याँ) (संलग्नक II), तथा इस आकस्मिक आहरण प्रमाणपत्र हेतु ----- द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति (संलग्नक III) और आहरण प्रमाणपत्र के हस्ताक्षरकर्ता की शक्ति का साक्ष्य देने वाला दस्तावेज़ (संलग्नक IV) इसके साथ संलग्न हैं।
4. इस संवितरण अनुरोध की आगम राशि बैंक [] में [खाता] में जमा की जाए।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक:

- संलग्नक I
- संलग्नक II
- संलग्नक III
- संलग्नक IV

उपाबंध 3

राज्य वित्तीय सहायता आहरण अनुसूची

आधार स्थिति कारबार योजना पर आधारित राज्य वित्तीय सहायता के आहरण हेतु सांकेतिक अनुसूची नीचे दी गई है। वास्तविक आहरण आवश्यकता तथा निर्माण चरण के दौरान हुई प्रगति के अनुसार होगा।

1. आधार राशि का आहरण साम्या और ऋण के साथ यथानुपात किया जाएगा।

आधार राशि का आहरण:

आहरण सं.	आहरण तिथि ¹³	राशि (मिलियन रुपये में) ¹⁴
1	बीआईएल और ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण करारों पर हस्ताक्षर किए जाने पर (1 मार्च, 2005)	512.5
2	पहली आहरण तिथि के ठीक पश्चात् आने वाली कैलेंडर तिमाही के प्रारंभ का पहला दिन (1 जून, 2005)	127.5
3	दूसरे आहरण से तीन माह (1 सितंबर, 2005)	164.7
4	तीसरे आहरण से तीन माह (1 दिसंबर, 2005)	303.9
5	चौथे आहरण से तीन माह (1 मार्च, 2006)	307.4
6	पाँचवें आहरण से तीन माह (1 जून, 2006)	472.7
7	छठे आहरण से तीन माह (1 सितंबर, 2006)	411.4
8	सातवें आहरण से तीन माह (1 दिसंबर, 2006)	187.4
9	आठवें आहरण से तीन माह (1 मार्च, 2007)	134.3
10	नौवें आहरण से तीन माह (1 जून, 2007)	29.4
11	दसवें आहरण से तीन माह (1 सितंबर, 2007)	71.2
12	ग्यारहवें आहरण से तीन माह (1 दिसंबर, 2007)	0
	कुल आधार राशि	2722.5

आकस्मिक राशि का आहरण, रु. 777.5 मिलियन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, राज्य सहायता करार के खंड 3.4 और 3.5 के अधीन, बीआईएल द्वारा अपेक्षित होने पर और जब अपेक्षित हो, तब किया जाएगा।

¹³ तिथियों को वित्तीय समापन हेतु ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित अंतिम वित्तीय मॉडल के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

¹⁴ कोष्ठकों में दी गई राशियों को वित्तीय समापन हेतु ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित अंतिम वित्तीय मॉडल के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

विषय-सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
मुख्य करार		
1.	खंड 1 - परिभाषाएँ और निर्वचन	3
2.	खंड 2 - पुरोभाव्य शर्तें, प्रारंभ और अवधि	13
3.	खंड 3 - राज्य वित्तीय सहायता	14
4.	खंड 4 - हवाई अड्डा विकास	22
5.	खंड 5 - हवाई अड्डे का निर्माण	24
6.	खंड 6 - हवाई अड्डे का प्रारंभ	24
7.	खंड 7 - प्रचालन और अनुरक्षण	26
8.	खंड 8 - बीमा	29
9.	खंड 9 - अधिकारियों के लिए पहुँच	31
10.	खंड 10 - परियोजना सहायता	32
11.	खंड 11 - स्थल	34
12.	खंड 12 - अवसंरचना और उपयोगिताएँ	35
13.	खंड 13 - निर्माण या प्रचालन में व्यवधान	35
14.	खंड 14 - पुलिस व्यवस्था	36
15.	खंड 15 - परियोजना समीक्षा	36
16.	खंड 16 - अभ्यावेदन और आश्वासन	37
17.	खंड 17 - अप्रत्याशित घटना	39
18.	खंड 18 - दायित्व और प्रतिकर	40
19.	खंड 19 - व्यतिक्रम	42
20.	खंड 20 - लोक शिकायतों का निवारण	47
21.	खंड 21 - समनुदेशन और प्रतिभूति	48
22.	खंड 22 - अभिलेख	48
23.	खंड 23 - उपचार, अधित्यजन, संशोधन और सहमतियाँ	49
24.	खंड 24 - संपूर्ण करार	50
25.	खंड 25 - अतिरिक्त आश्वासन	50
26.	खंड 26 - आंशिक अविधिमान्यता	50
27.	खंड 27 - कोई भागीदारी नहीं	51
28.	खंड 28 - समय का सार होना	51

29.	खंड 29 - समय की संगणना	51
30.	खंड 30 - सूचनाएँ	51
31.	खंड 31 - समझा गया परिदान	52
32.	खंड 32 - शासी भाषा	52
33.	खंड 33 - विवादों का निपटारा	52
34.	खंड 34 - शासी विधि	53
35.	खंड 35 - संप्रभु उन्मुक्ति	53
36.	खंड 36 - व्यतिक्रम ब्याज	53
37.	खंड 37 - उत्तराधिकारी और समनुदेशिती	54
38.	खंड 38 - भुगतान मुक्त और निर्बाध होंगे	54
अनुसूचियाँ और उपाबंध		
39.	अनुसूची 1 - [जानबूझकर रिक्त छोड़ा गया]	55
40.	अनुसूची 2: भाग 1 - हवाई अड्डा गतिविधियाँ	56
41.	अनुसूची 2: भाग 2 - गैर-हवाई अड्डा गतिविधियाँ	59
42.	अनुसूची 3 - कर छूट और अन्य लाभ	60
43.	अनुसूची 4 - जीओके प्रत्यक्ष करार का प्रारूप	61
44.	अनुसूची 5 - हवाई अड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण	67
45.	अनुसूची 6 - प्रचालन और अनुरक्षण योजना की रूपरेखा	72
46.	अनुसूची 7 - निपटान राशि	74
47.	अनुसूची 8क - आधार राशि संवितरण अनुरोध	75
48.	अनुसूची 8ख - आकस्मिक राशि संवितरण अनुरोध	76
49.	अनुसूची 9 - अप्रत्याशित घटना	78
50.	अनुसूची 10 - प्रतिसंदाय किस्ते	80
51.	अनुसूची 11 - कार्य-निष्पादन मानक	81
52.	अनुसूची 12 - समापन प्रमाणपत्र	82
53.	उपाबंध 1 - महायोजना	83
54.	उपाबंध 2 - साख-पत्र का प्रारूप	88
55.	उपाबंध 3 - राज्य वित्तीय सहायता आहरण अनुसूची	96